

षोडश माला, खंड 5, अंक 5

शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2014

7 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)



(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद-विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंग के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2014 / 1936 (शक)
अंक 5, शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2014 / 7 अग्रहायण, 1936 (शक)

विषय

पृष्ठ संख्या

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 85 तक

18

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 86 से 100

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

28.11.2014	4
सभा पटल पर रखे गए पत्र	45-64
राज्य सभा से संदेश	64
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
80 ^{वां} प्रतिवेदन	61
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	
72 ^{वां} प्रतिवेदन	61
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
डब्ल्यू.टी.ओ. में भारत के रुख के बारे में	
श्रीमती निर्मला सीतारमण	63-73
सभा का कार्य	74-78
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	76
(दो) भारतीय परिचर्या परिषद	77
कार्य-मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	78
सदस्यों द्वारा निवेदन	
इराक में आई.एस.आई.एस. उग्रवादियों द्वारा अपहृत और मारे गए 40 भारतीयों के बारे में	79

श्रम विधि (विवरण देने और रजिस्टर रखने में कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक 2014	101-153
विचार करने के लिए प्रस्ताव	101
श्री बंडारू दत्तात्रेय	101,148
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	104-104
श्री हुकुम सिंह	105-108
श्री आर. पार्थिपन	109-112
प्रो. सौगत राय	113-118
रवीन्द्र कुमार जेना	129-121
श्री बी. विनोद कुमार	122-125
श्री शंकर प्रसाद दत्ता	126-126
श्री वारा प्रसादराव वेलगापल्ली	127-128
श्री अधीर रंजन चौधरी	129-134
श्री रत्न लाल कटारिया	133-135
श्री धर्मवीर गांधी	136-137
श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी	138-139

28.11.2014	6
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	140-142
डॉ. अरुण कुमार	143
श्री जगदम्बिका पाल	144-145
श्री पी. करुणाकरन	146
प्रो. साधु सिंह	147
खंड 2 से 6 और 1	152
पारित करने के लिए प्रस्ताव	153
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	168
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक -पुरःस्थापित	169-
(एक) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 (श्री फिरोज वरुण गांधी)	169
(दो) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 124क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन) (श्री बैजयंत जे पांडा)	170

- (तीन) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2014 (धारा 3 का संशोधन, आदि)
(श्री बैजयंत जे पांडा) 171
- (चार) निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय विधेयक , 2014
(श्री बैजयंत जे पांडा) 172
- (पांच) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (नई धारा 24 का प्रतिस्थापन, आदि)
(श्री बैजयंत जे पांडा) 173
- (छह) पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2014
(प्रो. सौगत राय) 174
- (सात) पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक , 2014
(श्री अधीर रंजन चौधरी) 175
- (आठ) वृद्धावस्था पेंशन और पुनर्वास विधेयक, 2014
(श्री अधीर रंजन चौधरी) 176
- (नौ) कन्या शिशु-हत्या निवारण विधेयक, 2014
(श्री अधीर रंजन चौधरी) 177

(दस)	कृषि कर्मकार (रोजगार, सेवा शर्तेँ और कल्याण) विधेयक, 2014 (श्री अधीर रंजन चौधरी)	178
(ग्यारह)	शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और अक्रृजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2014 (श्री राकेश सिंह)	179
(बारह)	अनिवार्य मतदान विधेयक , 2014 (श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल)	180
(तेरह)	स्वास्थ्य बीमा (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए) विधेयक , 2014 (श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल)	181
(चौदह)	निस्सहाय बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक , 2014 (श्री राकेश सिंह)	182
(पंद्रह)	प्रत्येक गांव में संचार सुविधाओं का उपबंध विधेयक , 2014 (श्री राकेश सिंह)	183
(सोलह)	अम्ल नियंत्रण, अम्ल के हमलों का निवारण और अम्ल हमलों के पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक, 2014 (श्री भर्तृहरि महताब)	184

(सत्रह)	किराए की कोख (विनियमन) विधेयक , 2014 (श्री भर्तृहरि महताब द्वारा)	185
(अठारह)	संविधान (संशोधन) विधेयक , 2014 (नए अनुच्छेद 371ट का अंतःस्थापन) (श्री कीर्ति आजाद)	186
(उन्नीस)	गौ (संरक्षण) विधेयक , 2014 (श्री चंद्रकांत खैरे)	187
(बीस)	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्रतिकर का उपबंध, 2014 (श्री चंद्रकांत खैरे)	188
	केंद्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक 2014	189-240
	डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'	189-198
		230-231
	श्री मोहम्मद सलीम	192-204
	श्री राजेश रंजन	205-211

श्री जगदम्बिका पाल	212-216
श्री रामस्वरूप शर्मा	217
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	218-221
श्री दुष्यंत सिंह	222-224
श्री भगवंत मान	222-226
राव इंद्रजीत सिंह	227-229
विधेयक वापस लिया गया	234
अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा	240
अम्ल नियंत्रण विधेयक, 2014	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	234
डॉ. किरिट पी. सोलंकी	234

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थॉमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी.के. ग़ोवर

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 28 नवंबर, 2014 / 7 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं]

[अनुवाद]

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार (बारासात): महोदया, मैंने प्रश्नकाल के निलंबन की सूचना दी है ताकि विशेष रूप से मनरेगा के तहत धनराशि की कटौती के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जा सके। देश में करोड़ों लोग प्रभावित हैं और भुखमरी से मौतें हो रही हैं। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर का नोटिस मिला है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे रूल्स में यह बात नहीं है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे इसे पूरा करने दें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : दूसरी बात यह है कि मनरेगा की जो बात आपने कही है, परसों भी मैंने जीरो ऑवर में यह बात उठाने दी थी। मंत्री जी ने भी जवाब दिया था कि इसको बंद नहीं कर रहे हैं। फिर से, यदि आप इस विषय पर कोई चर्चा करना चाहते हैं, तो इसकी अनुमति दी जा सकती है। आप रूल्स के अनुसार नोटिस दे दीजिए। इस पर पूरी चर्चा भी हो सकती है। अगर आप शून्य काल में उठाना चाहें तो आपको अनुमति दी जा सकती है।

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैडम, आज भी शून्य काल में यह विषय उठाने के लिए अलाऊ कीजिए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्नकाल।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको 'शून्यकाल' के दौरान अनुमति दूंगी।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : मैडम, मेरी सदस्यों से एक विनती है कि शून्य काल में रेज़ करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, यह सोचिए, नहीं तो स्ट्रक्चर्ड नोटिस दे कर मंडे, ट्यूजडे या वैडनसडे में कभी भी आप जैसा चाहें, चर्चा कर सकते हैं। ... (व्यवधान) कल राज्य सभा में कॉलिंग अटेंशन में विस्तार से चर्चा हुई। ऐसा ही कुछ अच्छा प्रावधान आप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ शून्य काल में आधा-एक मिनट मिलेगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसमें उत्तर देने के लिए मंत्री भी नहीं होंगे। ... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : मैडम, हम लोग सहमत हैं, लेकिन आज ज़ीरो ऑवर में भी इस विषय को उठाने का मौका दिया जाए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यदि आप केवल इस विषय को उठाना चाहते हैं, तो यह ठीक है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप केवल इसका उल्लेख करना चाहते हैं, तो मैं आपको अनुमति दूंगी। [हिन्दी] अगर आप वास्तव में चर्चा चाहते हैं तो किसी अच्छे नियम के तहत नोटिस देना चाहिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: लेकिन यह तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, आज नायडु जी ने उदारता दिखाई है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, वे हमेशा उदारता दिखाते हैं, आप अवसर तो दीजिए।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे**†प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 81, श्री प्रतापराव जाधव।**(प्रश्न संख्या 81)**

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव : अध्यक्ष महोदया, देश के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का प्रयास होता है और वह विकास बढ़ता रहना चाहिए, जिससे देश में उद्योग-धंधे बढ़ें, लोगों को रोजगार मिले। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि गत तीन सालों से औद्योगिक विकास कम रहा है और सन् 2013-14 में औद्योगिक विकास दर नेगेटिव हो गया है। इसके कई कारण हैं, परंतु असली कारण हमारे देश का निर्माण संबंधी जो ढांचा है, उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही है, अच्छी सड़कें नहीं हैं, देश में जो सरकारी नीतियां हैं, वे देश के विकास में सहयोग करने की बजाय, उसमें बाधा पैदा कर रही हैं। देश में प्रचुर मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होने के बावजूद, देश में उसका उत्पादन नहीं हो रहा है। कच्चे माल को निर्यात किया जा रहा है। 12वीं योजना में 7.6 प्रतिशत औद्योगिक विकास दर को प्राप्त करना है, लेकिन इसे प्राप्त करना मुझे असम्भव लगता है।

महोदया, मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि गत वर्ष के दौरान किन राज्यों या संघ नियन्त्रित राज्यों ने औद्योगिक उत्पादक सूचकांक 5 प्रतिशत से ज्यादा हासिल है।

[अनुवाद]

† प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: यह सही है कि औद्योगिक विकास देश के लिए खुशी की बात है। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, अप्रैल से सितंबर 2014 के दौरान जिन उद्योगों की बात की गई है, उन्होंने पिछले तीन साल में पहली बार अच्छा विकास दिखाया है। अप्रैल से सितंबर 2014 के बीच 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। माननीय सदस्य ने यह सही कहा कि वर्ष 2011-12 के दौरान विकास दर में गिरावट आई थी। उस समय यह 2.9 प्रतिशत थी, जो 2012-13 में घटकर 1.1 प्रतिशत रह गई थी, और मार्च 2014 तक तो यह और भी गिरकर -0.1 प्रतिशत पर आ गई थी। हालांकि, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2014-15 के पहले छह महीनों में यह दर फिर से 2.8 प्रतिशत हो गई है। यानी लगातार गिरावट के बाद अब विकास की दिशा सकारात्मक हो रही है।

औद्योगिक विकास में गिरावट के कारणों पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले, घरेलू मांग में भारी कमी आई, जिसकी वजह से उद्योगों के पास उत्पादन बढ़ाने का कोई बड़ा कारण नहीं रहा। इसके साथ ही महंगाई का दबाव बढ़ने से उत्पादन लागत भी बढ़ी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में आई मंदी का असर भारत पर भी पड़ा। कुल मिलाकर, औद्योगिक विकास में गिरावट के कारणों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और संसद में दिए गए उत्तरों में भी इन्हें पहले स्पष्ट किया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव : महोदया, माननीय मंत्री महोदया ने यहाँ पर स्वीकार किया है कि हमारी जो विकास दर है, वह निगेटिव हो गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार ने देश की औद्योगिक विकास दर के निगेटिव होने पर कोई जाँच, कोई समीक्षा या कोई अध्ययन करवाया है और अगर हाँ तो उसके परिणाम क्या हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: यदि मैं 'जांच' शब्द को सही तरह से समझ रही हूँ, तो हम किसी प्रकार की जांच नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आंकड़े सांख्यिकीय जानकारी के रूप में स्वतः ही आते रहते हैं। सरकार ने मई में

सत्ता में आने के बाद तुरंत ऐसे कई कदम उठाए हैं, जो व्यापार करने में सुगमता लाने के लिए, उत्पादन को प्रोत्साहित करने और उद्योगों को गति देने का काम करेंगे। मैं उन सभी की एक लंबी सूची प्रस्तुत कर सकती हूँ, जिनका इस सम्मानित सभा में बार-बार उल्लेख किया गया है।

सबसे पहले, एफ.डी.आई. नीति - हमने कई क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को सरल बनाया है; सरकार द्वारा लिए गए कई निर्णयों से अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाया गया है, जिसने वास्तव में व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना के लिए बहुत सारी बाधाएं दूर की हैं। हमने उत्पादन से संबंधित कई लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को भी सूची से बाहर कर दिया है, ताकि उद्योगों को लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करने की जटिलता से राहत मिल सके। इसके परिणामस्वरूप एक सकारात्मक वातावरण बना है, जिससे उत्पादन के अनुकूल माहौल तैयार हुआ है और उद्योगों में उत्साह का संचार हुआ है। हमें यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने कई रक्षा उद्योगों को भी लाइसेंसिंग की सूची से बाहर कर दिया है। इसके अलावा, जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, उनके लाइसेंस की अवधि को भी दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किया गया है, जिससे उद्योग जगत को काफी राहत मिली है। बाद में इस अवधि को और बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया गया, जिससे उद्योगों पर लाइसेंसिंग से जुड़ा दबाव और भी कम हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, हमने यह पाया है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग में वार्षिक क्षमता में सुधार हो सकता है और विनियमन में ढील से वार्षिक उत्पादन की गति भी तेज हो सकती है। हाल ही में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नीतियों में किए गए संशोधनों के तहत रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है तथा रेलवे अवसंरचना क्षेत्र में भी एफडीआई बढ़ाई गई है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष जी, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तथा औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत ई-बिज़ मिशन मोड परियोजना की शुरुआत की है तथा दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर - डीएमआईसी परियोजना का कार्यान्वयन किया है। [हिन्दी] इसके साथ और भी कॉरिडॉर्स का निर्माण किया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कॉरीडोर निर्माण करने के लिए वहाँ का

इनफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मेरे संसदीय क्षेत्र संभाजीनगर औरंगाबाद में बिडकिन और शेन्द्रा परिसर में दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर के लिए वहाँ किसानों की ज़मीन का आधिग्रहण किया गया।

मैं पहला निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ किसानों को उनकी ज़मीन का अच्छा दाम मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो इतना बड़ा एरिया डीएमआईसी का होने वाला है, वहाँ इनफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्री के लिए काफी पानी की आवश्यकता होगी। वहाँ यदि जायकवाडी प्रोजैक्ट से हम पानी लेना चाहेंगे तो उसकी क्षमता पहले से बहुत कम होती जा रही है। वहाँ वालुज, शेन्द्रा, चिकलथाना इंडस्ट्रियल एरिया में पानी बहुत कम है। मैं कहना चाहूँगा कि इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। उसमें अहम मुद्दा पानी का है। इंडस्ट्री को हमें पानी देना है तो उसके लिए इसके लिए आस-पास किसी डैम का निर्माण करके पानी की उपलब्धता का ध्यान रखना चाहिए तथा वहाँ अच्छी सड़कें बननी चाहिए। इससे वहाँ इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर बढ़ेगा तथा वहाँ की अनइंप्लॉयमेंट प्राबलम भी सॉल्व होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा इनफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को ज़ोर देना चाहिए, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण : माननीय सदस्य द्वारा ऐसे क्षेत्रों में अवसंरचना और आवश्यकताओं को समग्र दृष्टिकोण से देखने की जो चिंता व्यक्त की गई है, उसे मैं पूर्ण रूप से संज्ञान में लेती हूँ। मैं निश्चित रूप से इस विषय पर ध्यान दूँगी।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड है और देश में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बैकवर्ड हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़ीरो के आस-पास है, जैसे मेरा क्षेत्र हिंगोली ज़िला है जहाँ से मैं आता हूँ। देश के ऐसे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या सरकार उनके लिए कुछ अलग से पॉलिसी बनाने की दिशा में सोच रही है?

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: जहाँ तक उन औद्योगिक गलियारों का प्रश्न है, जिनका हम बार-बार उल्लेख कर रहे हैं चाहे वह दिल्ली-मुंबई हो, अमृतसर-कोलकाता हो, विशाखापत्तनम-चेन्नई हो या बंगलुरु-मुंबई- इन्हें देश के आर्थिक और औद्योगिक ढांचे के केंद्रीय हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इन गलियारों के आसपास स्थित ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो पिछड़े हैं, और वहां किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ की जा सकती हैं या प्रोत्साहित की जा सकती हैं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। फिर भी, यदि माननीय सदस्य को विशेष रूप से उनके क्षेत्र से संबंधित कोई चिंता है, तो वे मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. सुभाष रामराव भामरे : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह महाराष्ट्र में मेरे क्षेत्र धुलिया जिले से गुजरती है। औरंगाबाद में काम शुरू हो गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र धुले जो बैकवर्ड रीजन है, वहाँ का काम कब शुरू होने वाला है?

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: यह कहना कि किस गलियारे के किस हिस्से का विकास कब से होगा, इस समय बहुत कठिन है। मैं निश्चित रूप से इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगी, और माननीय सदस्य से संपर्क करूंगी।

(प्रश्न संख्या 82)

श्रीमती रक्षा ताई खाडसे : राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने दिशानिर्देश को समाप्त कर दिया है। नतीजतन, कैंसर, टीबी, हृदय रोग, रक्तचाप और मधुमेह नियंत्रित दवाओं के लिए जीवन रक्षक दवाएं महंगी हो गई हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस सभा को सूचित करेंगे कि इन दिशानिर्देशों को समाप्त करने का कारण क्या है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न चीन से ड्रग्स की थोक आपूर्ति से संबंधित है और यह अन्य देशों से भी संबंधित है जहां से हमें थोक आपूर्ति मिल रही है। जो उत्तर सभा पटल पर रखा गया है, वह इस बारे में बहुत स्पष्ट है। विवरण स्पष्ट है।

[हिन्दी]

इन्होंने यह जो प्रश्न किया है कि दवाइयां महंगी हो रही हैं, उसको हम रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। रेगुलेट करने के लिए हमारी जो बॉडीज हैं, वे उसे समय-समय पर देख रही हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने देश के अंदर फार्मास्यूटिकल्स को ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ावा दें और बढ़ावा देने के साथ-साथ उनकी मेडिसिन्स सस्ती हो सकें, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती रक्षा ताई खाडसे : महोदय, क्या सरकार भारतीय दवा कंपनियों को थोक दवाइयों का आयात करने से हतोत्साहित कर रही है और उन्हें भारत में ही उनका उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है? क्या यह सक्रिय औषधीय सामग्री के प्रोत्साहन में भी संलग्न है?

[हिन्दी]

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम स्पीकर, ड्रग्स में ये जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के ड्रग्स हैं, इसमें हमारी कोशिश है कि हमारी जो इंडीजनस इंडस्ट्री है, वह डेवलप हो। लेकिन अभी हम इन्हें चीन से इसलिए ले रहे हैं,

क्योंकि इसमें एक तो उनकी प्राइसेस का विषय आता है। वहां से बहुत चीप मेडिसिन्स आ रही हैं और इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज उन्हें बल्क सप्लाइ में ले रही हैं। दूसरी बात यह है कि उसके लिए जो एफ्ल्यून्ट सिस्टम और इनवायरनमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए, उन इनवायरनमेंटल कंडीशंस को हम क्रियेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे-जैसे वह इनवायरनमेंटल क्रियेशन होगा तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के जो ड्रग्स हैं, उन्हें हम ज्यादा-से-ज्यादा अपने देश में ही प्रोड्यूस कर सकें, इस बात के लिए हम प्रयासरत हैं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैडम स्पीकर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विदेशों से जो दवाइयां आ रही हैं, वे महंगी हैं। ब्रांडेड दवाइयां 200%-300% ज्यादा महंगी मिलती हैं। हमारी सरकार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सलाह दी है कि जेनेरिक दवाइयां दी जाएं। हमने एक खबर पढ़ी है कि राजस्थान के एक जिले में एक सी.एम.ओ. ने अपने जिले में यह कह दिया कि यहां जेनेरिक दवाइयां ही बांटी जाएंगी। क्या यह सारे देश में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि, गरीब व्यक्ति के लिए चिकित्सा बहुत महंगी हो रही है? अगर किसी की टांग दुखती है तो उसमें चेक-अप के नाम पर उसके बाजू को भी चेक किया जाता है, सिर को भी चेक किया जाता है। आज दवाइयां बहुत महंगी हो गयी हैं। जैसे राजस्थान के एक जिले में जेनेरिक दवाइयां दी जा सकती हैं, अगर ऐसा सारे देश में हो जाए तो गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां मिल पाएंगी, क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम स्पीकर, पहली बात तो यह है कि एंटी माइक्रोबियल डिज़ीजेज लगातार बढ़ रही हैं। वर्ष 2005 से इस बात को नोटिस किया गया और वर्ष 2010 में इसके लिए एक टास्क फोर्स बनायी गयी। उस टास्क फोर्स के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस आयीं और उन रिकमेंडेशंस को ध्यान में रख कर नेशनल प्रोग्राम फोर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस और नेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, इनके ऊपर जोर दिया गया। हमारे यहां इरेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स बहुत हुआ। इसके कारण इन डिज़ीजेज में निरंतर बढ़ावा हुआ है।

इसके साथ-साथ इनकी जो दवाइयां हैं, इसके लिए हम लोगों ने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपनी तरफ से बहुत-सी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया, जिसमें डॉक्टरों को यह सजेस्ट

किया गया है कि हम रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स और जेनेरिक मेडिसिन्स, दोनों पर जोर दें। इसे हम रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक इनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। हम यह कहते तो हैं कि हम जेनेरिक मेडिसिन्स यूज करें, लेकिन हम देखते हैं कि जब इन्हें यूज करने की बात आती है तो हम खुद भी ब्रांडेड मेडिसिन्स की तरफ जाते हैं, जो महंगी होती हैं। इसलिए इस पर एक इनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। हम इस पर कंटीन्यूड मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाए, इसके बारे में अवेयरनेस पैदा की जाए। डॉक्टरों के बीच में, मेडिकल फ्रैटरनिटी के बीच में भी इसके बारे में समय-समय पर कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप्स के माध्यम से हम उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वे जेनेरिक मेडिसिन्स के यूज को बढ़ाएं। लेकिन ओवरऑल इनवायरनमेंट बनाना सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा, इसलिए हमें सभी लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। उसमें हमें आप सब लोगों की भी मदद की आवश्यकता होगी। कल ही एक प्रश्न आया, जहां हम सी.जी.एच.एस. की तरफ से जेनेरिक मेडिसिन देने की बात कर रहे हैं। हमारे ही बहुत से मित्रों ने उस बात को थोड़ा सा दूसरे रूप में लिया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जेनेरिक दवाओं का प्रस्ताव करें और उनका समर्थन करें। उसमें हमें सब लोगों का साथ चाहिए।

[अनुवाद]

डॉ. के. कामराज : धन्यवाद, महोदया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बाजार में नकली दवाइयों की उपलब्धता के बारे में पूछना चाहूंगा। जैसा कि ज्ञात है, छत्तीसगढ़ में नकली दवाइयों के कारण नसबंदी कराने के दौरान मौतें हुई थीं। वे दवा बाजार में कैसे आई?

एक और बात यह है कि नसबंदी कराने वाले मरीजों के इलाज में प्रयोग होने वाली एक नकली दवा सिप्रोफ्लोक्सासिन है। एक डॉक्टर के रूप में मुझे पता है कि सिप्रोफ्लोक्सासिन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर यह कैसे हुआ कि एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सिप्रोफ्लोक्सासिन का उपयोग किया गया?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदय, जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, नकली दवाओं [हिन्दी] के लिये हम लोग हमेशा रेगुलेट कर रहे हैं हमारे यहां ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया उसको देख रहे हैं। स्टेट्स की इसमें कोऑपरेशन की आवश्यकता है कि स्टेट भी कोऑपरेट करें। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए जितना भी प्रयासरत होने की आवश्यकता है, वह हम कर रहे हैं। इन्होंने जो एक मैडीसिन का प्रश्न किया है, उसके लिए अगर अलग से प्रश्न करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा।

[अनुवाद]

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत : महोदया, इन दिनों एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक और बिना सोच-समझ के उपयोग के कारण मल्टी-ड्रग प्रतिरोध एक प्रमुख कारण बन गया है। हम आमतौर पर देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार बुखार या किसी अन्य संक्रमण से पीड़ित होता है, तो वह डॉक्टर के पास जाता है और कुछ दवाइयां लेता है। अगली बार जब उसे बुखार होता है, तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाता। वह दवाइयों की स्ट्रिप लेकर सीधे फार्मासिस्ट के पास जाता है और दवाइयां ले लेता है। यह एक कारण है कि मल्टी-ड्रग प्रतिरोध पैदा होता है। एक सरकारी अधिसूचना है जिसमें कहा गया है कि फार्मासिस्ट को केवल डॉक्टर द्वारा दिए गए पर्चे पर लिखी हुई दवाइयां देनी चाहिए; लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। यही देखा गया है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई कड़ी नीति बनाने जा रही है, जिसके तहत फार्मासिस्ट को केवल डॉक्टर के पर्चे पर लिखी हुई दवाइयां देने की अनुमति हो और वह डॉक्टर का नाम, पंजीकरण संख्या और निर्धारित दवाइयों का रिकॉर्ड रखे? धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, मैंने कहा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स चल रहा है, उसमें हमारी यह कोशिश चल रही है कि सभी लोगों के बीच में इस बात को ध्यान में रखा जाए लेकिन टास्क फोर्स बनाने के के पश्चात एच वन शेड्यूल में कुछ मेडिसिन्स को हम लोगों ने रखा है जो बिना लिखित

निर्देश ,मरीज का नाम, और किस दवा की दुकान या किस औषधि केंद्र वह मैडीसिन दी गई है, किस को दी गई है, यह रजिस्टर पर एंटी करने की आवश्यकता है। डाक्टर के प्रैसक्रिप्शन के बगैर वह नहीं किया जा सकता। इस मैडीसिन पर भी स्पेशल लेबल लगाना पड़ता है, जिसमें रैंड से आर.एक्स. लिखना पड़ता है। यह मैडीसिन विदाउट प्रैसक्रिप्शन नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (नाग) : महोदया, हाल ही में, विवादित दवाइयों पर प्रतिबंध लगाना समय की मांग बन गया है। कुछ समय पहले, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने छह विवादास्पद दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का एक सराहनीय निर्णय लिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं कह सकती हूँ कि एंटीबायोटिक एक विशिष्ट दवाई है। मुझे इसके प्रभाव का व्यक्तिगत अनुभव है।

क्या माननीय मंत्री जी एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बारे में जवाब देंगे कि एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर मंत्रालय की सोच क्या है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: क्या आप कृपया अपना प्रश्न दोहरा सकती हैं? मेरी समझ में नहीं आया है।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपना प्रश्न फिर से पूछें। उन्होंने इसे नहीं समझा।

डॉ. रत्ना डे (नाग) : क्या माननीय मंत्री जी एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर जवाब देते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर मंत्रालय की सोच क्या है?

मैं यहां पर एक बात जरूर कहूंगी। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह जेनेरिक दवा है। यह जेनेरिक दवा नहीं है, यह जेनेरिक नाम है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, सबसे पहले हम इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट हैं। हमने यह प्रस्तावित किया है कि दवाइयों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए। हम जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जेनेरिक दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं।

(प्रश्न संख्या 83)

श्री पी.के. बीजू : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हम विश्व में हथियारों के आयात में पहले स्थान पर हैं। हम विश्व के कुल हथियार आयात का 12 प्रतिशत योगदान कर रहे हैं। यूएई, चीन और अन्य देश हमारे मुकाबले बहुत पीछे हैं हथियारों के आयात में। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार, हम हर साल हथियारों के आयात पर लगभग 8,283 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करते हैं।

मंत्री जी द्वारा सदन में दी गई जानकारी के अनुसार, हमने 2012-13 में 30,370.80 करोड़ रुपये और 2013-14 में 93,260.93 करोड़ रुपये विदेश से हथियार आयात करने पर खर्च किए।

मैं आपके माध्यम से, यह जानना चाहता हूँ कि आयात पर खर्च को कम करने और हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने वाले हैं। हमने मंगल ग्रह की ओर अपना अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, हमने स्वदेशी हथियार भी उत्पादित किए हैं, लेकिन हमारा निर्यात शून्य है।

श्री मनोहर पर्रिकर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी के आंकड़ों को सही करना चाहूंगा। मुझे लगता है उन्होंने आंकड़े गलत तरीके से जोड़े हैं। यह 30,370.80 करोड़ रुपये और 38,202.66 करोड़ रुपये है। 93,260.93 करोड़ रुपये का आंकड़ा कुल खरीद का है।

सरकार ने पहले ही आयातित सामग्री पर निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए, जब से यह सरकार सत्ता में आई है, हमने डीएसी द्वारा दी गई एओएन (स्वीकृति पत्र) को मंजूरी दी है।...

(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: ए.ओ.एन. और डीएसी क्या हैं?

श्री मनोहर पारिकर: यह 'आवश्यकता की स्वीकृति' और रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) है। खरीद (भारतीय) श्रेणी के तहत 48,417 करोड़ रुपये और 'खरीद और निर्माण (भारतीय)' श्रेणी में 17,270 करोड़ रुपये जोड़ने से यह कुल 65,000 करोड़ रुपये हो जाता है, जो मुख्य रूप से स्वदेशीकरण की दिशा में है। 'खरीद (वैश्विक)' और 'खरीद और निर्माण (वैश्विक)' के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुझे लगता है, इस आंकड़े से सरकार की मंशा स्पष्ट है।

निर्यात के मामले में भी हमने उचित बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह मुख्य रूप से अस्त्र और शस्त्र से संबंधित है। यह तय करने के लिए एक उचित तंत्र होना चाहिए कि किससे आयात करना है और किन वस्तुओं का आयात करना है। वस्तुओं को भी संवेदनशीलता सूची में सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होगी और देशों को भी संवेदनशीलता सूची में सूचीबद्ध की आवश्यकता है। इसलिए, इन दोनों कार्यों को शुरू किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हथियारों के निर्यात पहले ही एक प्रोत्साहन प्राप्त कर चुका है, और वास्तविक निर्यात में कुछ समय और लग सकता है। यह पहले से ही छोटे पैमाने पर हो रहा है, और समय के साथ इसमें वृद्धि होगी।

श्री पी. के. बीजू : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह कहता है , "सभी रक्षा उपकरण, जिन्हें सशस्त्र बलों द्वारा खरीदा जाता है, अनुबंध से पहले व्यापक फील्ड परीक्षणों से गुजरते हैं। अनुबंध के बाद, दोष और विश्वसनीयता से संबंधित समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए पूर्व प्रेषण निरीक्षण (पी.डी.आई.) और संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण (जे.आर.आई.) की एक संस्थागत प्रणाली लागू है।"

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील और टाट्रा ट्रक घोटाला, जो पूर्व में घटित हुए थे, की वर्तमान स्थिति क्या है?

श्री मनोहर पारिकर: महोदया, यह सौदा रद्द किया जा चुका है। संपूर्ण मामले की जांच प्रगति पर है और वर्तमान में यह जांच अपने उन्नत चरण में पहुँच चुकी है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, आज विश्व भर में लगातार बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, देश के सामने सुरक्षा बनाए रखने की कई चुनौतियां हैं। इसके तहत, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी है तो इनकी परिपूर्ति के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है?

श्री मनोहर पर्रिकर : मुझे लगता है कि इसके बारे में डिटेल्स "एनैक्सचर-3" में ऑलरेडी लिस्टेड हैं कि 'देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उठाये गए कदम' जो चीजें हम लोग देश में बना सकते हैं उनको ज्यादा पुश करने की सरकार की इच्छा है क्योंकि [अनुवाद] क्योंकि सरकार का प्रयास 'खरीद (भारतीय)' या कम से कम 'खरीद एवं निर्माण (भारतीय)' पर विशेष बल देने का है। फिर भी, कुछ ऐसे उपकरण या सामग्री हैं, जिनका देश में निर्माण आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। ऐसे मामलों में हमें वैश्विक आपूर्ति पर निर्भर रहना होगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2011 में घोषित रक्षा उत्पादन नीति का पालन किया जा रहा है। दूसरी ओर, सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए द्वार खोल रही है। मुझे नहीं पता कि एफडीआई रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण नीति के साथ विरोध में है या नहीं।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार 'खरीद भारतीय', 'खरीद और निर्माण भारतीय' और 'निर्माण' जैसे विकल्पों को बढ़ावा दे रही है, ताकि रक्षा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता मिले और विदेशी खरीद पर कम निर्भर रहना पड़े।

क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं कि 'खरीद और निर्माण' (तकनीकी हस्तांतरण के साथ) भारतीय रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत एक प्रमुख श्रेणी है, जिसका उद्देश्य विदेशी मूल उपकरणों का घरेलू निर्माण प्रोत्साहित करना है? यह पहला बिंदु है। लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रबंधन के बारे में, चाहे वह 'खरीद और निर्माण' जैसे खरीद और निर्माण अनुबंधों में हो, या सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन अनुबंधों में हो, जैसे 'निर्माण' मामले, या डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित

तकनीकों का लाइसेंस देने में, क्या यह अभी तक एक अनसुलझा मुद्दा है? अगर हां, तो इस बारे में आपके विचार क्या हैं, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है?

श्री मनोहर पर्रिकर: मुझे लगता है कि यह प्रत्येक विशिष्ट मामले के आधार पर तय किया जाएगा। 'मेक इंडिया' की तुलना में बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में बोलना बहुत मुश्किल होगा। 'मेक इंडिया' के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकार पर बात करना बहुत कठिन होगा। स्पष्ट रूप से, यदि कोई भारतीय कंपनी कोई उत्पाद विकसित करती है, तो वह बौद्धिक संपदा अधिकार चाहती है, लेकिन यह अधिकार देश के भीतर ही होगा। विदेशी आपूर्ति या वैश्विक आपूर्ति में भी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित समस्याएं होती हैं। हम विदेशी हिस्सों को 'जुगाड़' या किसी अन्य तरीके से नहीं बना सकते, जब तक कि हमारे पास उनसे लाइसेंस न हो। इसलिए, आई.पी.आर. के मुद्दे सभी प्रकार के मामलों में होते हैं। प्रत्येक मामले को अलग-अलग तरीके से निपटाना होगा।

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

माननीय मंत्री जी ने अपनी प्रतिक्रिया में खरीद में स्वदेशी और आयातित घटकों से संबंधित कुछ आंकड़े पेश किए। हालांकि आंकड़े सही हो सकते हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं और वास्तव में यह भ्रामक हैं। मेरा सवाल यह है कि स्वदेशी खरीद में, उदाहरण के तौर पर, आंकड़े यह दिखाते हैं कि सेना में स्वदेशी खरीद 93 प्रतिशत है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। वहीं, नौसेना में यह 43 प्रतिशत है और वायु सेना में यह 48 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, हमारी 59 प्रतिशत खरीद स्वदेशी है। हमें वास्तव में इस पर गर्व होना चाहिए।

लेकिन ये आंकड़े कुछ अन्य तथ्यों को छिपाते हैं, जैसे कि स्वदेशी उत्पादों में, मुझे पता है कि कई घटक, उदाहरण के लिए, मैं मान रहा हूँ कि अधिकांश मिसाइलें जो स्वदेशी के रूप में दिखती हैं, वे मुख्य रूप से हैदराबाद, तेलंगाना में बनाई जाती हैं। लेकिन मुझे यह निश्चित रूप से पता है कि मिसाइल में जो सभी घटक शामिल होते हैं, वे अधिकांशतः आयात किए जाते हैं। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो स्वदेशी श्रेणी दिखाई है, उसमें आयातित घटक कितने हैं? उदाहरण के लिए, सभी इन्शियल गाइडेंस सिस्टम्स में, वास्तविक

सेंसर पूरी तरह से आयातित होते हैं। मैं 100 ऐसे घटक बता सकता हूँ जो 100 प्रतिशत आयातित होते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि आंकड़े बताते कम हैं और छिपाते अधिक हैं। तो क्या हम अपनी सभी रक्षा खरीदों में, जिसमें आप स्वदेशी उत्पादों के रूप में जो घटक खरीद रहे हैं, उनके वास्तविक आयातित घटकों का खुलासा कर सकते हैं?

श्री मनोहर पर्रिकर: मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आंकड़े हमेशा उतना नहीं दिखाते जितना वे छिपाते हैं। यह आंकड़ों का मूल सिद्धांत है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि जब हम 'स्वदेशी' कहते हैं, तो इसका मतलब है कि इसे यहाँ पर निर्मित किया गया है, और अधिकांश मामलों में, इसमें 50 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण है, और कई मामलों में यह 70, 80 और 90 प्रतिशत तक है। महोदया, 100 प्रतिशत स्वदेशीकरण बहुत कम वस्तुओं में है। मैं इससे सहमत हूँ। स्पष्ट रूप से, चूँकि आंकड़े केवल आयात और भारत में निर्माण के बीच विभाजित किए जा रहे हैं, आपको इसके उप-घटक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्चस्त करना चाहता हूँ कि मैंने इस पर ध्यान केंद्रित किया है और हम समय के साथ स्वदेशी सामग्री को सुनिश्चित करेंगे। वास्तव में, मैंने जो पहले कुछ संकेत दिए हैं, वे डी.आर.डी.ओ. और अन्य सभी निर्माताओं, विशेष रूप से रक्षा पीएसयू को दिए गए हैं कि उन्हें स्वदेशी घटक को बढ़ाते रहना चाहिए। इसकी एक सीमा होती है। स्पष्ट रूप से, कुछ तकनीक और कुछ घटक ऐसे हो सकते हैं जिन्हें भारत में बनाना आर्थिक रूप से संभव नहीं हो सकता या जो उपलब्ध नहीं हो सकते। लेकिन हम निश्चित रूप से स्वदेशी सामग्री को सुधारेंगे।

प्रो. सौगत राय: महोदया, मैं रक्षा मंत्री जी को इतनी स्पष्टता से बोलने के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने नया कार्यभार संभाला है। मुझे समझ में आता है कि रक्षा मंत्रालय एक कठिन स्थिति में है। एक ओर, स्वदेशीकरण के हमारे प्रयासों में सभी में समय अधिक लग रहा है। उदाहरण के लिए, हल्के युद्धक विमान में कई वर्षों की देरी हुई है। मध्यम युद्धक टैंक में भी कई वर्षों की देरी हुई है। केवल मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान कुछ हद तक सफल रहा है। इस बीच, जब से यह सरकार सत्ता में आई है, सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत

एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस स्थिति का सामना करते हुए, सरकार अब जेट विमानों को अंतिम रूप दे रही है।

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्रश्न पूछें।

प्रो. सौगत राय : मैं बस एक मिनट में प्रश्न पूछता हूँ।

अब आप फ्रांस से वायु सेना के लिए राफेल जेट को लेने के लिये अंतिम विचार कर रहे हैं। आपने वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा रद्द कर दिया है और अब आप अमेरिका से सिकोरस्की हेलीकॉप्टर को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दीर्घकालिक रणनीति क्या है? क्या आप स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की खरीद में देरी हो सकती है? या फिर, क्या आप विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मदद से एक मजबूत निर्माण आधार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं?

श्री मनोहर पर्रिकर: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां रक्षा अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है और लगभग अंतिम स्थिति में है, वहां हम आरपीएफ के दायरे में रहकर ही कार्य करेंगे। आरपीएफ के मानकों के अंतर्गत हम अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और कुछ घटकों का निर्माण भारत में करने की दिशा में कदम उठाएंगे।

प्रो. सौगत राय: आर.एफ.पी. का क्या अर्थ है?

श्री मनोहर पर्रिकर: आर.एफ.पी. का अर्थ उन प्रस्तावों का अनुरोध है जो स्थानीय स्तर पर एक निविदा प्रक्रिया है। अतः, आर.एफ.पी. के निर्धारित मानकों के अनुसार, जब अधिग्रहण प्रक्रिया लगभग समाप्ति के चरण में हो, तो इसे रद्द करना और फिर से शुरू करना व्यावहारिक नहीं होगा। इसके बजाय, हम आर.एफ.पी. पर कायम रहेंगे और उन लाभों का विस्तार करने की कोशिश करेंगे जो हम भारत में पुर्जों के निर्माण के लिए आर.एफ.पी. के दायरे में प्राप्त कर सकते हैं या इसके बारे में हम जो कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक नए अधिग्रहण का संबंध है, मैं बहुत स्पष्ट हूँ और हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद 75,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव में से जो डी.ए.सी. द्वारा मंजूर किए गए हैं, वो 65,000 करोड़ रुपये के हैं

यानी लगभग 80-82 प्रतिशत 'खरीद भारतीय' और 'खरीद और निर्माण भारतीय' अधिग्रहण के लिए हैं। अतः, सरकार का जोर स्वदेशी उत्पादन क्षमता के विकास पर है, जहां भी निजी क्षेत्र की भागीदारी संभव हो।

प्रो. सौगत राय: एफ.डी.आई. के बारे में क्या?

श्री मनोहर पर्रिकर : एफ.डी.आई. 49 प्रतिशत है। निर्मला जी और जेटली जी ने पहले ही बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि 49 प्रतिशत तक की अनुमति है।

(प्रश्न संख्या 84)

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार: अध्यक्ष महोदया, सरकार के एक सर्कुलर द्वारा सीजीएचएस कि डिसपेंसरी वही दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराती हैं जो उनके द्वारा जारी की गई लिस्ट में शामिल हो। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट डॉक्टर ब्लड प्रेशर या डॉयबिटीज के लिए कोई टेबलेट लिखते हैं जिसमें दो-तीन सॉल्ट होते हैं तो सीजीएचएस वाले एक टेबलेट की बजाए दो या तीन टेबलेट देते हैं क्योंकि जेनेटिक टेबलेट में दो या तीन सॉल्ट हो ही नहीं सकते, तर्क यह दिया जाता है कि जेनेटिक दवाइयां सस्ती हैं। डॉक्टरों ने भी जेनेटिक दवाइयों की अनफार्मिटी एवं क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं। सस्ती दवाइयों के नाम मरीजों की जिन्दगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। महोदया, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या सरकार सीजीएचएस डिसपेंसरी द्वारा बीपी, डॉयबिटीज या दूसरी अन्य बीमारियों के लिए भरोसेमंद टेबलेट जिसमें दो या तीन साल्ट हों और डॉयबिटीज के इंजेक्शन मुहैया कराने के लिए सीजीएचएस डिसपेंसरी ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको छोटा प्रश्न पूछना चाहिए। मंत्री जी आपकी बात समझ गए।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, जो इन्होंने चिंताएं व्यक्त की हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए इस इश्यू को मंत्रालय फिर से रि-विजिट कर रहा है और एक डॉयरेक्टर जनरल सीजीएचएस के नेतृत्व में एक कमेटी फार्म करके एक महीने में हम हम परिणाम के साथ आएंगे नया नोटिफिकेशन के साथ हम इन सारी चीजों को और मैं अपने सांसद भाइयों और मित्रों से भी निवेदन करूंगा कि अगर उनके कुछ सुझाव हों तो वे मुझे दे सकते हैं। इसका ध्यान रखा जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि अब सेंकेंड सप्लीमेंटरी तो नहीं होगी।

श्री आश्विनी कुमार : महोदया, सरकारी क्षेत्र में दवाइयां बनाने वाली कंपनियां जैसे इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स और बंगाल केमिकल्स लंबे समय से बंद

पड़ी हैं। क्या सरकार इन कंपनियों को फिर से चालू करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है? जिससे मरीजों को कम कीमत पर जरूरी दवाइयां उपलब्ध करायी जा सकें।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। वे अलग से प्रश्न करें तो उन्हें जरूर जवाब दिया जायेगा।

[अनुवाद]

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : माननीय अध्यक्ष महोदया, दवाइयां एकमात्र वस्तुएं हैं जिनकी खरीद का निर्णय खरीदार नहीं, बल्कि प्रिस्क्राइबर, यानी डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। अधिकांश मामलों में, डॉक्टर और उत्पादक मिलकर मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं।

साथ ही, वर्तमान राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, (एन.पी.पी.ए.) का नई पेटेंट दवाओं के मूल्य निर्धारण पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आधुनिक कीमतों पर बेचा जा रहा है ताकि कई जीवन-रक्षक दवाएं गरीबों के लिए सस्ती न हों। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या वे तमिलनाडु में अपनाए जा रहे मॉडल को अपना सकते हैं जहां राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा सीधे निर्माताओं से थोक में जेनेरिक दवाओं की खरीद की जाती है और आम जनता को आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मुफ्त में आपूर्ति की जाती है।

देश भर में कई जेनेरिक दवा स्टोर बंद पड़े हैं। सभी दवाओं को उनके जेनेरिक नामों से उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है। सरकार कम से कम *तहसील* स्तर तक नए जेनेरिक दवा स्टोर खोलने और जेनेरिक दवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएगी?

[हिन्दी]

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, वैसे तो यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी जैसा मैंने कहा कि जेनेरिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल होना, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स को प्रोपैगेट करना, यही दो तरीके हैं।

इन्होंने तमिलनाडु मॉडल के विषय में कहा है तो बहुत से स्टेट्स ने उसे अपने यहां इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। केन्द्र सरकार के स्तर पर हम लोग अपने ढंग से उसकी मूल भावना को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री धर्मवीर गांधी : मैं सभी सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बाजार में दवाएं दो नामों - जेनेरिक नाम और ब्रांडेड नाम के तहत बेची जाती हैं। जेनेरिक नाम में बेची जाने वाली दवाओं की कीमतें वास्तव में लागत की तुलना में बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, दस गोलियों की स्ट्रिप पर लिखी गई कीमत 84 रुपये है जबकि हम इसे केवल 9 रुपये या 10 रुपये में प्राप्त कर लेते हैं इसलिए, जेनेरिक दवाओं की बिक्री में भी मार्जिन 800 प्रतिशत है। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री धर्मवीर गांधी : प्रश्न यह है कि यदि जेनेरिक दवाइयाँ उपभोक्ताओं को सस्ती दी जानी चाहिए, तो उन्हें उसी दर पर मूल्यित किया जाना चाहिए, जिस दर पर हम इन्हें बाजार से प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य अगर ऐसे कैसेज ध्यान में लाएंगे तो मंत्रालय उसे जरूर देखेगा।

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर: माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रश्न में हम ब्रांडेड नामों और जेनेरिक नामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए यह ब्रांडेड नाम या जेनेरिक नाम का प्रश्न नहीं है। हमारे समाज में, अब सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कैंसर है। हमारे राज्य में भी कैंसर के रोगी दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।

महोदया, कैंसर का इलाज और उपचार संभव है, लेकिन एक मरीज बिना उचित दवाइयां प्राप्त किए एंटी-कैंसर दवाइयां कैसे खरीद सकता है और ठीक हो सकता है? अधिकांश गरीब मरीज कैंसर से मर रहे हैं।

इसलिए, मैं जानना चाहूंगी कि क्या माननीय मंत्री जी और सरकार कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त दवा प्रदान करने के लिए तैयार है, जैसे कि भारत सरकार तपेदिक, कुष्ठ रोग और कई अन्य बीमारियों के लिए प्रदान कर रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार गरीब परिवारों से संबंधित कैंसर मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां प्रदान करने के लिए तैयार है?

[हिन्दी]

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार कैंसर के अर्ली डाइग्नोस के लिए प्रयासरत है। पीएचसी और सीएचसी लैवल पर स्ट्रेंथन करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही जो थेरेपी देते हैं, हमारा उद्देश्य उस थेरेपी की दृष्टि से भी टरशरी केयर सेंटर पर स्ट्रेंथन करना है। इसके लिए हमने इंस्टीट्यूशन को सैलेक्ट किया है और इसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं।

जहां तक मेडिसिन्स का सवाल है, हमारी कोशिश है कि मेडिसिन्स को रेगुलेट कर सकें, ताकि चीपर कॉस्ट पर मेडिसिन्स मिल सकें। अभी तक यह व्यवस्था की गई है। आपने जो कहा है, हम इस विषय पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: माननीय अध्यक्ष महोदया, सीजीएचएस की शुरुआत 1954 में की गई थी, लेकिन आज भी सीजीएचएस की सुविधाएं केवल 26 शहरों में ही उपलब्ध हैं। क्या सरकार यह मानती है कि छोटे कस्बों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस की सुविधाएं आवश्यक नहीं हैं?

जैसा कि हम जेनेरिक दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतियां बनाई गई हैं क्योंकि लोगों को जेनेरिक दवाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है?

[हिन्दी]

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने कहा है कि हम जैनरिक ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए कैपिसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और वर्कशाप्स के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम ला रहे हैं। कन्टीन्युड मेडिकल एजुकेशन द्वारा भी इसे किया जा रहा है। हम इन्फार्मेशन के बारे में आपस में चर्चा करके इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं।

जहां तक सी.जी.एच.एस. का संबंध है, हम अपने संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से बढ़ा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि समयबद्ध तरीके से इसे करें।

(प्रश्न संख्या 85)

श्री संजय धोत्रे : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जन-धन योजना की घोषणा की और 28 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ। पहले ही दिन करीब पौने दो करोड़ से ज्यादा लोगों ने खाते खोले, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सरकार का 26 जनवरी तक साढ़े सात करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य है। जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी तक करीब छः करोड़ लोगों ने खाते खोले हैं। यह लक्ष्य निश्चित ही पूरा होगा। पहले फेज़ में 2000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव हैं। यहां सब जगह बैंक की शाखाएं भी उपलब्ध हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद का काम हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि, कई छोटे गांव, दूरदराज के इलाकों में बैंकों की ब्रांचेज़ नहीं है, बिजली और एटीएम भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार की क्या योजना है और यह लक्ष्य कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 15 अगस्त, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को आरंभ किया था। सरकार का 26 जनवरी, 2015 तक साढ़े सात करोड़ घरों तक पहुंचने का टारगेट है। अब टारगेट यह है कि कम से कम इस अवधि में हम दस करोड़ नए लोगों के खाते खोलने का प्रयास करें। प्रतिदिन देश में जितनी बैंक की ब्रांचेज़ हैं, वे इसका प्रयास कर रही हैं। अभी तक जो जानकारी आई है, उसे हम लगभग रोज अपडेट करते हैं। आपने साढ़े छः करोड़ का जिक्र किया है, अब यह आंकड़ा उससे आगे निकल चुका है। एक-दो दिन पहले तक यह आंकड़ा 7.98 करोड़ तक पहुंच गया है। हम उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी तक हम दस करोड़ खातों का टारगेट अचीव कर पाएंगे, जिसमें साढ़े सात करोड़ हाउसहोल्ड्स होंगे।

आपने यह कहा कि जो दो हजार की जनसंख्या वाले गांव हैं, वहां तक हमारी योजना है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो स्वाभिमान नाम की पुरानी योजना थी, जिसे यू.पी.ए. सरकार ने शुरू किया था, उसमें जो टारगेट था, वह यह था कि जो दो हजार जनसंख्या वाले गाँव हैं, वहाँ पर हम लोग एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट बैठा दें और उसके माध्यम से हम लोग उस गाँव तक पहुँचें। इस योजना में अंतर यह है कि हम गाँव को यूनिट नहीं मान रहे

हैं, हम प्रत्येक घर को और व्यक्ति को यूनिट मान रहे हैं। इसलिए यह घर तक पहुंचने का प्रयास है। आपने कहा कि यह ब्रांचेज खोलने की बात है, तो अभी भी जो ट्रेडिशनल ब्रांचेज हैं, जिसे हम ब्रिक एंड मोर्टर ब्रांचेज कहते हैं। काफी हद तक वह पहुंच पाती हैं और जहाँ वह नहीं पहुंच पाती तो वहां पर यदि बिजनेस कॉर्रेसपॉण्डेंट पहुंच जाएं, इसलिए बैंकिंग सेवा पहुंचाने के अन्य तंत्रों को हम लोग आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में आज तक कई योजनाएँ आर्यी और खासकर जो योजनाएँ गरीबों और पिछड़ों के लिए होती हैं, उनमें पात्र लाभार्थियों से ज्यादा लाभ अपात्र लाभार्थी उठाने की कोशिश करते हैं। इसी सदन में हमने कई बार सुना है कि बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स में कई अमीर और करोड़पति लोग शामिल हैं। ऐसी शिकायतें हर जगह से आती हैं। इसी तरह इस योजना में भा हो सकता है। इस योजना के जो लाभ हैं, 30 हजार रुपए तक का जीवन बीमा कवर है, रूपे कार्ड है, इन लाभों को देखते हुए भी कई लोग खाते खोल सकते हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो इसमें एजेंट बनने को भी तैयार हो जाते हैं। इसके लिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार की क्या योजना है?

श्री अरुण जेटली : बैंकिंग शाखाओं के माध्यम से इस काम को किया जा रहा है। इसका दुरुपयोग न हो, एक व्यक्ति दो-दो खाते न खोल सके या कुछ लोग इसका नाज़ायज लाभ उठाने की कोशिश न करें, बैंक-ब्रांचेज इस काम को देखती हैं। जिस प्रकार के लाभ इसमें दिये जा रहे हैं, वह इन लोगों के लिए एक प्रोत्साहन बन जाता है, विशेष रूप से उनके लिए जो समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं, ताकि वहाँ तक वे लोग पहुंच पाएं। आपने ठीक कहा कि इसमें खाता खोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक रूपे कार्ड दिया जाता है, उसके माध्यम से भी वह अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। उस कार्ड के माध्यम से बैंक यह तय करता है कि इसकी क्या क्षमता है। उसके आधार पर छः महीने के बाद उसे पाँच हजार रुपए का ओवर ड्राफ्ट भी मिल सकता है। इसका ओवर ड्राफ्ट उठाने का काम अक्सर वह करेगा, जिसके लिए पाँच हजार रुपया एक बड़ी संख्या की राशि है। इसके आतिरिक्त एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो पहले भी उपलब्ध होता था, उसे और एक्सपैंड करके इस अवधि काल में जो नये अकाउंट खोल रहे हैं, उनको यह लाभ देने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमने 30

हजार रुपए तक का जीवन बीमा नया जोड़ा है, जिसका फाइनेंशियल इंकलूजन यह है कि वह उसके लिए एक इंसेंटिव बन जाए, प्रोत्साहन बन जाए और उसका फैलाव देश में और तेजी से हो। ये आंकड़े, जहाँ तक हम पहुंच रहे हैं, इन इंसेटिव्स की वजह से पहुंच पा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी : धन्यवाद, महोदया। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत क्या छोटे विक्रेता, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंक खाता खोल चुके हैं, तुरंत ऋण प्राप्त करने के योग्य होंगे? क्या बैंक उन्हें उनके बैंक खातों में ऋण का अंतरण करेंगे?

श्री अरुण जेटली : महोदया, ऋण या अन्य बैंकिंग सुविधाओं का लाभ जैसा कि मैंने कहा जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा, सभी के लिए उपलब्ध होगा। अन्य सभी बैंकिंग सुविधाएं - उसका खाता उसका अधिकार होगा; उसका रूपे कार्ड उसका अधिकार होगा; और उसका लाइसेंस बीमा और उसका दुर्घटना बीमा उसका अधिकार होगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

लेकिन अन्य बैंकिंग सुविधाओं, ओवरड्राफ्ट और ऋण आदि के पात्र होने के लिए, जैसा कि आपने उल्लेख किया है, हमने बैंकों से उदार दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया है। वे हमेशा देखेंगे कि क्या यह एक परिचालन खाता है जो पिछले छह महीने से संचालित हो रहा है और उन संचालन की गुणवत्ता के आधार पर, बैंक तय करेंगे कि वास्तव में उन ऋणों के लिए कौन पात्र है। हमारे पास ऐसी व्यवस्था भी नहीं है जहां हम एक ओर वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करें और दूसरी ओर बैंकों को ऋणग्रस्तता में धकेलें। हमें इस स्थिति से भी सावधान रहना होगा।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मैं इसमें एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। जो प्रश्न-सी है, उसके तहत और आपने अभी हमें जो बताया है कि 30 हजार रुपये लाइफ इंश्योरेंस में मिलेंगे, वर्तमान प्रावधान के अलावा रु. 30,000 दुर्घटना राहत के लिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसमें हम हर फैमिली को 30 हजार रुपये हर साल देने का प्राविजन था। उसमें हर साल उसको 30 हजार रुपये मिलते हैं। अगर उसकी आयु 60-70 वर्ष मानी जाए तो जो भी अनआर्गनाइज्ड वर्कर्स हैं, बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, इन सभी लोगों को उसका फायदा मिलता था। क्या यह फायदा आरएसवीवाय में भी रहेगा और जो 30 हजार रुपये आप एडिशनल दे रहे हैं, वह क्या है, उसे क्लैरिफाई कर दीजिए ताकि लोगों ने कन्फ्यूजन न हो कि जिनको लाखों रुपये मिलते थे, वह कम होकर सिर्फ 30 हजार रुपये हो गए हैं।

माननीय अध्यक्ष : अगर आप शॉर्ट में रिप्लाई दे सकते हैं, तो दीजिए, अन्यथा बाद में भेज देंगे।

श्री अरुण जेटली : मैडम, हेल्थ इंश्योरेंस के बोर्ड में माननीय सदस्य ने जो पूछा है, वह अलग है। इस अवधिकाल में जो लोग एकाउण्ट्स खोल रहे हैं, उनको लाइफ इंश्योरेंस की फेसिलिटी इस एकाउण्ट की वजह से मिल रही है, उनके बाकी इंश्योरेंसेज और सरकार की अन्य योजनाओं से अलग है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 86 से 100
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150)

□ प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.01 बजे**सभा पटल पर रखे गए पत्र**

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।**वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 865/16/14)

- (2) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 64 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (मौद्रिक शास्त्र की वसूली की रीति) संशोधन, विनियम 2014 जो 30 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं आर-40007/रेग/रिकवरी /नोटि/04-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 866/16/14)

(3) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 63 की उप धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (चयन समिति का कार्यकाल तथा नाम तालिका के चयन की रीति) संशोधन नियम, 2014 जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 728 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति का कार्यकाल और नाम तालिका के चयन की रीति) संशोधन नियम 2014 जो 15 अक्तूबर, 2014 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 729(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 867/16/14)

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 868/16/14)

- (2) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की लेखापरीक्षित लेखे के साथ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 869/16/14)

(3) (एक) ई.ई.पी.सी. इंडिया (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ई.ई.पी.सी. इंडिया (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 870/16/14)

(4) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 871/16/14)

(5) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 872/16/14)

(6) एमएमटीसी लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 873/16/14)

(7) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 क की उप-धारा (2) के अंतर्गत बॉयलर परिचालक (संशोधन) अधिनियम 2014 जो 11 अगस्त 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सा.का.नि. 577(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 874/16/14]

(9) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2200 (अ) जो 2 सितम्बर 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थी तथा जिसके द्वारा 19 नवम्बर 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2953(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 875/16/14]

(10) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कॉफी बोर्ड (संवर्ग और भरती) नियम 2014 जो 20 मार्च 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.198 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 876/16/14]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा- पटल पर रखता हूँ-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (1) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2014 जो अधिसूचना सं. का.नि. 1418(अ) भारत के राजपत्र में 30 मई, 2014 अधिसूचना सं. का.आ. 1418 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2014 जो भारत के राजपत्र में 30 सितम्बर 2014 के अधिसूचना सं. का.आ. 2556 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 877/16/14]

(2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रति: -

- (1) सा.का.नि. 566(अ) जो 6 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे , तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उक्त अधिनियम की उक्त धाराओं अथवा नियमों अथवा किसी अन्य धारा के अंतर्गत जारी अथवा बनाई गई उक्त धाराओं अथवा किन्हीं अन्य अधिसूचनाओं, अनुदेशों, विनिर्णयों अथवा आदेशों के अंतर्गत बनाए गए अथवा बनाए माने गए नियमों में अधिसूचना के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के संबंध में संदर्भों को, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के संबंध में संदर्भों के रूप में माना जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (2) सेनवेट क्रेडिट (सातवां संशोधन) नियम, 2014 जो 25 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 615 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 878/16/14]

(3) सीमा- शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) सा.का.नि. 586(अ) जो 13 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट सीमलेस ट्यूबों और पाइपों को भारत में आयात करने पर प्रथम वर्ष 20 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 10 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 5 प्रतिशत (केवल 6 महीने के लिए) की दर से इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने की तारीख से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(दो) सा.का.नि. 623(अ) जो 28 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षोपाय महानिदेशालय द्वारा कराइ गई जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में विनिर्दिष्ट कार्बन चैन लेंथ के सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल के भारत में आयात पर 200 दिनों की अवधि के लिये 20 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(तीन) सा.का.नि. 571(अ) जो 8 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराइ गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सोडियम नाइट्रेट' के आयात पर आगे 5 वर्ष की और अवधि के लिये निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 587(अ) जो 13 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराइ गई सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक सिंगापूर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पलाईप्रोपलीन' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिये अर्थात् 29 जुलाई 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(पांच) सा.का.नि. 592(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सेफिट्रैक्सोन डिसोडियम हेमिहेप्टाहाइड्रेट-स्टेराइल' के आयात पर आगे 5 वर्ष की अवधि तक निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 664(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लास या सिरेमिक /पोर्सिलेन के इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स चाहे संयोजित अथवा असंयोजित' के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिये यानी 16 सितम्बर 2014 तक निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 673(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध निदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सल्फर ब्लैक' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिये निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 691(अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं. 89/2009/-सी. शु.में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 703(अ) जो 30 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध निदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट समीक्षा जांच के निष्कर्षों के अनुसरण में चीनी ताइपे और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फेनोल' के आयात अनंतिम प्रतिपाटन

शुल्क लगाये जाने की तारीख अर्थात् 16 मई 2014 से 5 वर्ष की अवधि के लिये निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 879/16/14]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) सा.का.नि. 335(अ) जो दिनांक 12 मई 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्याधीन अधिसूचना की अनुसूची 1 में वर्णित वस्तुओं को अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी समारोह में प्रदर्शित या इस्तेमाल करने हेतु भारत में आयात करने पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) द एफ.आई.सी.सी.आई./टी.ए.आई.टी.आर.ए. कारनेट, (प्रवेश पत्र तथा पोत परिवहन पात्र का प्रारूप) विनियम, 2014 जो 12 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 336 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा.का.नि. 565(अ) जो 6 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय यह उपबंध करना है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत जारी नियमों, अधिसूचनाओं, अधिदेशों, विनियमों, विनिर्णयों, अथवा आदेशों में मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त के सम्बन्ध में किसी सन्दर्भ को यथास्तिति प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त के सम्बन्ध में सन्दर्भ माना जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन इसी प्रकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जारी नियमों, अधिसूचनाओं, निर्देशों, विनियमों, निर्णयों या आदेशों में सीमा शुल्क आयुक्त के सम्बन्ध में किसी सन्दर्भ को यथास्तिति प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क आयुक्त के सम्बन्ध में किसी संदर्भ माना जाएगा।

(चार) सा.का.नि. 603(अ) जो 21 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं.12/2012/-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(पांच) सा.का.नि. 674(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई 1996 की अधिसूचना सं. 39/1996/सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(छह) सा.का.नि. 675(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु.में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(सात) सा.का.नि. 692(अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु.में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(आठ) सा.का.नि. 736(अ) जो 20 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012/सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(नौ) का.आ. 1841(अ) जो 15 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(दस) का.आ. 1857(अ) जो 17 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय

मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(ग्यारह) का.आ. 1925(अ) जो 31 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 -सी०शु० (एन.टी.), में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(बारह) का.आ. 2009(अ) जो 7 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(तेरह) का.आ. 2058(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 -सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(चौदह) का.आ. 2107(अ) जो 21 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(पंद्रह) का.आ. 2182(अ) जो 29 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 -सी०शु० (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(सोलह) का.आ. 2229(अ) जो 4 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय

मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(सत्रह) का.आ. 2344(अ) जो 15 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 -सी०शु० (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(अठारह) का.आ. 2439(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(उन्नीस) का.आ. 2561(अ) जो 30 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 -सी०शु० (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(बीस) का.आ. 2574(अ) जो 1 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(इक्कीस) का.आ. 2647(अ) जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 -सी०शु० (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(बाईस) का.आ. 2658(अ) जो 16 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(तेईस) का.आ. 2804(अ) जो 31 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 -सी०शु० (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(चौबीस) का.आ. 2830(अ) जो 5 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

- (5) उपर्युक्त (4) की मद सं(1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 880/16/14]

- (6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 567(अ) जो 6 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसका आशय यह उपबंध करना है कि वित्त अधिनियम 1994 के अंतर्गत जारी नियमों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, विनियमों, विनिर्णयों, अथवा आदेशों में मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के सम्बन्ध में किसी सन्दर्भ को, यथास्थिति, प्रधान मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के सम्बन्ध में सन्दर्भ माना जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(दो) सा.का.नि. 598(अ) जो 20 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(तीन) सा.का.नि. 613(अ) जो 25 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्तूबर, 2014 को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 114 के खण्ड (क), (ख) और (ग) के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

(चार) सेवाकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 25 अगस्त 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 614 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 881/16/14]

(7) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (बारहवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 2 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 632 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन तथा अंतरण) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 17 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 733(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 882/16/14]

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन -संघ सरकार (रेल) (2014 का संख्यांक 19)-रेल वित्त।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 883/16/14]

(दो) मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन -संघ सरकार (2014 का संख्यांक 20) मूल्यहास तथा क्रमिक अपाकरण भत्ता, राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 884/16/14]

(तीन) मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन -संघ सरकार (2014 का संख्यांक 21(अप्रत्यक्ष -कर-सीमा शुल्क)- विशेष आर्थिक ज़ोन (सेज)का कार्यनिष्पादन, राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 885/16/14]

(चार) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन -संघ सरकार (2014 का संख्यांक 22) अंतरिक्ष विभाग द्वारा डीटीसी सेवा के लिए सेटेलाइट क्षमता के प्रबंधन सम्बन्धी अनुपालन लेखा परीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 886/16/14]

(पांच) मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन -संघ सरकार (2014 का संख्यांक 24) हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 887/16/14)

(छह) मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन -संघ सरकार (2014 का संख्यांक 25) -अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 888/16/14)

(सात) मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन -संघ सरकार (रेल) (2014 का संख्यांक 26) -अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 889/16/14)

(आठ) मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन -संघ सरकार (2014 का संख्यांक 27) -अनुपालन लेखापरीक्षा -वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मंत्रालय /विभाग ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 890/16/14)

(नौ) मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन -संघ सरकार (2014 का संख्यांक 29) -(अप्रत्यक्ष कर -केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क तथा सेवाकर) केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क तथा सेवाकर, राजस्व विभाग में अभियोजन शास्तियों का प्रशासन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 891/16/14]

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2012-2013 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग 1 -समीक्षा) ।

(दो) वर्ष 2012-2013 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग 2 -विस्तृत विनियोग लेखे) ।

(तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग 12 विस्तृत विनियोग लेखे {अनुबंध-छ })।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 892/16/14]

अपराह्न 12.02 बजे**राज्य सभा से संदेश**

महासचिव: महोदय , मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी होगी:-

- (1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 26 नवंबर, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 14 अगस्त 2014 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गये शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"
 - (2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 27 नवम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 नवम्बर 2014 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"
-

अपराह्न 12.03 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

80वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदया, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 80वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03 1/2 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

72वां प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : महोदया, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 72वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुषमा स्वराज कुछ क्लेरिफिकेशन सदन के सामने रखना चाहती हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चाहे जब नोटिस दें, उन्होंने क्लेरिफिकेशन देने के लिए पहले कहा है।

... (व्यवधान)

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, अगर वे लोग मामला उठाना चाहते हैं तो पहले उनको बोलने दीजिए, उनके बाद मैं बोलूंगी।

अध्यक्ष जी, आप पहले उनको अनुमति दे दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग पहले मंत्री जी का क्लेरिफिकेशन सुन लीजिए, फिर आप बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चाहे जब लिखकर देते हैं। एक बात आप समझ लीजिए।

... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैर्या नायडू) : कोई एक व्यक्ति विषय को मेंशन करे, फिर मैडम बोलेंगी, फिर स्पष्टीकरण होगा।... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कहना चाहूंगी कि अलाऊ तो माननीय अध्यक्ष महोदया करेंगी, मुझे आपत्ति नहीं है, अगर आप विषय उठाते हैं। [हिन्दी] मैं अलाऊ करने वाली कौन होती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप उन्हें विषय उठा लेने दें।

माननीय अध्यक्ष : जीरो-आवर में उठाने दूंगी, आप बैठिये।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

डब्ल्यू.टी.ओ. में भारत के रुख के बारे में

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वक्तव्य देंगी ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्मानीय सभा में भारत के रुख के बारे में एक वक्तव्य देना चाहती हूँ।

मैं आज इस सभा को संबोधित कर रही हूँ ताकि माननीय सदस्यों के समक्ष विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में हाल ही में हुई घटनाओं से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत कर सकूँ, जिसकी कल सफलतापूर्वक समाप्ति हुई है और जिसमें भारत द्वारा लिए गए सिद्धांत आधारित रुख की पुष्टि हुई है... (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : हमें वक्तव्य की प्रति नहीं मिली है। ... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: इसे कभी भी वितरित किया जा सकता है।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): इसका उल्लेख कार्य सूची में नहीं किया गया है।

माननीय अध्यक्ष: मैंने इसकी अनुमति दी है।

प्रो. सौगत राय : यदि आप अनुमति देती हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है।... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सवाल ही नहीं है, वह टेबल किया हुआ है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: क्या मैं जारी रख सकती हूँ?

माननीय अध्यक्ष: हाँ, आप कर सकती हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: 5 अगस्त 2014 को, मैंने माननीय सदस्यों को यह जानकारी दी थी कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन में व्यापार सुविधा समझौते के कार्यान्वयन पर सर्वसम्मति में शामिल न होने का निर्णय लिया है, जब तक कि बाली मंत्री स्तरीय निर्णयों, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण संबंधी निर्णय के कार्यान्वयन से जुड़े हमारे विषयों का समाधान नहीं किया जाता।

इस निर्णय के पश्चात् अनेक आलोचनाएं हुईं, लेकिन भारत अपने रुख पर अडिग रहा। आने वाले महीनों में हमने अपने रुख के पीछे की चिंताओं को स्पष्ट करने तथा अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के साथ मिलकर समाधान खोजने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। ये प्रयास सफल रहे। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम हुए और उन्हें डब्ल्यूटीओ में अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए सहमत किया।

मैं इस सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ कि हम अपने हितों से संबंधित मुद्दों पर संतोषजनक समाधान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। कल, विश्व व्यापार संगठन की महापरिषद ने खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक भंडारण पर निर्णय, व्यापार सुविधा समझौते पर निर्णय तथा बाली सम्मेलन के पश्चात् कार्ययोजना पर निर्णय को स्वीकृति प्रदान की है।

खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के सम्बन्ध में महापरिषद का निर्णय एक नया और सुस्पष्ट निर्णय है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक ऐसी व्यवस्था लागू रहेगी जिसके अंतर्गत विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत सार्वजनिक भंडारण योजनाओं को विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते की कुछ शर्तों के संदर्भ में कोई सदस्य देश चुनौती नहीं देगा। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक इस मुद्दे पर कोई स्थायी समाधान तय कर उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

यह व्यवस्था इस पहलू में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को समाप्त कर देगी तथा इस बात की भी सुरक्षा करेगी कि यदि वर्ष 2017 तक खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण के स्थायी समाधान पर सहमति

नहीं बनती है, तो उसके बाद कोई संरक्षण उपलब्ध न होने की संभावना से बचा जा सके। अतः, यह हमारे लाखों कम आय वाले, संसाधनहीन कृषकों के लिए जीवन रेखा साबित होने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के जारी रहने के लिए उपलब्ध सुरक्षा कवच को मजबूत करता है। यह नीति भारत में तथा समान नीतियों वाले अन्य देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रियायत प्रणाली को निरंतर जारी रखने से एक स्थाई समाधान की ओर तेजी से अग्रसर होने में डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों का हित सुनिश्चित होता है तथा हमें समाप्त हो रहे सीमित अवधि शांति खंड के खतरे को देखते हुए एक अनुपयुक्त समाधान को स्वीकार के जोखिम से सुरक्षा प्राप्त होती है।

निर्णय में 31 दिसंबर 2015 तक निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के सम्बन्ध में एक स्थायी समाधान खोजने की प्रतिबद्धता शामिल है। इससे इस प्रक्रिया में तेजी आएगी और अन्य विकासशील देशों को यथाशीघ्र एक स्थाई समाधान निकलने के प्रयास में जुड़ने का प्रोत्साहन मिलेगा।

इस निर्णय में एक दृढ़ प्रतिबद्धता है कि स्थायी समाधान के लिए एक तीव्र कार्यक्रम के तहत वार्ता की जाएगी। वार्ता को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए नियत समयावधि में समर्पित सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे डब्ल्यूटीओ इस विषय को प्राथमिकता देते हुए केंद्रित प्रयास कर सके। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत जैसे देश स्थायी समाधान प्राप्ति के लिए कृषि वार्ताओं के अन्य क्षेत्रों में किसी प्रकार का समझौता करने के लिए बाध्य न हों।

महापरिषद ने यह भी स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है कि खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान के लिए चल रही वार्ताओं को दोहा विकास एजेंडा के तहत कृषि से संबंधित अन्य मुद्दों से अलग किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि यदि अन्य संबंधित मुद्दों पर वार्ताएं विलंबित भी हों तो स्थायी समाधान के लिए वार्ताएं निरंतर जारी रहेंगी।

डब्ल्यूटीओ समझौते के संबंधित प्रावधानों के अनुसार, इन पहलुओं पर महापरिषद का निर्णय मंत्री स्तरीय निर्णय के समान कानूनी अधिकार रखता है।

महापरिषद ने व्यापार सुविधा समझौते को डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रोटोकॉल भी अपनाया और इसे स्वीकृति के लिए खोल दिया। इसके बाद, यदि डब्ल्यू.टी.ओ. के दो-तिहाई सदस्य इस प्रोटोकॉल को मंजूर करते हैं, तो व्यापार सुविधा समझौता स्वतः ही लागू हो जाएगा।

बाली मंत्री स्तरीय निर्णय के अनुसार, व्यापार सुविधा प्रोटोकॉल को सदस्यों द्वारा 31 जुलाई 2015 तक स्वीकार किया जाना था। अब डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्यों ने इसे बिना किसी समय सीमा के खुला रखने का निर्णय लिया है। इससे उन्हें व्यापार सुविधा प्रोटोकॉल की स्वीकृति के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी करने में सहायता मिलेगी।

जब मैं 5 अगस्त को इस सभा के समक्ष उपस्थित हुई थी, तब मैंने विश्वास व्यक्त किया था कि भारत डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्यों को भारत और अन्य विकासशील देशों की संवेदनशीलताओं को समझाने में सफल होगा और इस मुद्दे को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाएगा। और हम इसे बिना किसी रियायत, मैं दोहराती हूँ बिना किसी रियायत, समझौते या नई शर्तों के पूरा करने में सफल रहे हैं।

यह वह कार्य है जिसे अब भारत ने कर दिखाया है। हम इस कार्य में सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं क्योंकि हम अभेद्य शक्ति के साथ उन संवेदनशील वर्गों के हित की आवाज उठा रहे थे जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यह एक न्यायसंगत मुद्दा, जिसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सुदृढ़ नेतृत्व का समर्थन प्राप्त था, एक प्रभावशाली तर्क के रूप में सामने आया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि हमारी चिंताओं को सुना गया, समझा गया और उनका समाधान किया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदया, यह एक सतत प्रक्रिया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जारी रखें।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह कोई नई बात नहीं है। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : वैसे भी यह एक अच्छा कार्य हुआ है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप कृपया जारी रखें।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: आपकी सुविधा के लिए मैं एक पंक्ति दोहराना चाहूंगी — "एक न्यायसंगत कारण, जिसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व से समर्थित किया गया, एक प्रभावी तर्क प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि हमारी चिंताओं को सुना गया, समझा गया और उनका समाधान किया गया।" ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह एक सतत प्रक्रिया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप कृपया जारी रखें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल विवरण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। कृपया जारी रखें।

(व्यवधान) ... ‡**

‡* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैया नायडू): यह प्रक्रिया निरंतर नहीं चलनी चाहिए। कृपया मंत्री महोदय को सुनिए... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: यह सकारात्मक परिणाम हमारे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास को पुनः स्थापित करता है और यह सिद्ध करता है कि यही ऐसा मंच है जो विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समान शर्तों पर भागीदारी का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। इसी कारण यह आवश्यक है कि हम समय रहते अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें, यह सुनिश्चित करें कि विकास के पहलू चर्चा के केंद्र में बने रहें और आवश्यकता पड़ने पर व्यापार वार्ताओं को सही दिशा में लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। हम कभी अकेले या अलग-थलग नहीं थे, भले ही बहुत से देश खुलकर भारत के रुख का समर्थन करने की स्थिति में नहीं थे या उन्होंने ऐसा नहीं किया। पिछले कुछ महीनों में अपने कई सहयोगियों के साथ हुई चर्चाओं से मुझे यह ज्ञात हुआ कि हमारा रुख व्यापक रूप से स्वीकार किया गया क्योंकि हम एक न्यायसंगत मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत उनके समर्थन के लिए आभारी है।

मैं इस सफल परिणाम को प्राप्त करने में डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा किये गए प्रयास और उनके सहयोग के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अब हम सभी डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के साथ मिलकर दोहा विकास एजेंडा के पूर्ण क्रियान्वयन, जिसमें बाली पैकेज के सभी तत्व शामिल हैं, पर कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं ताकि दुनिया भर के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए वास्तविक विकास लाभ प्राप्त किया जा सके।

अंत में, मैं एक बार पुनः माननीय सांसदों, किसान संगठनों, नागरिक समाज समूहों तथा शिक्षाविदों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके निरंतर समर्थन ने भारत के निष्पक्ष अधिकार सुनिश्चित करने के प्रयासों को अपार शक्ति प्रदान की है।

वास्तव में, मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि मैं भारत की उन सभी राजनीतिक दलों की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारा समर्थन किया और समर्थन देने के लिये मैं इस पूरी सभा की भी आभारी हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आपका इस बात के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): आपने वक्तव्य में जिन बातों का उल्लेख किया है, वे निश्चित ही रोचक हैं, लेकिन जो बातें छुपाई जा रही हैं, वे भी... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया कोई प्रश्न नहीं।

अपराह्न 12.16 बजे**सभा का कार्य**

माननीय अध्यक्ष: मद सं. 8। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी का वक्तव्य।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं आपकी अनुमति से सोमवार, 1 दिसम्बर 2014 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य को सभा पटल पर रखने के लिए अनुमति चाहता हूँ जिनमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:

1. आज के आदेश पत्र से लिए गए सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।
2. वस्त्र उपक्रमों (राष्ट्रीयकरण) कानूनों (संशोधन और सत्यापन) विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।
3. राज्य सभा द्वारा पारित होने के बाद मर्चेट शिपिंग (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार और पारित करना।
4. राज्य सभा द्वारा पारित होने के बाद मर्चेट शिपिंग (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार और पारित करना।
5. वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।
6. संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।
7. एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष जी, विश्वामित्र की तपोस्थली बक्सर (बिहार) जो मेरा संसदीय क्षेत्र है जिसे मिनी काशी के रूप में जाना जाता है, यह क्षेत्र पवित्र काशी नगरी के निकटस्थ है। यहां के हजारों छात्र-छात्राएं काशी हिन्दू विश्व विद्यालय में पठन-पाठन करते हैं। अतएव काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) की एक शाखा मेरे बक्सर संसदीय क्षेत्र में स्थापित करने हेतु मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री से आग्रह करता हूं।

प्राचीन अंग देश (भागलपुर, बिहार) अंतर्गत पालवंश द्वारा स्थापित लगभग 700 वर्ष ईसा पूर्व बिक्रमशिला विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में तंत्र साधना एवं आध्यात्म के केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है, यहां विभिन्न देशों के छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। इतिहास वेत्ताओं ने विस्तार से यहां के संबंध में इसका वर्णन किया है।

अतएव मैं बिक्रमशिला विश्वविद्यालय की पूर्ण खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा कराने एवं वहां नालन्दा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर बिक्रमशिला अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुनर्स्थापित करने हेतु माननीय मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार से आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मण्डल - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, डा. बाबा साहब अंबेडकर ने जहां अंतिम सांस ली थी, वह जगह 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय मेमोरियल का निर्माण किया जाए।

मेरा भी सरकार से अनुरोध है कि गुजरात के दलित संत वीर 'मेघ माया' की स्मृति में डाक टिकट जारी किया जाए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा चित्रकूट में बिजली की गंभीर समस्या है। किसानों की सिंचाई का समय है। जगह-जगह ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, जिन्हें बदला नहीं जा रहा है। लाइनें टूटी पड़ी हैं, जिन्हें ठीक नहीं किया जा रहा है। किसानों की फसलें सूख रही हैं। हालात बहुत ही विषम हैं। कृपया इस समस्या को सदन की कार्यसूची में सम्मिलित कर चर्चा कराकर समस्या के निदान हेतु निदेशित करने की कृपा करें।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा, चित्रकूट में किसानों की धान की फसल को खरीदा नहीं जा रहा है। सरकारी खरीद केन्द्रों में केवल बैनर लगे हैं और आधिकतर में ताले पड़े हैं। अक्टूबर माह से खरीद शुरू हो चुकी है, इसके बावजूद अभी तक किसानों से कोई भी खरीद नहीं की गई है। किसान बहुत ही परेशान हैं, अस्तु इस सप्ताह की कार्यसूची में इस समस्या के निदान हेतु इसे सम्मिलित कर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : भोला सिंह जी, आप बोलिए।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : मैडम, मैं डॉक्टर भोला सिंह हूँ, श्री भोला सिंह कोई दूसरे सदस्य हैं। आपने डा.भोला सिंह को बुलाया है या श्री भोला सिंह को बुलाया है?

माननीय अध्यक्ष : साँरी, डा.भोला सिंह जी आप बोलिये।

डॉ. भोला सिंह : महोदया, संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह के लिए सदन में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं उसमें निम्नलिखित प्रस्तावों को जोड़ना चाहता हूँ।

1. बिहार के तीव्र विकास के लिए उसे केन्द्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे।
2. बिहार में बरौनी खाद कारखाने को गैस आधारित यूरिया खाद बनाने के लिए हल्दिया-जगदीशपुर पाइप लाइन को बरौनी, वनारस तक का विस्तार करे। धन्यवाद।

....

माननीय अध्यक्ष : डा.किरीट सोमैया जी, आप बोलिये।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : आप कह रहे हैं कि डा. भोला सिंह, भोला सिंह और डा.किरीट सोलंकी और डा.किरीट सोमैया, लेकिन वह आदमी के डाक्टर हैं और मैं फाइनेन्स का डाक्टर हूँ।

[अनुवाद]

माननीय महोदया, कृपया अगले सप्ताह के लिए कार्य सूची में चर्चा के लिए निम्नलिखित विषयों को शामिल करें।

1. आर.बी.आई. गवर्नर के बयान की पृष्ठभूमि पर एन.पी.ए. की वृद्धि और जानबूझकर ऋण जमा न करने वालों का मुद्दा कि एन.पी.ए. और जानबूझकर ऋण जमा न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो पैसा बट्टे खाते में डाला गया है, उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जा सकता था।
2. माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषित स्वच्छ भारत अभियान की पृष्ठभूमि में शहरों में कचरा/अपशिष्ट निपटान प्रणाली का मुद्दा।
3. माननीय प्रधान मंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान सफल बनाने के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का मुद्दा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय महोदया, निम्नलिखित मदों को आने वाले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए:

1. भारतीय सीमा में लगातार चीनी घुसपैठ और इसके परिणामस्वरूप लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के शांतिप्रिय नागरिकों के बीच पैदा हुआ आतंका
2. जैविक रूप से संशोधित फसलों के संबंध में व्याप्त एक गलत धारणा और बड़े पैमाने पर जनता की गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल चर्चा की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री राम चरित्र निषाद (मछलीशहर): महोदया, संविधान (एव सौ और चौदह संशोधन) विधेयक, 2010 अगले सप्ताह में चर्चा के लिए लिया जाए और उसे अगले सप्ताह के कार्यक्रम में शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वडाकरा): माननीय महोदया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगले सप्ताह के लोक सभा के कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित विषयों को कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. मनरेगा के लिए फंड के आबंटन में भारी कमी।
2. देश भर के शहरों और महानगरों में बढ़ता वायु प्रदूषण।

प्रो. सौगत राय (दम दम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आने वाले सप्ताह के लिए कार्य सूची में शामिल होने के लिए निम्नलिखित मदों को उठाना चाहता हूँ:

1. ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए संशोधित आबंटन में सामाजिक क्षेत्रों में आबंटन में कमी का प्रस्ताव।
2. मनरेगा योजना पर कड़ा हमला जो ग्रामीण गरीबों के लिए एक मांग संचालित योजना है। इससे वे अपनी न्यूनतम आय से वंचित हो जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): महोदया, कृपया निम्न दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ लिया जाए :-

1. बिहार राज्य के भागलपुर सहित आस-पास के जिलों में प्रबंधन की शिक्षा के लिए कोई भी संस्थान नहीं है, जिसके चलते स्थानीय छात्रों को प्रबंधन की शिक्षा नहीं मिल पाती है। अतः भागलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है।

2. भागलपुर को रेल मण्डल बनाए जाने की घोषणा वर्ष 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक भागलपुर रेल मण्डल कार्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है। भागलपुर रेल मण्डल के आस्तित्व में नहीं होने के चलते रेल परिचालन, आरक्षण सहित अन्य सभी यात्री सुविधाओं में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः भागलपुर को रेल मण्डल की आधिकारिक घोषणा के आलोक में रेल मण्डल कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

अपराह्न 12.27 बजे**समितियों के लिए निर्वाचन****(एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों और विनियमों के नियम 1(14) और 15 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों और विनियमों के नियम 1(14) और 15 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.27 1/2 बजे**(दो) भारतीय परिचर्या परिषद**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन, भारतीय परिचर्या परिषद, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन, भारतीय परिचर्या परिषद, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.28 बजे**कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव**

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा 27 नवम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से उस उपांतरण के अध्यक्षीन सहमत है कि सभा द्वारा पहले ही निपटाई गई क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 की मदों से संबंधित उसकी सिफारिशों का लोप किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 27 नवम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से उस उपांतरण के अध्यक्षीन सहमत है कि सभा द्वारा पहले ही निपटाई गई क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 की मदों से संबंधित उसकी सिफारिशों का लोप किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह 12.29 बजे**सदस्यों द्वारा निवेदन**

इराक में आई.एस.आई.एस. उग्रवादियों द्वारा अपहृत और मारे गए 40 भारतीयों के बारे में

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवरावसधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, हम सब लोगों को एक बड़ी दुःखद सूचना मिली है। भारत के चालीस नागरिक जो मोसुल में तुर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्य कर रहे थे, उनका अपहरण आईएसआईएस द्वारा किया गया था। वे ज्यादातर पंजाब और कोलकाता से थे। पहले चरण में आतंकवादियों के द्वारा उनका मोबाइल और पासपोर्ट ज़ब्त किया गया था। हमें सूचना मिली है कि 15 जून को ही एक पहाड़ी इलाके पर ले जा कर उन सभी को मारा गया है। अगर यह सूचना सही है तो यह देश के लिए, संसद के लिए और हम सब के लिए बड़ी दुःखद है। पिछले 6 महीनों में बार-बार सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। 22 जून को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था और यह पूरा भरोसा दिलाया था कि ये सारे 40 लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार अलग-अलग सूत्रों के द्वारा उनके साथ चर्चा करना की कोशिश कर रही है, जिस मिलिटेंट आर्गनाइजेशन ने उनको पकड़ा है। सूत्रों जैसे इराकी रेड क्रिसेन्ट, लोकल ट्राइबल नेताओं के द्वारा उनके साथ वार्तालाप तय करने की कोशिश कर रही है। 29 जून को इस साल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने स्वयं हम लोगों को आश्चस्त करवाया था कि उन्होंने स्वयं उनके परिवारजनों के साथ मुलाकात की है। हमारे राजदूत का सन्देश परिवारजनों को पढ़ाया गया और यह भी कहा गया कि परिजन पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमारे सारे कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अनेक इस सरकार के मंत्री परिवारजनों के साथ मिलकर फोटो-अप कर रहे थे। 7 जुलाई को दोबारा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन्टरलोक्यूटर्स के द्वारा हमारी नागरिकों के साथ बात हो रही है और वे सुरक्षित हैं। दोबारा 13 अगस्त को भी कहा गया कि वे सुरक्षित हैं और 8 सितंबर को सुषमा स्वराज जी ने दोबारा हम लोगों को आश्चस्त कराया था कि हमारे सारे

40 के 40 नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें रिहा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आज यह बड़ी दुखद सूचना हमें दी गयी है।

मैं समझता हूँ कि आज सरकार की जवाबदेही है। जहाँ एक तरफ 6 महीने इस मुद्दे को खींचा गया है और कहा गया कि उनके परिवारजनों को ईद का तोहफा को दिया जाएगा। आज हम यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि उनके परिवारजनों को, संसद को और देश को, अगर यह बात सत्य है तो पूरी तरह से गुमराह किया गया है। सरकार का सूचना तंत्र पूरी तरह से विफल है, सरकार पूरी तरह से विपल है। आज संसद में बैठे सभी सांसद ही नहीं, देश की जनता भी सरकार से पूरा-पूरा स्पष्टीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही इस मुद्दे पर चाहती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी मेंबर्स से एक बात कहना चाहती हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं यह क्लियर करना चाहती हूँ कि पहली बात तो यह है कि प्रमुख विपक्षी दल का नोटिस अभी आया, उसके पहले माननीय मंत्री जी ने कल मुझे कहा था, यहाँ इन्फॉर्म किया गया था कि मैं इस विषय पर स्पष्टीकरण सदन में देना चाहूंगी और मैंने उनको अलाऊ भी किया था। वह तो केवल उन्होंने अभी हाँ भरी, कहा कि ठीक है, प्रमुख विपक्षी दल कुछ कहना चाहता है, इसलिए मैंने उन्हें अलाऊ किया है। आप उनके साथ असोसिएट हो सकते हैं। आप अपने-अपने नाम असोसिएशन के लिए लिखकर भेज दीजिए। माननीय मंत्री जी ने पहले ही कहा था, मैं रिपोर्ट करना चाहूंगी।

अब मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि वे अपनी बात रखें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजना, श्रीमती कविता कल्वकुंतला, श्री बदरुद्दीन अजमल, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री एम. बी. राजेश, एडवोकेट जॉइस जॉर्ज और श्री पी. करुणाकरन को श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने स्थिति स्पष्ट कर दी। जितनी जोर-जोर से ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि जवाबदेही चाहिए, एक नोटिस भी उन्होंने आज स्थिति का स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं दिया। जैसा आपने कहा, मैंने सुबह ही आपको लिखित में यह नोटिस दे दिया कि मैं स्वयं अपनी ओर से स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि, कल जब मैं नेपाल से लौटी, मैं रात में लौटी थी, उसी समय मैंने देखा कि एक टी.वी. चैनल पर बांग्लादेश के दो नागरिकों का इंटरव्यू दिखाकर यह कहा जा रहा था कि 39 भारतीय कहाँ हैं और ध्वनि यह आ रही थी कि जैसे उनको मार दिया गया है। मुझे लगा कि यह जो भ्रम की स्थिति बनी है, इसका मैं अपनी ओर से निराकरण करूँ। इसलिए बिना विपक्ष के नोटिस का इन्तजार किये, मैंने स्वयं अपने आपको जवाब देने के लिए प्रस्तुत किया है। यहाँ भी जब ज्योतिरादित्य जी ने यह कहा कि वे बोलना चाहते हैं तो मैंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वे बोल लें। उन्होंने अपनी बात कह दी, उसके बाद मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

सबसे पहले तो मैं सांसदों को यह बताना चाहूंगी कि यह खबर पहली बार नहीं आयी है। आपने कहा सूचना दी गयी है, किसने सूचना दी है? एक समाचार चैनल ने एक समाचार चलाया है और वह समाचार कोई पहली बार नहीं आया है।

महोदया, पिछले 5 महीने में दसियों बार यह कहानी उभर-उभरकर आयी है और सोर्स एक ही है। वह व्यक्ति जो वहाँ से आ गया, हरजीत मसीह उसका सोर्स है।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): वह कहाँ है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं बताऊँगी। ज़रा भी मत विचलित होइए। मैं बताऊँगी वह कहाँ है। ... (व्यवधान)
सबसे पहले मैं बता देती हूँ अगर आप जानना चाहते हैं। वह गवर्नमेंट की प्रोटैक्टिव केयर में है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा आज उसकी जान को है। वह वहाँ से निकलकर भागा, उनके चंगुल से निकलकर भागा, पहला निशाना वह है। इसीलिए सरकार ने उसको संरक्षण दिया है। आपको इससे शांति हो गई, तो मैं आगे बोलती हूँ। ... (व्यवधान)

अध्यक्षा जी, यह कहानी बार-बार उभरी है। जिस समय यह घटना हुई, उसके बाद हरजीत मसीह जब वहाँ से बचकर आया तो उसने यह कहानी कही। उसने यह कहा कि - "हम और बंगलादेशी एक कंपनी में काम करते थे। 15 जून की शाम को कुछ आतंकवादी संगठन के लोग आए और हम लोगों को वहाँ से निकालकर ले गए। वे हमें एयरबिल ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्होंने बंगलादेशियों से कहा कि तुम अलग हो जाओ। वे बंगलादेशी अलग हो गए और भारतीय अलग कर दिए गए। भारतीयों को ले जाकर किसी एक जंगल में उन्होंने गोली से मार दिया और मैं बच गया और मैं आ गया।"

उसकी कहानी में इतनी डिसक्रीपेंसीज़ थीं, इतने विरोधाभास थे कि पहली बार तो हमें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर हमने यह सोचा कि अगर हम इस पर विश्वास करें तो इसका मतलब यह कि हम उनकी तलाश छोड़ दें और उनको मृत घोषित कर दें? उसके बाद यह विकल्प था। लेकिन एक दूसरा विकल्प भी था कि उसकी बात को अस्वीकार करते हुए हम उनकी तलाश करें। हमने दूसरा विकल्प चुना और हम उनकी तलाश में लग गए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई जब पहला सोर्स आया रैंड क्रिसैन्ट का, क्योंकि संस्था है, मैं इसलिए नाम ले सकती हूँ, उन्होंने कहा कि वे मारे नहीं गए हैं, वे ज़िन्दा हैं। फिर हमने इतना प्रयास किया कि वे सारे देश, जो हमारी मदद कर सकते थे, जिसमें खाड़ी के भी देश थे, अन्य बहुत से देश थे, उन सबसे हमने संपर्क किया और बहुत हाइएस्ट लैवल पर संपर्क किया। उसके बाद हमने उन संस्थाओं से संपर्क किया जो हमारी मदद कर सकती थीं। उन व्यक्तियों तक से संपर्क किया, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वे आपकी मदद कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं यहाँ खड़े होकर कह सकती हूँ कि एक के बाद एक छः सोर्सेंज ने हमें यह

कहा कि वे मारे नहीं गए हैं। इन सारे सोर्सेंज के संदेश जो हमें आ रहे थे, मौखिक नहीं थे, लिखित थे, लिखित में मेरे पास आज भी मौजूद हैं। [हिन्दी] लेकिन चूँकि गोपनीय दस्तावेज़ हैं, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती उन लोगों के अलावा, जिन्होंने गोपनीयता की शपथ ले रखी है। लेकिन गोपनीयता की शपथ जिन्होंने ले रखी थी, उनमें से अपने दो साथियों से मैंने वे शेयर किये हैं। एक, श्री अरुण जेटली जी, और दूसरा, स्वयं हरसिमरत कौर बादल, जो मंत्री हैं, पंजाब से हैं, क्योंकि इसमें पंजाब के ज्यादा लोग हैं, जैसा भगवंत मान जी ने कहा, उनके साथ शेयर कियो। ऐसा नहीं कि ये संदेश एक दिन आ गए और दस दिन नहीं आए। हर रोज़ यह संदेश आता है। मैंने पहले भी यहाँ सदन में कहा था कि जिस दिन यह घटना घटी, हमने उसी दिन एक ऑफिसर वहाँ डेप्यूट कर दिया, केवल इस काम के लिए। वहाँ एम्बैसेडर है, लेकिन उसके अलावा एक व्यक्ति जो पूर्व में वहाँ एम्बैसेडर थे, हालांकि उनकी नियुक्ति आसियान के एम्बैसेडर के तौर पर हो चुकी थी, मगर हमने उनको इराक जाने को कहा। उनको हमने केवल एक काम दिया टार्गेटेड - इनको ढूँढ़ने का, इनकी तलाश करने का। वे हमको वहाँ से, उनके जो जो संपर्क सूत्र थे, उनके माध्यम से संदेश भेजते थे। उन दोनों को भी मैंने संदेश पढ़वाए। और यह लेटेस्ट अपडेट आता है, हर रोज़ आता है। डेली रात को यह अपडेट लेकर मैं सोती हूँ कि क्या हुआ। आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति यह कह रहा है कि वे मार दिए गए और छः सोर्सेंज यह कह रहे हैं कि वे मारे नहीं गए, वे ज़िन्दा हैं। मुझे क्या करना चाहिए - क्या यह स्वीकार करके, कि वे मार दिए गए, मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊँ, उनकी तलाश छोड़ दूँ? यह आसान विकल्प है। लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि जो छः सोर्सेंज हमारे कह रहे हैं कि वे मारे नहीं गए हैं और ज़िन्दा हैं, उन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें और उनकी तलाश करूँ। मैंने बार-बार सदन में यह कहा कि मेरा डायरेक्ट संपर्क उनसे नहीं है। लेकिन सूत्रों के माध्यम से संपर्क है, जो कहते हैं कि वे मारे नहीं गए हैं। मेरे पास ठोस सबूत ज़िन्दा होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं है। तो केवल बुद्धिमत्ता का तकाज़ा नहीं, ज़िम्मेदारी का तकाज़ा भी यह कहता है कि मैं दूसरे विकल्प को स्वीकार करूँ और आगे बढ़ूँ। इसीलिए मैं आपसे भी यह कहना चाहती हूँ।

जहाँ तक हरजीत का सवाल है, मैंने भाई भगवंत मान जी को बता दिया। भाई भगवंत मान जी का पत्र मेरे पास है, जिस तरह से हम इराक से लोगों को निकाल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे बोला और उनके लोगों से

हमने संपर्क किया, क्योंकि वे बंधक नहीं थे तो वे तुरंत निकल आए। हम किन कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, आप जानते हैं। मोसुल पर जिन लोगों का कंट्रोल है, उनकी सरकार नहीं है और जिनकी सरकार है, उनका कंट्रोल नहीं है। इतनी विषम परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। हम क्यों गुमराह करेंगे ज्योतरादित्य जी? हमें उससे क्या लाभ मिलेगा?

अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहूंगी कि हम गुमराह करने के लिए नहीं, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आपके ऊपर कोई एलीगेशन नहीं लगा रहा है...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मेरी एक गुजारिश है। यह विषय एक ऐसा संवेदनशील और सीरियस विषय है कि इस पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को आई.एस.आई.एस. भी देख रहा है। इन सारे तथ्यों को देख कर वह और बारगेन करेगा...(व्यवधान) इस विषय को यहां समाप्त किया जाए...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अहलुवालिया जी, आप बैठिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी भी जिम्मेदारी से ही बोलेंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, हर एक का अपना सजेशन हो सकता है, हर एक की अपनी बात हो सकती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इस पर बोलने के लिए सक्षम हैं।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मैं अहलुवालिया जी की बात को दूसरी तरह से कहना चाहूंगी...(व्यवधान) इस तरह के ऑपरेशंस की सफलता का बुनियादी सिद्धांत होता है गोपनीयता। इसलिए गोपनीयता को भंग करने के लिए मुझे मजबूर न किया जाए। मैं आपको आश्चस्त कर रही हूँ, बता रही हूँ कि जिस दिन मुझे एक भी ठोस सबूत, हरजीत की बात का मिल गया, उस दिन आकर बताऊंगी। हम ईश्वर से दुआ कर

रहे हैं कि जो छः सोर्सज कह रहे हैं, वह सच हो और हम उन्हें सुरक्षित निकाल लाएं। लेकिन, सुरक्षित निकालने में, ऐसी परिस्थितियों में समय लगता है। जैसा मैंने कहा कि जो मोसुल में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी सरकार नहीं है और जिनकी सरकार है, वे मोसुल को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, ज़मीन-आसमान हम एक किए हुए हैं। हमने कांग्रेस के ई. अहमद जी की भी मदद मांगी है। उनसे भी मैंने कहा है कि आपके गल्फ़ में बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हैं, आप वहां जाइए। हर संस्था से हमने सम्पर्क किया हुआ है। इसका मैं लैटेस्ट अपडेट ले रही हूँ। इसलिए मैं यह नहीं कह सकती हूँ कि वे मार दिए गए, क्योंकि एक हरजीत के अलावा यह कोई नहीं बोल रहा है।

अगर आप कल के भी बयान को देखें, जो दो बांग्लादेशी नागरिकों का इंटरव्यू आया है, वे केवल हरजीत को कोट कर रहे हैं। वे भी हरजीत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं तो कोई चश्मदीद गवाह हैं नहीं। वहीं तक यह कहानी इकट्ठी है कि बांग्लादेशी अलग कर दिए गए, भारतीय अलग कर दिए गए। जब भारतीय अलग कर दिए गए तो उनके साथ क्या घटा, यह तो किसी बांग्लादेशी ने देखा नहीं। जो हरजीत ने उन्हें आकर बताया, वो वह बोल रहे हैं। यह हीयरसे एवीडेंस है। वहां भी वे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल उसे कोट कर रहे हैं। इस पूरी स्टोरी में, चाहे वह इंडियन एक्सप्रेस में छपी हों, चाहे वह पंजाबी के अखबारों में छपी हो, या चाहे उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंची हों, सबका एकमात्र सोर्स हरजीत है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हरजीत को भी संरक्षण दिया हुआ है, वह गवर्नमेंट के प्रोटेक्टिव केयर में है। हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्षा जी, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन की अनुमति चाहूंगी कि अगर उन्हें लगता है कि मेरा रास्ता सही है, मुझे हरजीत के एक बयान पर विश्वास करके अपने प्रयास रोकने नहीं चाहिए, तो मैं निश्चित चाहूंगी कि मुझे इस सदन की मदद मिले और मैं अपने प्रयास में आगे बढ़ती रहूँ। यह सदन यह भी प्रार्थना करे कि वे लोग ज़िंदा हों और वे सुरक्षित निकल कर आ जाएं।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) :अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से एक खिलाड़ी के विषय में कहना चाहती हूँ, जिसे हमारे लिजेन्डरी प्लेयर सचिन साहब ने भी उठाया। हमारी एल. सरिता देवी के साथ एशियाड खिलाड़ियों में मुक्केबाजी के सेमी फाइनल मैच में जो घटा, वह किसी भी प्लेयर के साथ नहीं घटना चाहिए। आज ए.आई.बी.ए., जो उस पर लाइफ बैन लगाने के बारे में सोच रही है, उसके बारे में मैं आपसे रक्वेस्ट करूंगी कि इंडिया में, क्रिकेट को छोड़ कर दूसरे खेलों को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलता है। यह कहा जा रहा है कि उस खिलाड़ी में स्पोर्ट्स स्पिरिट होनी चाहिए थी। एक महिला बॉक्सर कई सालों तक परिश्रम करके अपनी मेहनत को सफल करने के लिए, इंडिया का झंडा लहराने के लिए एशियाड में गोल्ड मेडल लेने का सपना देखती है और वह उसे लेने ही जा रही थी। इसे हर व्यक्ति ने देखा, हम लोगों ने भी देखा। अगर उसके साथ चीटिंग होती है और उसे यह कहा जाता है कि उसे खेल की भावना रखनी चाहिए तो एसोसिएशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या उनमें खेल भावना नहीं होनी चाहिए? चाहे एशियाड गेम्स हों या ओलंपिक, यह कम्प्लेन बार-बार आती है कि हमारे प्लेयर्स को टू-स्टार होटलों में रखा जाता है और उनके साथ जाने वाले जो पदाधिकारी हैं, वे फोर या फाइव स्टार्स होटलों में रहते हैं तो और कितनी खेल भावना हमारे खिलाड़ियों को दिखानी पड़ेगी?

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूँ कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, उनको जो लाइफ बैन लगाने की बात कहा जा रही है, उसका विरोध होना चाहिए। निश्चित तौर से उस प्लेयर को बचाना चाहिए, जो कड़ी मेहनत करके अपने देश के झंडे को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री एम.बी. राजेश और श्रीमती कविता कवलकुंतला को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्ष महोदया, उत्तराखंड शांति और अध्यात्म का केन्द्र रहा है। पूरी दुनिया के लोग इस बात से विज्ञ हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश, क्षेत्र एवं स्थान है, जहां कानून-व्यवस्था रहती है और हर व्यक्ति सुरक्षित रहता है। लेकिन पिछले एक वर्ष में जिस तरीके से अंधाधुंध वहां हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, इसने निश्चित रूप में न केवल उत्तराखंड को, बल्कि पूरे देश का दिल

दहला दिया है। अभी हल्दवानी में सात वर्षीय अबोध बालिका विवाह में गई थी, 20 नवम्बर से उसके लापता होने की सूचना थी। पांच दिन के बाद उसका शव बरामद हुआ। उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके हाथ-पांव काट करके नदी के किनारे फेंक दिए गए।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इससे पूरा उत्तराखंड सड़कों पर है, क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले एक पर्यटक महिला शोभिता दास गुड़गांव में अंतरराष्ट्रीय विद्यालय में अध्यापिका थी। वह लाखामंडल में घूमने के लिए गई थी। उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।...(व्यवधान) इतना ही नहीं, भगवानपुर में सोलनी नदी के पास 14 वर्षीय बालिका का बलात्कार हुआ।...(व्यवधान) उससे पहले फेरूपुर में घटना हुई।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि चाहे देहरादून की पॉश कालोनी में हत्या हो रही हो, श्रीमती सैनी की घर के अंदर हत्या की गई हो, दर्जनों हत्याएं महिलाओं के साथ बलात्कार करके उत्तराखंड की धरती पर हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूँ कि पूरे विश्व और देश के लिए उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वह अध्यात्म का केन्द्र है, भारत की संस्कृति का प्राण है। उसकी रक्षा, सुरक्षा भारत सरकार की भी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनम्र तरीके से अनुरोध करना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से वहां की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, खासतौर से रायपुर से जगदलपुर बस्तर करीबन तीन सौ किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वह बहुत ही जर्जर है। वहां उन्नयन नहीं होने से लगातार एक्सीडेंट्स वगैरह और दुर्घटनाएं होती हैं। खासतौर से कांकेर जिला मुख्यालय में भी सड़क के बीचोंबीच

राष्ट्रीय राजमार्ग जाने से वहां पर बाईपास सड़क का निर्माण भी किया जाना है, वह हो नहीं पाया। उसकी भी स्वीकृति होनी है। उसके आगे केशकाल घाटी है, उस घाटी में भी हमेशा गाड़ियों का काफिला जाम होता है, जिसके कारण से वहां चार-पांच घंटे तक जाम रहता है। उसका उन्नयन बहुत जरूरी है। रायपुर से जगदलपुर तक रेलवे लाईन भी नहीं है, इसलिए यह सड़क बहुत जरूरी है।...(व्यवधान) इस सड़क का निर्माण जनहित में बहुत जरूरी है।...(व्यवधान) इसलिए बजट में प्रावधान करके इस सड़क का निर्माण कराया जाए।

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली (यवतमाल-वाशिम) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र यवतमाल के जो इनकम टैक्स पेयर हैं, मैं उनकी गंभीर समस्याएं यहां पर रखना चाहूंगी। जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उन्हें वर्धा जाना पड़ता था, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि अब उन्हें 175 किलोमीटर चंद्रपुर जाना पड़ेगा। यह जो आरिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिस वर्धा में है, वह वर्धा में ही रहे, क्योंकि यवतमाल के करीबन 46 हजार लोग वहां पर अपने काम के लिए जाते हैं। अगर यह ऑफिस चंद्रपुर चला जाएगा तो उनका समय भी जाएगा और पैसे की भी बर्बादी होगी।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय में वे जल्द से जल्द ध्यान दें। यह जो ऑफिस है, वहीं पर रहे, जो वर्धा में है। अगर इसे शिफ्ट करना है तो नागपुर शिफ्ट करें।...(व्यवधान) मैं समझती हूं कि इस पर जल्द से जल्द सरकार की तरफ से कार्यवाही होगी, मैं अपेक्षा करती हूं।

[अनुवाद]

§**श्री पी. आर. सुन्दरम (नामाक्कल) : केरल में एवियन फ्लू का प्रकोप देखा गया है, जहाँ हाल के कुछ दिनों में 17,000 बतखों की मृत्यु हुई है। केरल के सांसदों ने इस विषय को 26 नवंबर 2014 को संसद में उठाते हुए केंद्र सरकार से बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए, क्योंकि तमिलनाडु केरल का एक पड़ोसी राज्य है, तमिलनाडु सरकार, जो पुरात्ची थलाइवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में काम कर रही है, ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में एहतियाती कदमों पर चर्चा की गई है। निवारक उद्देश्यों और बर्ड फ्लू की निगरानी के लिए 800 टीमों को एहतियाती उपाय के रूप में गठित किया गया था। 24 घंटे संचालित एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने पुरात्ची थलाइवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में 12 बिंदुओं वाले कार्यक्रम के क्रियान्वयन का आदेश भी दिया है। मेरे नामाक्कल निर्वाचन क्षेत्र में, हर दिन 3 करोड़ अंडों का उत्पादन किया जाता है और जिनमें से एक करोड़ अंडे देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भेजे जाते हैं। तमिलनाडु में बर्ड फ्लू नहीं है।

§* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्मानीय सभा और भारत सरकार का ध्यान भारत के रबर किसानों की बुरी दुर्दशा और दयनीय स्थिति पर आकर्षित करना चाहता हूँ।

रबर की कीमतों में भारी गिरावट आई है और 22 नवम्बर 2014 को यह मात्र 117 रुपये प्रति किलो रह गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह लगभग 152 रुपये थी। पिछले सात वर्षों में यह कीमत सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है। इस स्थिति ने रबर किसानों को भारी मुश्किल और दुख में डाल दिया है।

माननीय अध्यक्ष: आपने बर्ड फ्लू पर सूचना दी है। आप विषय को कैसे बदल सकते हैं?

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : महोदया, अब मैं रबर किसानों से संबंधित एक अन्य मुद्दा उठा रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। आप अब बोल सकते हैं। लेकिन भविष्य में ऐसा न करें।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: ठीक है महोदया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में रबर की कीमतें गिर रही हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय रबर उद्योगों, जैसे टायर उद्योग, द्वारा रबर का आयात तेजी से बढ़ गया है। रबर बोर्ड द्वारा आकलन की गई आपूर्ति और मांग का अंतर केवल वर्ष 2014-15 के लिए लगभग 60,000 मीट्रिक टन रबर है, जबकि अब तक इस उद्योग द्वारा 3.25 लाख मीट्रिक टन प्राकृतिक रबर का आयात किया गया है। इससे रबर का घरेलू उत्पादन खतरे में पड़ गया है। यदि रबर की कीमतों में गिरावट की यह स्थिति बनी रही, तो बागान क्षेत्र में, विशेष रूप से सीमांत किसानों के बीच, किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हो सकती हैं।

केरल में लगभग 11 लाख छोटे और सीमांत रबर किसान हैं, जिन्हें भारत सरकार से त्वरित ध्यान और सहायता की आवश्यकता है। रबर कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु रबर उद्योग को 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

शीट रबर और रबर उत्पादों का आयात शुल्क वर्तमान में केवल 8 प्रतिशत है। इसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना चाहिए। ब्लॉक रबर के आयात शुल्क में 40 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है क्योंकि टायर उद्योग

बड़े पैमाने पर ब्लॉक रबर का आयात करता है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन की लागत को बनाए रखने के लिए सुरक्षा शुल्क आवश्यक है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले पर युद्ध स्तर पर विचार करे और रबर की खेती करने वालों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों की मदद करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री एम.बी.राजेश को श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह कहते हुए खेद है कि मेरा नाम सूची में चौथा था।

माननीय अध्यक्ष : मुझे पता है, लेकिन उन्होंने बर्ड फ्लू के मुद्दे पर भी नोटिस दिया है। इसलिए मैंने उन्हें अनुमति दी है। लेकिन उन्होंने अचानक विषय बदल दिया, इसलिए मैंने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

श्री पी. करुणाकरन: महोदया, मैं इस सभा के समक्ष केरल में रबर की खेती करने वालों के संबंध में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा रखना चाहूंगा। पिछले वर्ष रबर की कीमत 235 से 250 रुपये के बीच थी, जो अब घटकर 80 से 85 रुपये रह गई है। केरल रबर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है और यहाँ की रबर की गुणवत्ता भी श्रेष्ठ है। सीमांत किसान रबर किसानों की संख्या में सबसे अधिक हैं। इसलिए रबर की कीमतों में गिरावट का सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है।

मेरे प्रिय सहयोगी द्वारा बताया गया कारण रबर का अनियंत्रित आयात है। जब हमारे देश में पर्याप्त उत्पादन होता है, तो आयातित रबर की आवश्यकता और मांग के अनुसार एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए। लेकिन यह सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसकी कीमत को नियंत्रित करने के संबंध में दो मुद्दे हैं। एक तो रबर पर आयात शुल्क लगाया जाना चाहिए और साथ ही एक प्रभावी प्रणाली भी होनी चाहिए। निस्संदेह, मैं यह नहीं कहता कि रबर का आयात-निर्यात नहीं होना चाहिए, लेकिन यह घरेलू बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

इसलिए मैं सरकार से दृढ़तापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वह रबर किसानों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अन्यथा, रबर किसानों की स्थिति इतनी गंभीर है कि वे आत्महत्या के कगार पर पहुंच सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. के. बीजू को श्री पी. करुणाकरण द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश ब. हुक्केरी (चिक्कोडी) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी कर्नाटक के बेलगाम जिले में दो हफ्ते से लगभग 6000 एडवोकेट्स स्ट्राइक कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बेलगाम में कर्नाटक ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होना चाहिए। उनके द्वारा वहां दो हफ्ते से एडीशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट के सभी कोर्ट्स बंद किए गए हैं, इसलिए लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। लगभग 28000 केसेज पेंडिंग हैं। कर्नाटक में एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बंगलुरु में है तो 28000 केसेज का फैसला कैसे होगा? इसके लिए मैं लॉ मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ कि एक और ट्रिब्यूनल, कर्नाटक ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेलगाम में मंजूर होना चाहिए। अगर लॉ मिनिस्टर हाउस में होते तो अच्छा होता। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सोमवार को इस पर रिप्लाई दिया जाए, क्योंकि वे लोग सोमवार से आमरण उपवास करने वाले हैं। अगर 6000 लोग आमरण उपवास पर बैठेंगे तो वहां लॉ-प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लॉ मिनिस्टर को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गोपाल शेटी जी, यह इश्यू कल सदन में उठाया गया था, फिर भी आप इस इश्यू पर बोलिए।

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया जी, कल यह इश्यू सदन में उठाया गया था, उसके बाद भी आपने मुझे इस इश्यू पर बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपका विशेष आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि अरविन्द सावंत जी ने इस इश्यू को दो दिन पहले सदन में उठाया और डॉ. किरीट सोमैया जी ने कल हाउस में पिटिशन मूव किया, उसके बावजूद भी आपने मुझे इस इश्यू पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ*

अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गंभीर विषय है। सालाना 3500 लोग रेलवे में प्रवास करते समय, गिरकर या कटकर मर जाते हैं, उसके बावजूद भी रेल प्रशासन जागरूक होता दिखाई नहीं देता है। मैं आपके माध्यम से इस बात की विशेष मांग करूंगा कि तुरंत रेलवे मिनिस्टर या एम.ओ.एस. मुम्बई शहर में जाकर विजिट करें और तुरंत इसका उपाय करना चाहिए। हमारे जो पुलिस के लोग हैं, चाहे वे स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हों, वे रेलवे क्रॉसिंग करने वाले लोगों को सिर्फ पकड़ कर, फाइन करते हैं और कोर्ट में ले जाते हैं, लेकिन लोग रेलवे क्रॉसिंग न करें, इसप्रकार की कोई व्यवस्था रेल प्रशासन करता दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विशेष मांग करूंगा कि तुरंत रेल मिनिस्टर या एम.ओ.एस. मुम्बई शहर के सबअर्बन एरिया में विजिट कर, इसके लिए तुरंत कोई उपाय ढूंढें, ताकि आने वाले समय में इसप्रकार की मौतें मुम्बई शहर में न हों। धन्यवाद।

अपराह्न 12.57 बजे

(माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 'शून्यकाल' के बाद, हम श्रम कानून विधेयक पर विचार करेंगे। इसलिए, अब मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा। यह आपकी जानकारी के लिए है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) के अन्तर्गत, कैमूर जिला के अधौरा प्रखण्ड में ग्राम झड़पा, घेरखनिया, बड़डिहां तथा लेवा में, खनिज संपदा, यथा बाक्साइट, चूना-पत्थर एवं अब्रकी एरेनाइट के पाये जाने की खबर है। खान मंत्रालय द्वारा जांच उपरान्त यह संज्ञान में आया है। परन्तु उक्त खनिज संपदा की भूमि वन क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण, खनिज संपदा के खनन कार्य में रुकावट आ गई है, जिसे वन क्षेत्र से मुक्त कराने हेतु, मैंने खनन मंत्रालय तथा वन मंत्रालय से अनुरोध भी

किया था, परन्तु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस क्षेत्र में आति पिछड़े लोग बसे हुए हैं तथा यहां गरीबी भी चरम सीमा पर है।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है कि उपर्युक्त खनिज संपदा के खनन हेतु, वन क्षेत्र से उन्हें मुक्त कराने के लिए, संबंधित मंत्रालय को निदेशित करने की कृपा की जाए, जिससे सरकारी राजस्व के साथ-साथ इस क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार मिल सके तथा यहां की गरीबी पर कुछ हद तक काबू पाया जा सके। धन्यवाद

अपराह्न 1.00 बजे

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों की धान की फसल का बकाया अभी नहीं मिल पाया है। आप जानते हैं कि पंजाब किसानों की फसल खरीदकर केन्द्रीय भंडार में देता है। उसके लिए करेंट क्रेडिट लिस्ट बनती है जो 21 हजार करोड़ रुपये की है। उसमें से 18 हजार करोड़ रुपये चले गए मगर 3 हजार करोड़ रुपये जो कम से कम 12 लाख टन धान की फसल के पड़े हैं, वह फाइल क्वभी फाइनेंस मिनिस्ट्री, कभी फूड मिनिस्ट्री में घूम रही है। आप जानते हैं कि गेहूं की फसल बोई जा रही है। किसानों को फर्टिलाइजर और पैस्टीसाइड्स के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसे की मल नहीं रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वह पैमेंट रिलीज करवाई जाए क्योंकि पंजाब में जो धान की फसल पैदा होती है, उसका केवल 5 प्रतिशत ही पंजाब के लोग खाते हैं, 95 प्रतिशत देश को देते हैं। देश के लिए अनाज पैदा करने वाले किसान को अगर उसका पैसा नहीं मिलेगा तो वह भविष्य में डिसकरेज होगा।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री संतोख सिंह चौधरी को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बदरुद्दीन अजमल- उपस्थित नहीं

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। संयुक्त बिहार में उच्च न्यायालय की दो खंडपीठ क्रमशः पटना और रांची में थी। वर्तमान में बिहार की आबादी करीब साढ़े दस करोड़ है और वहां एक ही उच्च न्यायालय है। प्राचीन अंग क्षेत्र बंगाल और झारखंड से सटे रहने के कारण बिहार की व्यावसायिक राजधानी के रूप में रेशमी शहर भागलपुर सुप्रसिद्ध है। मैं भागलपुर का ही मूल निवासी हूँ और वहां से पांच बार विधायक और 7-8 साल मंत्री भी रहा हूँ। भागलपुर से सटे 12 जिले - बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, बेगुसराय, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा लगभग आधे घंटे से डेढ़-दो घंटे की दूरी पर स्थित हैं। साथ ही मिथलांचल के 4 जिले - समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी की दूरी भी ढाई से तीन घंटे की है। इन क्षेत्रों के लगभग पचास हजार से भी ज्यादा मुकदमे पटना उच्च न्यायालय में विगत कई वर्षों से लंबित हैं और लोगों को समय पर न्याय नहामिल रहा है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विलंब से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के समान होता है। उक्त जिलों से लोगों को पटना जाने में चार से छः घंटे लग जाते हैं जिससे उन्हें पटना में ही रात कि बतानी पड़ती है। इससे गरीब लोगों को काफी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय की दूसरी खंड पीठ की स्थापना की मंजूरी देने की कृपा की जाए। इसके लिए वहां लगातार आंदोलन होते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में अगली तिथि में विधि मंत्री कुछ बताएं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री शैलेश कुमार, श्री राजेश रंजन और श्रीमती रंजीत रंजन को श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने एक अत्यंत आविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि

हम गंगा जैसी पवित्र नदी को प्रदूषण से मुक्त करें और उसे आविरल और निर्मल धारा बनाने के लिए जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, चाहे इलाहाबाद के किनारे, कानपुर, बनारस के इलाके या गंगोत्री से गंगा सागर तक, उसके कचरों को वहां डालने पर प्रतिबंधित किया जाए। इसके बावजूद 26 नवम्बर को इलाहाबाद में गंगा का जल वेवल कचरों को डालने के कारण लाल हो गया। उसके अंदर की मछलियां मर गईं जो श्रद्धालु स्नान करने गए, वे बिना स्नान किए वापिस आ गए जबकि एक तरफ केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने गंगा एक्शन प्लान में इस बात को सुनिश्चित किया, उन्होंने 21 सूत्री कार्यक्रम भी सबमिट किया है। गंगा के किनारे 764 औद्योगिक इकाइयां हैं। चाहे वह कानपुर का टेन्नरी-चमड़े का कारखाना हो, फिरोजाबाद की चूड़ियों का कारखाना हो या तमाम अन्य कारखाने हों। उस चेतावनी के बावजूद यह प्रदूषण अभी भी उन इकाइयों से हो रहा है। इस नाते जो भी प्रयास होगा, चाहे पहले प्रयास हुआ या आगे होगा, मैं समझता हूं कि इस बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गंगा की धारा को कैसे निर्मल और आविरल बना सकेंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जब हम गंगा को, जो हमारी राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद गंगा के जल को हम निर्मल और प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए निश्चित तौर पर एक कानून बनाना होगा कि जो भी गंगा बेसिन के किनारे शहर हैं या उद्योग लगे हुए हैं, उनका जो भी कचरा है, वह उसमें न डाला जाये। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय जल संसाधन मंत्री जी इसका ध्यान रख रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: यदि ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हम गंगा को प्रदूषण से मुक्त नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, चावल निर्यात करने में भारत दूसरे नम्बर पर आता है। चीन के बाद भारत ही एक ऐसा देश है, जो सबसे ज्यादा चावल निर्यात करता है, जबकि सबसे ज्यादा चावल खरीदने वाला देश ईरान है। जब हिन्दुस्तान में किसान धान की फसल बोता है और बाजार में बेचने जाता है, उस समय ईरान आयात पर प्रतिबंध लगा देता है क्योंकि उसी समय ईरान में भी फसल होती है। वह अपने देश के किसानों की फसल को सुरक्षित करने के लिए ईरान आयात पर प्रतिबंध लगा देता है। इस कारण हिन्दुस्तान के किसानों की धान का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में चावल का मूल्य 2013 रुपये क्विंटल की अपेक्षा एक हजार रुपये क्विंटल हो गया, यानी 45 परसेंट भाव कम हो गया है, जिससे राजस्थान के कोटा, बूंदी और हरियाणा, पंजाब के किसानों को धान सस्ती दर पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस संबंध में मंत्री महोदय ने ईरान से बात की है। मेरा निवेदन है कि सरकार तुरंत प्रभाव से बात करे। ईरान आयात पर प्रतिबंध हटाये, ताकि हिन्दुस्तान के किसानों की फसल उचित मूल्य पर निर्यात करके उनके मूल्य को बढ़ाया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन महीने बाद जब ईरान आयात पर प्रतिबंध खोलेगा, तब तक किसान की धान तो बाजार में बिक चुकी होगी, लेकिन एक्सपोर्टर्स और निर्यात करने वाले ट्रेडर्स उन किसानों की फसल को सस्ता लेकर फिर महंगे दामों पर बेचेंगे। मेरी सरकार से मांग है कि किसानों को सुरक्षित करते हुए तुरंत प्रभाव से ईरान से बात करके आयात पर प्रतिबंध हटाये और किसान को सुरक्षित मूल्य मिले, इसका इंतजाम करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी. पी. चौधरी को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पश्चिम रेलवे के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। पश्चिम रेलवे का 60 परसेंट नेटवर्क गुजरात में होता है। जहां तक आमदनी की बात है, गवर्नमेंट रेवन्यू की बात है, चाहे वह पैसेंजर रेवन्यू हो या फ्रेट रेवन्यू हो, गुजरात का इसमें बहुत अहम योगदान है। पश्चिम रेलवे का नेटवर्क गुजरात के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पश्चिम रेलवे का हैडक्वार्टर जो मुम्बई में है, उसके लिए अगर अहमदाबाद का स्थान लिया जाये, तो अहमदाबाद पश्चिम रेलवे के सेंट्रली पड़ता है। इस बारे में गुजरात सरकार ने समय-समय पर केन्द्र सरकार और रेलवे डिपार्टमेंट का ध्यान आकर्षित किया है। उन्हें इस बारे में कई पत्र लिखे हैं। गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद में हैडक्वार्टर बनाने के लिए जमीन आबंटन की तत्परता दिखाई है।

अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार पश्चिम रेलवे के हैडक्वार्टर को अहमदाबाद में स्थापित करे।

[अनुवाद]

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): तमिलनाडु में मेरा कृष्णागिरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्व में वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिलों, पश्चिम में कर्नाटक राज्य, उत्तर में आंध्र प्रदेश राज्य और दक्षिण में धर्मपुरी जिले से सटा हुआ है। यहां एफ.एम. रेडियो चैनल प्रसारण/रिले स्टेशन हैं लेकिन कृष्णागिरी जिले के लोगों को किसी भी प्रसारण/ रिले स्टेशन से प्रसारित होने वाले एफ.एम. रेडियो चैनलों को सुनने की सुविधा नहीं है।

कृष्णागिरि जिले की कुल जनसंख्या 18,83,731 है। इस जिले के लोग चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली और यहां तक कि बेंगलुरु के आसपास के स्टेशन के एफ.एम. रेडियो स्टेशनों से एफ.एम. रेडियो चैनल कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहे हैं।

हाल ही में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास लगभग 294 शहरों में 839 एफ.एम. रेडियो चैनल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इसलिए, मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के कल्याण पर विचार करते हुए एक एफ.एम. रेडियो चैनल स्थापित किया जाए और मेरे जिले को प्रस्तावित 294 शहरों में से शामिल किया जाए। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: शून्यकाल छह बजे के बाद भी जारी रहेगा।

अब, हम विधायी कार्य मद सं.12 पर चर्चा करेंगे।

अपराह 1.11 बजे

**श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनो को छूट) संशोधन विधेयक, 2014
(राज्य सभा द्वारा यथा पारित)**

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनो को छूट) अधिनियम 1988, राज्य सभा द्वारा यथा परित, का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनो को छूट) अधिनियम 1988, राज्य सभा द्वारा यथा परित, का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनो को छूट) अधिनियम 1988, को वर्ष 2005 में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, विधेयक को व्यापक संशोधनों के साथ वापस कर दिया गया था। यह विधेयक 2011 में प्रस्तुत होना था, और वर्तमान विधेयक हमारे समक्ष है, जो 26 नवंबर को राज्यसभा में पारित किया गया है।

यूपीए सरकार, जिसने यह विधेयक संसद में प्रथम बार प्रस्तुत किया था, ने श्रमिकों के कल्याण को प्राथमिकता दी थी। यह श्रमिक हितैषी था, जबकि एनडीए सरकार की नीति व्यवसायियों, कॉर्पोरेट घरानों और

उद्योगपतियों की सहायता की ओर केंद्रित है। उन्होंने अधिक रोजगार सृजित करने और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के बहाने श्रमिकों की भावनाओं को भुला दिया है। क्या हम श्रमिकों के अधिकारों को नकारकर अधिक रोजगार सृजन कर रहे हैं? क्या हम उद्योग और सेवा क्षेत्र में दासता पैदा कर रहे हैं?

राज्य सभा में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सरकार श्रमिकों के हित पर समझौता नहीं करना चाहती है और कानून किसी भी प्रतिष्ठान को छूट देने के लिए नहीं था; विधेयक एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है; यह प्रक्रियाओं को सरल बनाता है; और विधेयक लाने का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और उचित प्रवर्तन है।

माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि यह विधेयक कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करता है। यदि उनके अधिकारों को श्रम कानूनों द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है, तो वे नियोक्ताओं की अनियमितताओं से कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं? वे श्रमिकों की वेतन पर्ची भी नहीं रखते हैं। विधेयक, यथा संशोधित, कानूनों की संख्या बढ़ाने के लिए 1988 के मूल अधिनियम को बदलने का प्रस्ताव है, जिसके तहत छोटे प्रतिष्ठानों को विवरणी देने और रजिस्ट्रों को 9 से 16 रखने से कतिपय स्थानों को छूट दी गई है। संशोधन 10 और 40 श्रमिकों के बीच कार्यरत इकाई को शामिल करने के लिए छोटे प्रतिष्ठान की परिभाषा देता है, जबकि वर्तमान में 19 श्रमिकों की सीमा है। नियोक्ता फाइल किए गए विवरणी और रजिस्ट्रों को कंप्यूटर, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या अन्य इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम पर रख सकता है। इन अभिलेखों का प्रिंट-आउट इंस्पेक्टर को मांग पर उपलब्ध कराना होगा। सूचना इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा निरीक्षक को भी दी जा सकती है। यह सत्य है कि ऐसी व्यवस्था उद्योगों और प्रतिष्ठानों को कागजी कार्यवाहियों को कम करके सहायता प्रदान करेगी। उन्हें लाइसेंस के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी और निरीक्षण भी कम होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूची में जोड़े गए सात अधिनियमों में मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 ; अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का

विनियमन) अधिनियम, 1979; और भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 शामिल हैं। यह फर्मों को इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम पर विवरणी या फाइल बनाए रखने की अनुमति देगा। ये सभी अधिनियम जिन्हें छूट दी गई है, वे गरीब और दलित कामगारों से संबंधित हैं। अब वे नियोक्ताओं के दबाव में होंगे। हमें आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है कि बंधुआ श्रम प्रणाली को निर्माण क्षेत्र में वापस लाया गया है क्योंकि सरकार ऐसा कर रही है। यह सरकार नियोक्ताओं को पूरी स्वतंत्रता दे रही है और गरीब कामगारों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है। इसलिए, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, सात अधिनियमों को भी शामिल किया गया है। इसमें भवन और अन्य सन्निमाण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम भी शामिल हैं। यह भी बहुत खतरनाक है। यह विधेयक उन्हें इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम पर विवरणी बनाए रखने की भी अनुमति देगा। यह भी बहुत खतरनाक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन प्रतिष्ठानों और उद्योगों में कर्मचारियों और श्रमिकों की देखभाल कौन करेगा, जहां कर्मचारियों की संख्या 14 से कम है और जहां श्रम कानूनों का उल्लंघन उन क्षेत्रों में हो रहा है जिन्हें श्रम कानूनों से छूट दी गई है? यदि कानूनों से छूट दी जाती है, तो हमारे पास कानून की क्या ज़रूरत है। हमें लालफीताशाही और विलंब को कम करने की आवश्यकता है। इसका हम भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह संशोधन पूरी तरह श्रमिकों के विरुद्ध है। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

महोदय, श्रमिक संघों ने संशोधनों के खिलाफ 5 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है क्योंकि अब श्रमिकों की उपस्थिति और मजदूरी पर्चियों के रजिस्ट्रों को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में इकाइयों को विनियमित नहीं किया जाएगा। ये संशोधन श्रमिकों के हितों के प्रतिकूल हैं तथा इससे श्रमिकों के लिए रिकॉर्ड तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। इसलिए, सभी श्रमिक संघों ने श्रम कानून सुधारों के विरुद्ध देशव्यापी विरोध की घोषणा की है। यहाँ तक कि भाजपा समर्थक संगठन बीएमएस ने भी अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर इस देशव्यापी आंदोलन में भाग लिया है। इसका क्या कारण है? माननीय मंत्री जी को यह सोचना चाहिए कि बीएमएस भी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में क्यों शामिल हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार श्रम

विधि संशोधन विधेयक पेश कर रही है जो पूरी तरह से श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है और साथ ही वे हमेशा कॉरपोरेट, उद्योगपतियों और अन्य नियोक्ताओं की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए, पूरे देश में श्रमिक सुधारों के कारण बहुत दुखी हैं।

संप्रग के कार्यकाल के दौरान, महोदया सोनियाजी और हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, हमने श्रम कानूनों में कई संशोधन पेश किए थे जो सभी श्रमिकों के हितों की रक्षा कर रहे थे।

तत्कालीन माननीय श्रम मंत्री, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां उपस्थित हैं। उनके समय में भी रवैया यही था कि हमें श्रमिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इस सरकार ने उस रवैये को बदल दिया और सारे कानूनों को बदल दिया। इस सरकार ने हमारे द्वारा किये गए सभी मूल संशोधनों को बदल दिया है और वे अपने संशोधन लेकर आए हैं, जो कॉरपोरेट/उद्योगपतियों के हित में है और भाजापा के हित में है। इसलिए, ये श्रम कानून पूरी तरह से गरीब/दलित श्रमिकों के विरुद्ध हैं और वे गरीब श्रमिकों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। इसलिए, मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूं।

माननीय मंत्री जी को इस संशोधन पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि आपके दल के मजदूर संघ सहित सभी मजदूर संघ इस पर आपत्ति कर रहे हैं। इसलिए, आपको इस संशोधन को वापस लेना चाहिए; सभी मजदूर संघों को विश्वास में लेना चाहिए; आपको उनके साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए; आपको मजदूर संघ के नेताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए; और उनकी राय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए; और फिर केवल श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाएगी।

हम गरीब श्रमिकों के हित में इस संशोधन का विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अभी मैं माननीय सदस्य का लम्बा भाषण सुन रहा था, लगता है कि बहुत से लोग काल्पनिक दुनिया में रहने में विश्वास करते हैं। मैं इस बिल का केवल समर्थन ही नहीं करता, स्वागत भी करता हूँ। मैं इसका स्वागत क्यों करता हूँ, उसके बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सदैव यह कोशिश की कि गांवों में उद्योग आएं, छोटे उद्योग आएं, कुटीर उद्योग आएं और अगर गांवों में कुटार उद्योग आते तो आज गांवों की यह हालत न होती, जैसी हालत अब है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं, वहां रोजगार नहीं है। बाहर जाकर रिक्शा चला लेंगे, लेकिन गांव में रहने का कोई साधन नहीं है। उसी कमी को दूर करने के लिए यह सोचा गया था कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हो जाएं। मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं करता, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ, हरियाणा की बात करता हूँ। हजारों उद्योग केवल इसलिए बंद हो गए कि इंस्पेक्टर राज ने उनका चलना नामुमकिन कर दिया, असंभव कर दिया। क्रशर लगे थे, गन्नों की छोटी-छोटी इकाई थी, वहीं पर लोग चीनी बनाते थे, गांव में ही गन्ने की पेराई हो जाती थी। दस-बीस-तीस-चालीस-पचास वर्कर्स वहां लग जाते थे, उनको मजदूरी मिल जाती थी और किसान को भी सुविधा मिल जाती थी। जो अपने गन्ने को मिल तक नहीं ले जा पाता था, वह वहां ले जाता था। आज वे सब बंद हैं। क्यों बंद हैं?

यह जो इंस्पेक्टर राज है, यह एक ऐसा शब्द है, आज यह इतना कुख्यात हो गया कि जहां जाएगा, वहीं पर उद्योग को समाप्त करके आएगा। हम यह जो कल्पना करते हैं कि इंस्पेक्टर जाकर वहां श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगे, वह बहुत बड़ी भूल है। जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, जहां उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है, वहां बहुत विद्वान लोग बैठे होते हैं, वहां उनका अपना लेबर ऑफिसर भी बैठा हुआ है, पर्सनल ऑफिसर भी बैठा हुआ है, लीगल ऑफिसर भी बैठा हुआ है, वे कुछ न कुछ कमी निकालकर जिस श्रमिक को निकालना है, निकाल देंगे। वह तमाम उम्र सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ लेगा, लेकिन उसको दुबारा रोजगार नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा। यहां कोशिश इस बात की होनी चाहिए थी कि बजाय किसी इंस्पेक्टर का पंजा लगाने के, एक रेगुलेटर होने की बजाय, फेसिलिटेटर होना चाहिए कि कैसे उस उद्योग को आगे बढ़ाया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, लेकिन वह

मंशा आपकी नहीं रही है। हम इस बात की कल्पना करें कि जिस व्यक्ति ने गांव में एक छोटा सा उद्योग लगाया, करघा लगा लिया, क्रशर लगा लिया या कोई छोटा पीसने का उद्योग लगा लिया, क्या वह वहां पर अपना लॉ ऑफिसर रखेगा? इस कानून को समझने के लिए उसको एक टेक्नीकल आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, इस कानून को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं कहता हूं कि आप यह जो अमेंडमेंट लाए हैं, इसमें आगे भी आवश्यकता है। आगे की आवश्यकता उसमें यह है कि जो भाषा आज हमारे कानून की हो गयी है, वह सामान्य भाषा नहीं है और न सामान्य व्यक्ति के लिए रही। मेरा जैसा व्यक्ति जो थोड़े दिन कानून पढ़ा भी हो, उसे भी उस भाषा को समझने में दिक्कत आती है और कभी-कभी शब्दकोष से हमें सहायता लेनी पड़ती है। आवश्यकता इस बात की थी कि इतना सरलीकरण हो जाए कि छोटा उद्योग लगाने वाला व्यक्ति भी उस भाषा को समझ जाए और उसे कहीं अदालत में जाने की आवश्यकता न पड़े, किसी की कानूनी सहायता की उसे आवश्यकता न पड़े। एक के बाद एक कंट्रोल अगर उसके ऊपर होगा तो कौन अपना उद्योग चला लेगा? मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बारे में सोचा तो सही और यह केवल ऐसे ही नहीं आ गया। कितनी ही स्टेजेज पर इस पर विचार हुआ। राज्य सभा में विचार हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में विचार हुआ और तमाम जगहों पर विचार होने के बाद यह यहां पर लाया गया। स्टैंडिंग कमेटी में तो सभी दलों के नेता रहते हैं, सभी दलों के प्रतिनिधि रहते हैं, विस्तार से वहां पर विचार हुआ। मैं तो इस बात पर बल देता हूं कि इस पर आगे भी विचार करने की आवश्यकता है। जितने भी प्रफोर्मा आपने यहां पर रखे हैं उनका सरलीकरण किया जाए। कोई उद्योग चलेगा तो वह पारस्परिक विश्वास पर ही चलेगा, तनाव की स्थिति में नहीं चलेगा। वहां हर समय कोई खड़ा रहे कि आपने यह फार्म भरा कि नहीं भरा, तुमने इसका रिटर्न दाखिल किया या नहीं किया? अगर रिटर्न ही दाखिल होते रहेंगे तो उद्योग तो चलने से रहा। हमें भी सरकार में रहने का थोड़ा अनुभव प्राप्त हुआ। मैं खाद्य मंत्री था तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति को अपना रोजगार चलाने के लिए 25 फार्म्स की आवश्यकता पड़ती थी। मैंने जब उनसे पूछा और उसके नवीनीकरण के लिए जानकारी प्राप्त की तो हर दिन कोई न कोई उस दुकानदार का प्रतिनिधि या तो आरएफसी के यहां रहता था या कलैक्टर के यहां रहता था या डीएसओ के यहां रहता था। मैं सोचता रहा कि इसके इतने आदमी यहां पर लगे रहेंगे तो यह व्यापार कहां से

चला लेगा और मैंने सरलीकरण करते हुए एक कम्पोजिट प्लेस हमेशा के लिए बना दिया और अब कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी ने मजदूर रखा है तो मतलब यह नहीं कि वह मजदूर शोषण करने के लिए रखा गया है, बल्कि उसे रोजगार देने के लिए उसने रखा है। उसका गुजर-बसर उसी के ऊपर निर्भर करता है। उद्योगपति जो छोटा-मोटा काम करता है, उसके और श्रमिक के बीच में यदि सहयोग नहीं होगा, आपस का विश्वास नहीं होगा, तो उद्योग तो स्वतः ही चौपट हो जाएगा। आज हमें अपने दर्शन को बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है कि हम पारस्परिक विश्वास के आधार पर काम करें। जितने भी कानून आज हैं ये सारे के सारे आविश्वास के भाव के हैं। श्रमिक जाएगा, उसे वेतन नहीं मिलेगा या कम वेतन मिलेगा, उसके वर्किंग आवर्स ज्यादा होंगे। आखिर मैं कौन होता हूँ इस बात को चैक करने वाला, अगर मेरे चैक करने से वहां पर सही बात हो जाती तो इतने उद्योग चौपट क्यों होते?

मान्यवर, अगर हमने गांधी जी के दर्शन को मान लिया होता, सरदार पटेल के दर्शन को मान लिया होता, चौधरी चरण सिंह के दर्शन को मान लिया होता तो आज गांव में आदमियों को माइग्रेट करने की आवश्यकता न पड़ती, शहरों में आकर रिकशा चलाने की आवश्यकता न पड़ती। उस उद्योग में वे उत्पादन करते, देश की पूंजी को बढ़ाते, गांव की सम्पन्नता को बढ़ाते और गांव की हालत वह होती, जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि केवल यहीं तक अपने को सीमित न रखें, आगे भी इस पर विचार करें।

एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए जब कोई इंस्पेक्टर दरवाजे पर आकर खड़ा न रहे। हमारे कानून की आड़ लेकर भ्रष्टाचार नहीं पनपना चाहिए। सारी स्थिति का इतना सरलीकरण कर दें कि उस स्थिति को उद्योग चलाने वाला भी समझे और श्रमिक भी समझे। श्रमिक भी तो सामान्य समझ का ही व्यक्ति है। जो आपने बात कही, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह वह फैक्ट्री नहीं है जहां हजारों व्यक्ति काम करते हों। यह वह फैक्ट्री नहीं जो बेंगलौर में, मुम्बई में या दिल्ली में हो, जहां हजारों लोग काम करते हैं। मान लीजिए गांव में एक सरसों का तेल निकालने का कोल्हू लगा लिया। सरसों पैदा होती है तो अच्छा ही है कि उसका तेल भी निकल जाए। गांव में

धान पैदा होता है तो उसे क्रश करने की मशीन लगा ली जाए। धान की मिल लगा ली जाए और उसमें मान लीजिए 15-20 या 25 आदमी काम करें तो वहां के रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। उनको आमदनी होगी। किसान को लाभ होगा। यदि वहां रोजाना इन्स्पेक्टर जांच करने के लिए खड़े रहेंगे कि रजिस्टर दिखाओ, फलां रिटर्न दिखाओ, फॉर्म जमा किया या नहीं किया उसकी स्लिप दिखाओ, तो वैसे वहां उद्योग चल पाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपने जो एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है, उसके साथ-साथ सरकार इस पर भी विचार करे कि जितने भी प्रोफोर्माज़ हैं, उनका इतना सरलीकरण हो जाए कि वे हर आदमी की समझ में आ जाएं और कोई इंटर पास व्यक्ति भी उन प्रोफोर्माज़ को भर सके। उनको भरने के लिए उसको अदालत में जाने की आवश्यकता न पड़े तभी हमें लगेगा कि गांधी जी के वही विचार सामने आ रहे हैं, जिनकी कल्पना उन्होंने कभी की थी।

मैं आपके संशोधन विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और आपसे यह अपील करता हूं कि आगे भी इस पर विचार किया जाए और सरलीकरण करने के लिए जो सम्भव हो, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते रहें।

[अनुवाद]

श्री आर. पार्थिवन (थेनी): महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा में अपने प्रथम भाषण की शुरुआत हमारे श्रद्धेय नेता, हमारी पार्टी के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री, अम्मा जी को धन्यवाद देकर करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहां जन प्रतिनिधि बनने के योग्य बनाया। मैं अपने तत्कालीन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी नेता, अम्मा जी द्वारा मुझे निर्वाचित किए जाने के अनुरोध पर विचार किया।

मैं अपने वक्तव्य को जारी रखने से पूर्व, अध्यक्षपीठ की अनुमति चाहता हूँ कि मुझे अपना भाषण पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए, जिसके लिए मैं कुछ नोट्स का उपयोग कर सकता हूँ क्योंकि यह मेरा पहला भाषण है।

मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अभिव्यक्ति "छोटे प्रतिष्ठान" की और कंप्यूटर में विवरणी रखने की परिभाषा को संशोधित करने का अवसर दिया। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक श्रम संबंधित कानून के अंतर्गत यह प्रचलन रहा है कि नियोक्ताओं को रजिस्टर संधारित करने होते हैं और उन रिटर्न को प्रवर्तन प्राधिकरणों को प्रस्तुत करना होता है। अब, हम पाते हैं कि ऐसे रजिस्ट्रों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। विभिन्न विवरणी के प्रारूपों को सरल बनाने की मांग की गई है। यह समझ में आता है। कंप्यूटर का उपयोग करके और इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी को संचारित करने के लिए इस तरह के विवरणी को दाखिल करना समझ में आता है। यह काफी प्रासंगिक है कि आज के जैसे कंप्यूटर युग में, हम आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। साथ ही, जब कंप्यूटर इतने कम समय में इतनी सारी प्रविष्टियों को शामिल कर सकते हैं, तो हम कई छोटे प्रतिष्ठानों को प्रवर्तन अधिकारियों के दायरे से दूर कर रहे हैं, जो कर्मचारी कल्याण को सुनिश्चित करेगा। यदि हम किसी भी श्रम कानून के मूल सिद्धांत की बात करें, तो उसमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के हितों में संतुलन बना रहे। श्रमिक, जो नियोक्ता और राष्ट्र दोनों के लिए संपत्ति का सृजन करते हैं, उन्हें उनके योगदान के अनुरूप अधिकतम लाभ मिले। साथ ही, नियोक्ता, जो राज्य से रियायतें लेकर औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में संपत्ति का निर्माण करते हैं, उन्हें भी उचित लाभ प्राप्त हो।

मैं द्रविड़ आंदोलन से संबंधित हूँ, जो एक समतामूलक समाज की स्थापना में विश्वास करता है, जहाँ समृद्ध और वंचित वर्गों के मध्य असमानता को यथासंभव न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। इस अवसर पर, मैं आपका ध्यान 'विजन डॉक्यूमेंट तमिलनाडु 2023' की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें ऐसे भौतिक तथा सामाजिक आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया गया है, जो आर्थिक विकास में सहायक होंगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्रमिक सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। हमारी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अम्मा जी के गतिशील नेतृत्व में, तमिलनाडु सरकार तथा हमारी पार्टी एआईएडीएमके, श्रमिक वर्ग से संबंधित नीतियों के प्रति सक्रिय और श्रमिक हितैषी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि एआईएडीएमके के शासनकाल में तमिलनाडु, जो देश के सर्वाधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है, में अनेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है।

महोदय, वैश्वीकरण और उदारीकरण ने श्रम कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए नई चुनौतियाँ पेश की हैं। हमारी सरकार की नीति कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच औद्योगिक शांति और सौहार्दपूर्ण संबंधों का माहौल बनाना है जिससे कि सभी का विकास हो सके। इसलिए, हमने विभिन्न श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा ध्यान रखा है। जब भी रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में फैले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बात आती है, तो तमिलनाडु की हमारी सरकार ने हमेशा उनके लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के अग्रणी प्रयास किए हैं।

इस बात का उल्लेख करते हुए, मैं इस विधेयक पर विचार करना चाहूँगा जिसे सभा ने अभी चर्चा के लिए लिया है। ऐसा लगता है कि नियोक्ताओं के ऊपर बोझ कम करने और विभिन्न रिटर्न के फॉर्मों को सरल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार छोटे प्रतिष्ठानों के क्षेत्र में एक नया विभाजन उत्पन्न कर रही है। यह विधेयक 'लघु प्रतिष्ठान' और 'अति लघु प्रतिष्ठान' की श्रेणियाँ बनाने का प्रस्ताव करता है। ऐसे समय में जब यांत्रिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के कारण नौकरियों में कमी आ रही है, यह विधेयक उन प्रतिष्ठानों को छूट देने का प्रयास करता है जिनमें कर्मचारियों की संख्या 19 तक होती है, और अब इस संख्या को बढ़ाकर 40 कर दिया गया है।

यह देखने में हानिरहित लग सकता है, लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि 70 प्रतिशत से अधिक लघु प्रतिष्ठान श्रम कल्याण प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह जाएंगे।

जब डेटा की मात्रा अधिक हो, तो विवरणियों की ऑनलाइन कंप्यूटर फाइलिंग करना समझ में आता है। यह भी सत्य है कि कंप्यूटर पहले के मैनुअल तरीकों की तुलना में काम को कहीं तेज़ी से संभाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में, मैं समझ नहीं पाया कि कुछ छोटे प्रतिष्ठानों को इस कानून के दायरे से क्यों छूट दी जानी चाहिए।

यह विधेयक न केवल विवरणी प्रस्तुत करने और रजिस्टर रखने से छूट प्रदान करता है, बल्कि कई छोटे प्रतिष्ठानों को भी इससे मुक्त करता है, जिससे मुझे आशंका है कि इससे श्रमिक वर्ग प्रभावित होगा और वे औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा किए जा रहे श्रमिक-विरोधी कदमों से अपने आप को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रह सकते हैं।

मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या इस विधेयक को बनाते समय राज्य सरकारों को भी विश्वास में लिया गया है। यह सच है कि श्रमिक संघों के साथ कई दौर की बातचीत हुई है। क्या राज्य सरकारों से भी परामर्श करना आवश्यक नहीं है जो अंततः अपने क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय संरक्षक हैं?

मूल अधिनियम के पहली और दूसरी अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नए कानून लागू होने के संदर्भ में, सूची में शामिल अधिनियमों की संख्या नौ से बढ़ाकर सोलह कर दी गई है। इस सूची में हमें भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बाल श्रमिक, संविदा श्रमिक, बीड़ी और सिगार श्रमिकों का उल्लेख मिलता है जो असंगठित क्षेत्र में हैं। इन वर्गों के लिए श्रम कल्याणकारी उपाय बहुत कम राज्यों में किए जा रहे हैं जिनमें से तमिलनाडु एक अग्रणी राज्य है। उदाहरण के लिए, न्यूनतम वेतन अधिनियम प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है और यहाँ तक कि शिक्षकों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है।

मुझे डर है कि इस विधेयक से कुछ ठेकेदारों को अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन न करने में मदद मिलेगी। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उन श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखे जो देश के लिए सम्पदा अर्जित करते हैं। अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए, मुझे उम्मीद है कि यह सरकार इन पर विचार करेगी, मैं विधेयक का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): माननीय उपाध्यक्ष, मेरे पास 40 वर्षों से अधिक का ट्रेड यूनियन कार्य का अनुभव है और मैं एक औद्योगिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं पूरी विनम्रता के साथ और अपनी पूरी क्षमता, प्रभाव और दृढ़ता के साथ, श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने में कतिपय स्थापनों को छूट रखने से छूट) संशोधन विधेयक, 2014 का विरोध करता हूँ।

विधेयक की मुख्य चर्चा में जाने से पूर्व, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस देश में श्रमिक वर्ग को संघर्ष के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान श्रमिकों के अधिकारों को मान्यता नहीं मिली थी। स्वतंत्रता के बाद, पहला कानून जो श्रम की समस्या को हल करने के लिए लाया गया था वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 था। उसके बाद फैक्ट्रीज अधिनियम, 1948, पेश किया गया था जिसमें प्रतिदिन कार्य का समय 8 घंटे और साप्ताहिक 48 घंटे से अधिक न होने का प्रावधान किया गया, साथ ही कारखानों की स्थिति, कैंटीन, छुट्टियाँ आदि के बारे में विस्तृत नियम बताए गए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अनुभव प्राप्त होने के साथ ही, कारखानों के बाहर काम करने वाले श्रमिकों को भी कानून के दायरे में लाया गया। उदाहरण के तौर पर, चाय बागानों और अन्य बागान श्रमिकों को शामिल किया गया। इसके बाद, कार्यरत पत्रकारों को भी इस दायरे में लाया गया। मोटर परिवहन अधिनियम लागू किया गया। फिर, 1965 में बोनस भुगतान अधिनियम बनाया गया। इसी तरह, संविदा श्रम और विभिन्न अन्य प्रकार के श्रमिकों को विधि निर्माण के दायरे में लाया गया।

अब, यह सब इसलिए किया गया क्योंकि मजदूर वर्ग की मांग थी और उस समय की सरकार ने कुछ अधिनियम पर विचार किया और कानूनों को बनाने के बारे में सोचा था, जो आवश्यक थे। मैं देखता हूँ कि वर्तमान सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग के अधिकारों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और होम्योपैथी की खुराकों की तरह श्रम विरोधी कानूनों का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। वे इस अर्थ में बुद्धिमान हैं कि वे एक बार में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में कुछ श्रम विरोधी कानून पेश किए

जिसके विरुद्ध व्यापक आंदोलन हुआ है। फिर उन्होंने प्रशिक्षु अधिनियम पारित किया और अब वे यह अधिनियम लाए हैं।

मूल रूप से, यह अधिनियम लघु प्रतिष्ठानों को शामिल करता है। यदि आप ऐसे प्रतिष्ठानों को देखें जिनमें लगभग 40 तक कर्मचारी कार्यरत हैं, हालांकि इसका कोई पूर्ण राष्ट्रीय जनगणना उपलब्ध नहीं है, तो लगभग 75 प्रतिशत प्रतिष्ठान और 80 प्रतिशत कार्यशील श्रमिक लघु प्रतिष्ठान श्रेणी में आते हैं, और ये केवल बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप लुधियाना जैसे छोटे शहर जाएं, तो वहाँ कुछ औद्योगिक क्लस्टर देख सकते हैं। ये सभी लघु प्रतिष्ठान हैं और इनमें श्रम कानूनों का पालन अक्सर लापरवाही या उल्लंघन के साथ किया जाता है।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज नियोक्ता श्रमिकों को स्थायी रोजगार नहीं दे रहे हैं। वे सभी नए शब्द 'आउटसोर्सिंग' के माध्यम से काम करते हैं। भारत सरकार स्वयं आउटसोर्सिंग का सहारा ले रही है। जब मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ सबसे अधिक संविदा कर्मचारी हैं। वे लगातार कहते हैं कि उन्हें प्रतिदिन 100 रुपये या 150 रुपये मिलते हैं। वे मुझसे अपने मुद्दे उठाने का अनुरोध करते हैं। अब धीरे-धीरे इन लोगों को निकाला जा रहा है। मैंने बड़े संगठित उद्योग में काम किया है और कम से कम वहाँ श्रमिकों के अधिकार कुछ हद तक संरक्षित हैं। लेकिन छोटे उद्योगों में श्रमिकों के अधिकारों को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। सामंतवादी जैसी मानसिकता हमेशा बनी रहती है। वे 10-15 लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन कानून के अनुसार उन्हें उचित वेतन नहीं देते। इसके साथ ही, वे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा जैसे कि ईपीएफ और ईएसआई का लाभ भी प्रदान नहीं करते हैं।

अब जो सरकार ने वर्ष 1947 में और बाद में, उदाहरण के लिए 1948 में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करते समय कल्पना की थी, वह यह थी कि सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी और वे निरीक्षण करेंगे। यह बात सही है। लेकिन दुर्भाग्यवश देश में स्वतंत्रता के बाद, इंस्पेक्टर राज एक बदनाम व्यवस्था बन गई है क्योंकि इंस्पेक्टर्स कोई भी निरीक्षण नहीं करते हैं। वे एक कारखाने में गए, कुछ पैसे एकत्र किए और वापस आ

गए। इसका यह मतलब नहीं है कि कानून बुरे थे। अब, इन सभी कानूनों में विवरणी प्रस्तुत करना शामिल था ताकि सरकार इस बात पर नजर रख सके कि कंपनी किसी विशेष श्रम कानून का पालन कर रही है या नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अब किस विभाग में इंस्पेक्टर्स नहीं हैं?

प्रो. सौगत राय: यह हर विभाग में होता है। आपने भी इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है और मैं शीघ्र ही आपके योगदान का उल्लेख करूंगा।

कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि छोटे प्रतिष्ठानों के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण आवश्यक है क्योंकि उन्हें कई प्रकार के फॉर्म भरने पड़ते हैं, जिससे यह उनके लिए कठिन हो जाता है। इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण आवश्यक था। इसी उद्देश्य से मूल रूप से 2005 में यूपीए-1 सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया था। इस संशोधन विधेयक ने कुछ प्रक्रियाविधिक समस्याओं को कम कर दिया। इस विधेयक की जांच श्री हेमानंद बिस्वाल जी की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई थी, जो अब इस सभा के सदस्य नहीं हैं। स्थायी समिति ने एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया।

जहां तक विधेयक का संबंध है तो इसके दो पहलू हैं। एक यह है, वर्तमान विधेयक में सरकार ने सिफारिशों का इस अर्थ में पालन किया था कि उसने इसे कुछ श्रम कानूनों के तहत कम संख्या में व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने और रजिस्ट्रों को बनाए रखने के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए एक विधेयक कहा है। मेरी आपत्ति उसके बारे में नहीं है। अब जो मुख्य बात की जा रही है वह यह है कि वे 19 से 40 तक, सरलीकरण प्रक्रिया में श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं कि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने क्या सिफारिश की थी। आप कृपया यह देखें कि यह सरकार संसद की स्थायी समिति की सिफारिश का उल्लंघन कैसे कर रही है। समिति ने सिफारिश की कि दी गई परिस्थितियों में, समिति को आशंका है कि कर्मचारियों की संख्या में और वृद्धि करने से अधिकांश उद्योगों को विवरणी प्रस्तुत करने और रजिस्ट्रों को बनाए रखने से छूट मिलेगी। प्रमुख श्रमिक संघों के कड़े विरोध को ध्यान में रखते हुए, समिति की इच्छा है कि लघु प्रतिष्ठान में शामिल करने के लिए कर्मचारियों की संख्या के संबंध में स्थिति को बनाए रखा

जाए। इसलिए, स्थायी समिति ने सिफारिश की कि आप प्रक्रिया को सरल बनाएं लेकिन कर्मचारियों की संख्या न बढ़ाएं और इसे 19 ही रखें। संसदीय स्थायी समिति ने अनुशंसा की थी कि यह संख्या मूल अधिनियम में निर्धारित 19 ही रखी जाए, अथवा अधिकतम 25 तक बढ़ाई जाए और उसके प्रभावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए। इसीलिए मैंने यह कहते हुए एक संशोधन दिया है कि यदि आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार इसे अधिकतम 25 तक बढ़ा दें। इस सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों को नहीं देखा है। यही समस्या है। समस्या यह है कि आजकल आई.टी. कंपनियां हैं और उनकी काफी बड़ी संख्या है। समस्या यह है कि आजकल सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों की संख्या काफी अधिक हो गई है और उनमें से अधिकांश में 10, 15 या 20 कर्मचारी ही होते हैं। अब ऐसी सभी आईटी कंपनियां इस कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगी। श्रम संबंधी स्थायी समिति ने इस मुद्दे को हल किया। समिति का मानना था कि आज के तेजी से स्वचालित होते विश्व में, कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है क्योंकि मैनुअल हस्तक्षेप कम होता जा रहा है। समिति ने यह भी महसूस किया कि कम कर्मचारियों वाले एक छोटे हाई-टेक प्रतिष्ठान का कारोबार, कई छोटे इकाइयों के संयुक्त कारोबार से कई गुना अधिक हो सकता है।

इसलिए, स्वचालित दुनिया में एक छोटी कंपनी का कारोबार अधिक हो सकता है, और आप इसे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बड़ी संख्या में कंपनियों को अधिनियम के दायरे से बाहर कर रहे हैं। निरीक्षकों की नियुक्ति या रिटर्न्स देने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं, यानी नियंत्रण और जांच हो। लेकिन आप इसे श्रमिकों के दायरे से बाहर कर रहे हैं, और यह सरकारी निरीक्षण बन जाएगा, जो श्रमिकों के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगा।

यदि रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन जमा किए जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें इसे सरल बनाने दें।

सर, वे कितनी संस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, ऐसे 418.27 लाख लघु प्रतिष्ठान हैं। इनके सभी श्रमिकों को इस कारण कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

फिर विधेयक में दूसरा दोष यह है। पहले भी, यह तब था जब यह विधेयक वर्ष 2000 में लाया गया था। कोई दंडात्मक उपबंध नहीं था। अब, दंडात्मक उपबंध के बिना कोई भी विधेयक निष्प्रभावी विधेयक है। यदि कोई जुर्माना नहीं होगा, तो लोगों को लग सकता है कि उन्हें कोई विवरणी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक अनोखा विधेयक है, जहां दंडात्मक उपबंध नहीं है। श्रम सम्बंधी स्थायी समिति ने भी इसका उल्लेख किया है। वे कहते हैं, "प्रस्तावित संशोधन यदि कानून बनता है तो यह श्रमिकों के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगा क्योंकि इसमें देयकों के उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई प्रभावी दंडात्मक प्रावधान नहीं है।" निवारक दंडात्मक उपबंध के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है। दुर्भाग्य से, श्री दत्तात्रेय जी इस मंत्रालय में नए हैं। उन्होंने इस समस्या पर विचार नहीं किया है।

तीसरा, अब आप 16 कानून इस विधेयक के दायरे में ला रहे हैं। हर जगह सरकार की मुख्य समस्या यह है कि प्रवर्तन तंत्र पर्याप्त मजबूत नहीं है। प्रवर्तन मुश्किल हो जाएगा यदि 1000 प्रतिष्ठान हैं और यदि आपके पास केवल दस निरीक्षक हैं। इसलिए, मुख्य बात यह है कि कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र का होना भी आवश्यक है।

श्रम संबंधी स्थायी समिति ने यह भी उल्लेख किया कि समिति का विचार है कि प्रवर्तन तंत्र को सशक्त बनाना वर्तमान समय की अत्यंत आवश्यक आवश्यकता है, अतः क्षेत्रीय कर्मचारी बल को तत्काल और पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना आवश्यक है, ताकि प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण और श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

महोदय, वास्तव में स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार को इस संशोधन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि सरकार प्रस्तावित संशोधन के गंभीर प्रभावों पर पुनर्विचार करे।

मुझे नहीं पता कि आप इसे कर पाएंगे या नहीं, लेकिन इस सरलता को बनाए रखें। संख्या से संबंधित भाग हटा दें क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि आप इसे संभाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि 16 कानूनों के तहत विवरणी एक साथ देना होता है। प्रतिष्ठान इसे करने में सक्षम नहीं हैं और आपके निरीक्षक भी इनकी जांच करने में सक्षम नहीं होंगे।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान स्थिति में सरकार को इस विधेयक को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी ट्रेड यूनियनों ने इस कानून का विरोध किया है। अब, सिकन्दराबाद के श्री बंडारू दत्तात्रेय मंत्रिमंडल के हालिया फेरबदल में नए मंत्री बन गए हैं। उन्हें अलग-अलग श्रम कानून और मंत्रालय के कामकाज से परिचित होने के लिए समय की आवश्यकता होगी। तो इस कानून के पारित होने से केवल कुछ व्यापार मंडल के लोग संतुष्ट होंगे, लेकिन यदि यह कानून पारित नहीं होता है तो बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग, जैसे कि संविदा मजदूर, प्लांटेशन मजदूर और छोटे कारखानों में कार्यरत श्रमिक, खुश होंगे जो वर्तमान में कष्ट झेल रहे हैं। आपको यह तय करना होगा कि क्या आप चाहते हैं कि श्रमिक वर्ग आपके साथ हो या आप चाहते हैं कि उद्यमी वर्ग आपके साथ रहे। फैसला आपके हाथ में है।

मैं पुनः इस विधेयक का विरोध करता हूँ। सरलता बनाए रखते हुए, आपको इस संख्या के खेल को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं अपनी व्यक्तिगत अनुभव से बोलूंगा, न कि किसी अन्य विचार से। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगभग बीस वर्षों तक एक उद्योग जगत में कार्य करने का अवसर मिला। मैंने उस उद्योग में सबसे निचले स्तर पर एक प्रशिक्षु के रूप में शुरुआत की और बीस वर्षों बाद उस कंपनी का प्रबंध निदेशक बनकर उद्योग जगत छोड़ दिया। इसलिए, मुझे उन बीस वर्षों के दौरान उद्योग से जुड़ी विभिन्न श्रम समस्याओं का अनुभव प्राप्त हुआ।

इसका उल्लेख करते हुए मैं विधेयक पर विस्तार से अपनी बात रखता हूं। यह विधेयक सबसे पहले वर्ष 2005 में लाया गया था। लेकिन विधेयक को मुख्य रूप से दो टिप्पणियों के साथ वापस कर दिया गया था। पहला, सभी हितधारकों विशेष रूप से नियोक्ताओं और कर्मचारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए। वर्ष 2011 में विधेयक को फिर से पेश किया गया था। इसके बाद नियोक्ताओं के साथ चर्चा की गई लेकिन श्रमिक संघों और कर्मचारियों के साथ कोई सर्वसम्मति नहीं बनी।

मैं एक मूलभूत बात बताना चाहूंगा कि संपूर्ण विधेयक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन पर आधारित है। सीएसओ ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में लगभग 418 लाख ऐसे प्रतिष्ठान हैं, लेकिन उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं रखना चाहता हूं। इसलिए, श्रमिकों की संख्या का पता नहीं लगाया गया है या निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन संशोधन को मूल रूप से संख्या के आधार पर आगे लाया गया है, जिसकी ओर मुझसे पहले बोलने वाले कई सदस्यों ने भी ध्यान आकृष्ट किया है। यह अध्ययन कभी संख्या पर नहीं किया गया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

मैं विधेयक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर आऊंगा। हमने स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर काफी चर्चा की। मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य ने कहा है कि स्थायी समिति ने विधेयक पर अपनी सहमति दे दी है। स्थायी समिति ने कई सिफारिशें की हैं। लेकिन उनमें से कई सिफारिशें विधेयक का हिस्सा नहीं बन पाई हैं।

मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करूंगा। उदाहरण के लिए स्थायी समिति ने कहा है कि विधेयक में कोई दंडात्मक उपबंध नहीं है। मैं स्थायी समिति की सिफारिशों को पढ़ना चाहूंगा। यह कहता है:

“इस परिस्थिति में जब अधिनियम में दंड का प्रावधान नहीं है, तो प्रतिष्ठान विवरणी प्रस्तुत न करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थिति प्रकट हो सकती है। समिति का यह विचार है कि दंडात्मक प्रावधान के बिना कोई कानून प्रभावहीन होता है और लागू नहीं किया जा सकता। ”

किसी भी कानून में यदि कानूनी प्रावधान न हो तो वह मूलतः एक निष्प्रभावी और अस्तित्वहीन कानून होता है। मैं सम्मानित मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर संज्ञान लें। अन्यथा, हम विधेयक के मुख्य उद्देश्य से भटक सकते हैं।

अब मैं अपने दूसरे बिंदु पर आऊंगा। यह मूलतः संख्या का एक खेल है। हमारे एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि इसे 19 से बढ़ाकर 25 किया जाना चाहिए। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह विधेयक प्रत्यक्षतः बहुत सरल लग सकता है, कि यह विधेयक कुछ भी नहीं है लेकिन संख्या 19 से बढ़कर 40 हो रही है। लेकिन इसका उन लोगों की संख्या पर बहुत गंभीर परिणाम हुआ है जो श्रम कानूनों या कानूनी ढांचे के दायरे से बाहर चले जाएंगे। जैसे ही आप इसे 19 से बढ़ाकर 40 करते हैं, देश के इस क्षेत्र की 70 प्रतिशत से अधिक कार्यबल कानूनी ढांचे के दायरे से बाहर हो जाएगी।

अपराह्न 2.00 बजे

हम किसके लिए बना रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि समस्त श्रमिक वर्ग का भविष्य धीरे-धीरे और चुपचाप उन चुनिंदा लोगों के हाथों में सौंपा जा रहा है, जो मुख्यतः लाभ कमाने की प्रवृत्ति से संचालित होते हैं। क्या हम न्याय कर रहे हैं? क्या हमें इस तरह के कानून को इसमें इस प्रकार के प्रावधान के साथ पारित करना चाहिए? यह बहुत गंभीर है कि जब विवरणी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जाती है, तो इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण भरने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था को अपारदर्शी बना देगी। लोग इसका अनुचित लाभ उठाएंगे। अतः मैं बहुत ही गंभीरता और ईमानदारी से माननीय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि मेरे द्वारा उठाए गए इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। हम इस विधेयक का प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं कर रहे हैं, किंतु इस विधेयक का समर्थन करते हुए भी हम माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करते हैं कि विधेयक पारित करते समय इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार अवश्य करें।

इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूँ .

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, हालांकि पूर्णतः नहीं।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर ध्यान दें, जिन्होंने अभी बात की है। इस विधेयक को 8-10 साल पहले राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इसके बाद एक स्थाई समिति का गठन किया गया। स्थायी समिति ने कहा था कि सरकार को देश में मजदूर संघों और नियोक्ताओं से भी चर्चा करनी चाहिए थी। मजदूर संघों और नियोक्ताओं के साथ कुछ विचार-विमर्श के बाद मुझे पता चला कि स्थायी समिति ने देश में कई स्थानों का दौरा भी किया था और चर्चा भी की थी। अंत में उन्होंने इस सभा में इस विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं।

जैसा कि विधेयक के शीर्षक में कहा गया है- श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय कुछ स्थापनों को छूट) अधिनियम- स्थायी समिति ने यह सुझाव दिया है कि 'छूट' शब्द एक नकारात्मक संदेश देता है, जिससे यह आभास होता है कि हम श्रमिक वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। अतः समिति ने सुझाव दिया है कि इसे 'प्रक्रियाओं का सरलीकरण' कहा जाए। आज, धारा (1) में संशोधन द्वारा हम इसी सुझाव को स्वीकार कर रहे हैं।

उसी के साथ-साथ, स्थायी समिति ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों की संख्या 40 नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे 25 रखा जाना चाहिए। मैं भी यही महसूस करता हूँ कि संख्या न तो 19 हो और न ही 40, बल्कि 25 होना अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि यदि इसे 40 तक बढ़ा दिया गया, जैसा कि वरिष्ठ सदस्य ने कहा, तो भविष्य में लाखों प्रतिष्ठान इस अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

धारा (4) की बात करूँ, जिसे इस विधेयक के माध्यम से संशोधित किया जा रहा है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक अच्छा प्रावधान है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि संबंधित विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अर्थात् कंप्यूटर, ई-मेल आदि के जरिये, संबंधित अधिकारियों को भेजे जा सकते हैं। यह अच्छा है। यह अच्छा नहीं है कि एक लघु प्रतिष्ठान को हर दिन सैकड़ों में चलने वाले सभी रजिस्ट्रों, फॉर्मों को भरने की

आवश्यकता हो। इसलिए, यह प्रावधान जिसे हम आज संशोधित कर रहे हैं, अच्छा है क्योंकि आजकल हर प्रतिष्ठान में एक कंप्यूटर है।

प्रो. राय ने सुझाव दिया कि स्थायी समिति ने 5-6 साल पहले व्यक्त किया था कि कंप्यूटर के बिना कुछ प्रतिष्ठान थे। लेकिन एक दशक के अंतराल के बाद, मुझे आशा है कि प्रत्येक छोटे प्रतिष्ठान के पास यह होगा प्रत्येक छोटे प्रतिष्ठान या यहां तक कि *किराना* शॉप में भविष्य में एक डेस्कटॉप होना चाहिए। यह एक अच्छा संशोधन है। मैं यह कहना चाहूंगा कि नियोक्ताओं को श्रम सुधार की आड़ में लाभ नहीं उठाना चाहिए। कुछ प्रतिष्ठान हैं, विशेष रूप से बीड़ी नियोक्ता हैं, हालांकि वे सैकड़ों कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हैं, वे यह नहीं बता रहे हैं कि वे इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मुख्य अधिनियम में, जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। विवरण प्रस्तुत नहीं करने के लिए, भारी जुर्माना लगाने का कुछ परंतुक होना चाहिए जिसे अधिकारियों द्वारा अधिनियम का दुरुपयोग करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ तय किया जा सकता है।

कल तेलंगाना के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रशेखर राव गारु जी ने तेलंगाना के लिए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। हमारी सरकार सभी श्रम कानूनों से भी निपटने के लिए आगे आ रही है। हम सुधारों के लिए हैं। अतः हमें पहले देश की युवा पीढ़ी को नियोजन देना चाहिए। विशेषकर मेरे राज्य में हमारे मुख्य मंत्री जी ने कल तेलंगाना विधान सभा में कानून बनाकर एक निर्णय लिया है जिसमें हम बहुत अच्छे सुझाव के साथ आगे आए हैं। मुझे आशा है कि यह विधेयक आने वाले दिनों में न केवल तेलंगाना बल्कि पूरे देश को भी मदद करेगा।

खंड 4 में, संभवतः अधिकारियों से यह चूक हो गई है कि वे अब भी 'छूट' शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अनुच्छेद 5 में, खंड 4(1), पंक्ति 2 में 'छूट' शब्द अभी भी बना हुआ है, जबकि अनुच्छेद 3 में 'छूट' को बदलकर 'प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु' कर दिया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरी जानकारी के अनुसार यह विधेयक वर्ष 2005 में, लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। उस समय सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। स्थायी समिति में व्यापक चर्चा के बाद स्थायी समिति ने राय व्यक्त की कि यह विधेयक इस अनुरोध के साथ सरकार को लौटा दिया जाए कि किसी सहमति पर पहुँचने से पहले श्रम कानूनों में सुधार के लिये सहमति बनाने हेतु नियोक्ताओं और कर्मचारियों के साथ चर्चा की जाए। यह स्थायी समिति की राय थी लेकिन उस समय, पहले की सरकार के कार्यकाल में, हमने देखा कि वर्ष 2011 तक वह विधेयक संसद में पड़ा था। वर्ष 2011 में, यह विधेयक वापस ले लिया गया था। ऐसा क्यों? पहले सरकार नियोक्ताओं और कर्मचारियों के साथ चर्चा करने की इच्छुक नहीं थी। सरकार कर्मचारियों जिन्हें इसका अधिकतम लाभ मिलेगा उनके साथ किसी सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच सकी थी। वे उद्योग के मुख्य हितधारक हैं। इसलिए, संप्रग सरकार के समय जबकि यह विधेयक वापस लिया गया था, फिर से, हम आज के विधेयक में देख रहे हैं कि जिस खंड में श्रमिकों के हित होंगे, उसे छूट दी गई है।

यहां यह खंड वैसा ही है जो नियोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा और इसीलिए मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं। इस विधेयक में, पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 8 में यह कहा गया है कि मूल अधिनियम की धारा 2 (ड) में शब्द "उन्नीस" के स्थान पर शब्द "चालीस" प्रतिस्थापित किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? यह इसलिए किया गया है क्योंकि भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार कॉरपोरेट के लिए, कॉरपोरेट की ओर और कॉरपोरेट द्वारा कार्य करती है। यह विधेयक औद्योगिक घरानों के हित के लिये पुरःस्थापित किया गया है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो हमारे 71 प्रतिशत कारखाने और 80 प्रतिशत से अधिक श्रमिक श्रम कानूनों के दायरे से बाहर चले जाएंगे। तो हमारे देश के मजदूरों को न्याय कहाँ से मिलेगा? जो कामगार 3,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। जो नियोक्ता ज्यादा से ज्यादा धन कमा रहे हैं वह कामगारों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे। यह सरकार इस तरह के संशोधन लाने की इच्छुक क्यों है? सरकार हमारे देश के कॉरपोरेट घरानों के हितों की रक्षा करना चाहती है, न कि हमारे देश के श्रमिकों के हितों की।

महोदय, मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा कि श्रम सम्बंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2005 में अपने प्रतिवेदन में क्या कहा है? प्रतिवेदन में कहा गया है-

“समिति को आशंका है कि कर्मचारियों की संख्या में और वृद्धि से अधिकांश उद्योगों को विवरणी प्रस्तुत करने और रजिस्ट्रों के रखरखाव से छूट मिलेगी। अधिकांश श्रमिक संघों के कड़े विरोध को ध्यान में रखते हुए, समिति चाहती है कि लघु प्रतिष्ठानों में शामिल करने के लिए कर्मचारियों की संख्या के संबंध में यथा स्थिति को बनाए रखा जाए, अर्थात्, 19 जैसा कि मूल अधिनियम में निर्धारित किया गया है या, अधिक से अधिक संख्या को 25 तक बढ़ाया जा सकता है और परिणाम का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। ”

स्थायी समिति में विभिन्न रायों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और उन्होंने सर्वसम्मति से राय दी कि इस विधेयक को वर्तमान रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अब इस विधेयक को पारित करने की इच्छुक क्यों है? भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इस देश में प्रचलित श्रम कानूनों में प्रमुख संशोधन लाने की इच्छुक है। हम सुन रहे हैं कि फैक्ट्री अधिनियम और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाले अन्य श्रम संबंधी अधिनियमों को भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार द्वारा संसद में संशोधन के लिए लिया जा रहा है। यह इस सरकार का पहला कदम है। वे सोच रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और व्यापारिक घरानों की रक्षा करने का यह उचित समय है। उन्हें इस प्रकार के विधेयकों को पारित करने की जल्दी है। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है वे अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। 31 प्रतिशत लोगों ने भाजपा के लिए मतदान किया है; उन्हें मतदाताओं में कोई रुचि नहीं है भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार केवल उन लोगों के बारे में रुचि रखती है जिन्होंने उन्हें नोट दिए हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को मतदाताओं के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उन लोगों के बारे में रुचि रखती है, जिन्होंने उन्हें हजारों करोड़ रुपये दिए हैं।

उनके लिए यह सरकार इस संसद में, इस महती सभा में इस प्रकार का विधेयक ला रही है। यह इस सदन का कर्तव्य है। हमारे देश के सबसे ज्यादा मतदाताओं ने इस सदन के सदस्यों को चुना है। पिछले लोक सभा चुनाव में भाग लेने वाले लोगों को उम्मीद थी कि यह सरकार इस बात पर गौर करेगी कि संप्रग सरकार क्या नहीं कर सकी। लेकिन, सब कुछ बेकार हो गया। यह भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आरम्भ से ही पूंजीपतियों, औद्योगिक घरानों और अन्य हितों की रक्षा करने में लगी हुई है। गरीबों,, किसानों, कृषि मजदूरों, कामगारों, विद्यार्थियों और देश के बेरोजगार युवाओं के हितों की इसे कोई परवाह नहीं है। इसीलिए, आज मैंने इस विधेयक में एक संशोधन भी दिया है। वह बाद में आएगा। मुझे उम्मीद है कि यह सम्मानीय सभा इस मामले को गंभीरता से देखेगी। यह सम्मानीय सभा इस मामले को उन लोगों के हितों की रक्षा करेगी जो हमारे देश के नागरिकों की सेवा कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, महोदय।

श्री वारा प्रसादराव वेलागपल्ली (तिरुपति): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह कहूँ कि मैं इस विधेयक का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। तमिलनाडु सरकार के श्रम आयुक्त के रूप में अपने पिछले अनुभव के आधार पर, मैंने सोचा कि मुझे यहाँ कुछ सुझाव देना चाहिए। संयोग से माननीय मंत्री जी भी अत्यंत अनुभवी हैं और मैं सोचता हूँ कि आप भी इन बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। इसलिए हम न तो विधेयक के विरोध में हैं और न ही विधेयक के समर्थन में हैं।

प्रक्रिया का सरलीकरण निश्चित रूप से प्रोत्साहन देने वाला है। लेकिन यदि आप विवरण में जाएं, तो यह सरलीकरण की बजाय विषय को और जटिल बना रहा है। यहाँ एकमात्र सरलीकरण जो दिखाई देता है, वह यह है कि पंजीकरण और विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकते हैं, जो वर्तमान युग में सराहनीय है। आज हम इसकी प्रशंसा करते हैं। इसमें ज्यादा पारदर्शिता नहीं है। यह हार्ड कॉपी जमा करने के समान ही है। लेकिन जहाँ तक कर्मचारियों की संख्या का प्रश्न है, जिसे 19 से बढ़ाकर 40 किया जा रहा है, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने स्पष्ट और जोरदार रूप से बताया है, इससे लगभग 70 से 80 प्रतिशत कामगार श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। विशेष रूप से कंप्यूटरीकरण के वर्तमान समय में प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है क्योंकि पहले जो भी काम पांच लोग कर सकते थे, वे इसे एक व्यक्ति से करवा रहे हैं। इसलिए अधिक संख्या में श्रम शक्ति इसके दायरे से बाहर हो जाएगा। अतः मैं सरकार के समक्ष यह निवेदन प्रस्तुत करता हूँ कि इस विषय पर पुनः विचार किया जाए।

दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसमें कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। वास्तव में समुचित दंडात्मक कार्रवाई के बगैर कोई भी कानून शक्तिहीन है। इससे कोई बड़ा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यही एक कारण है कि 10 से 12 बैठकें करने के बाद संसदीय स्थायी समिति ने यह कहते हुए यह विधेयक सरकार को वापस किया था कि इसे फिर से पुरःस्थापित न किया जाए। इसकी एक पंक्ति बदले बिना, संसदीय स्थायी समिति में इतनी चर्चा के बाद भी यह उसी रूप में है। वर्ष 2005 में इसे पुरःस्थापित किया गया था। समिति लगभग दस बार बैठी थी। यह विधेयक 2011 में भी प्रस्तुत किया गया था और स्वीकार किया गया था कि कुछ

और संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन अब यह फिर से 2014 में उसी भावना और रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः संख्या पर पुनर्विचार आवश्यक है। इसे बढ़ाकर 40 करने के बजाय, 25 रहने दिया जाए, इस पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है। दंडात्मक कार्रवाई होनी आवश्यक है क्योंकि नियोक्ता इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने नए अधिनियम जोड़े हैं। पहले केवल नौ अधिनियम थे, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 16 कर दिया गया है, जो इस मुख्य अधिनियम के दायरे में आते हैं। एक महत्वपूर्ण अधिनियम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। गांवों में महिलाओं को दैनिक मात्र 50 रुपये जैसी नगण्य राशि का वेतन दिया जाता है। यदि आप इन सभी अधिनियमों को इस प्रमुख अधिनियम में शामिल कर देते हैं, तो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने का मूल उद्देश्य ही प्रभावित हो जाएगा। इसमें बोनस अधिनियम, बीड़ी श्रमिक अधिनियम जैसे अन्य अधिनियम हैं। यह एक और महत्वपूर्ण बात है जहां टुकड़ों में काम किया जा रहा है। इसलिए जब तक विवरणी और रजिस्टर बनाए और रखे नहीं जाते, तब तक कोई न्याय संभव नहीं है और इन श्रमिकों को इससे लाभ नहीं मिल सकता।

इसलिए इस अधिनियम के दायरे में आने वाले नौ मूल अधिनियमों के साथ, उन्होंने दूसरे सात अधिनियमों को भी जोड़ा है और इसे 16 कर दिया है। सर्वसम्मति भी नहीं है। संसदीय स्थायी समिति ने बार-बार उल्लेख किया है कि कर्मचारियों, नियोक्ताओं और सरकार के बीच सर्वसम्मति प्राप्त की जानी है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि लेख में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है।

इसलिए, संसदीय स्थायी समिति ने जो बताया है, उसे ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि इस अधिनियम में संख्या और दंडात्मक कार्रवाई लाने पर जरूर विचार किया जाए। इसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की संख्या की भी पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। इन कुछ बिंदुओं के साथ, मैं एक बार फिर अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं इस सभा के समक्ष श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने में कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक 2011 के विषय में अपनी बात रखने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूँ।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, श्रम एक राष्ट्र के विकास का आधार है। स्वतंत्रता के बाद से, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, श्रमिकों की भलाई के लिए कई नियम बनाए गए हैं। यदि श्रमिकों को वंचित या अभावग्रस्त किया जाता है, तो इसका सीधे तौर पर देश को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए श्रमिकों की भलाई किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र, जिसमें भारत भी शामिल है, का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। भारत सदैव श्रमिकों, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों की भलाई को बढ़ावा देता रहा है।

महोदय, हमें वर्तमान विश्व की कठोर सच्चाई पर विचार करना होगा। हम सूचना और तकनीक के युग में जी रहे हैं। हम डिजिटल दुनिया के युग में जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए, यदि कोई कानून, नियम या अधिनियम प्राचीन या पुराना प्रतीत होता है, तो उसका पुनरावलोकन, पुनः परीक्षा और पुनर्विचार आवश्यक है, लेकिन यह कभी भी श्रमिक वर्ग के कल्याण की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

महोदय, मेरे सम्मानित सदस्यों ने इस विधेयक पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। यह सत्य है कि यह विधेयक यूपीए शासनकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अब सरकार ने नए कानून के नाम पर एक परोक्ष तरीका अपनाया है और सूची में सात नए अधिनियम जोड़ दिए हैं, जिन्हें छूट दी जानी है। वे हैं: मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 ; बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966; अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979; डॉक श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986; बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986; और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996।

महोदय, यह कारण है कि हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने मूल विधेयक की विषय-वस्तु को बदलकर सात नए अधिनियम अंतःस्थापित किए हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि इससे हमारे देश के करोड़ों मजदूर प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए, बीड़ी और सिगार कर्मचारियों को ही लें मैं एक ऐसे जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ आठ से दस लाख कर्मचारी केवल बीड़ी निर्माण में लगे हुए हैं। उनका अत्यधिक शोषण किया जाता है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से यदि इन अधिनियमों को छूट की सूची में शामिल किया जाता है, तो, मुझे लगता है, यह उन लाचार मजदूरों के साथ एक बड़ा अन्याय होगा।

महोदय, यह सही ही उल्लेख किया गया है कि छोटे प्रतिष्ठान की परिभाषा में संशोधन कर कर्मचारियों की संख्या 19 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इसे 100 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था; ट्रेड यूनियनों ने इसे 19 से भी कम करने की मांग की थी; जबकि स्थायी समिति ने 25 करने की सिफारिश की थी। इसके बावजूद, सरकार ने इस संख्या को 40 निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

मूल विधेयक का मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में श्रमिकों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम में लाने और इसके द्वारा शामिल किए गए अधिनियमों की सूची का विस्तार करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना था।

महोदय, यह विधेयक पारित कर दिया गया है। छोटे प्रतिष्ठानों और अत्यंत छोटे प्रतिष्ठानों के कर्मचारी अब विभिन्न अनुसूचित अधिनियमों के तहत निर्धारित विवरणी प्रस्तुत करने या रजिस्टर रखने के लिए बाध्य नहीं होंगे, बशर्ते वे इसके स्थान पर वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करें और वर्तमान संशोधन के खंड 3 में निर्धारित अन्य औपचारिकताओं का पालन करें।

संशोधन का एक और महत्वपूर्ण भाग खंड 3 की उप-खंड 2 है, जिसमें यह कहा गया है:

फॉर्म-1 में वार्षिक विवरणी और फॉर्म-2 और 3 में रजिस्टर और उप-धारा 1 में प्रदान किए गए वेतन पर्चियों, वेतन पुस्तिका और अन्य रिकॉर्डों को एक नियोक्ता द्वारा कंप्यूटर, कंप्यूटर फ्लॉपी, डिस्कट

या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर संधारित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे विवरण, रजिस्टर, पुस्तिका और रिकॉर्ड या उनके किसी भाग की प्रति माँगे जाने पर निरीक्षक को उपलब्ध कराए जाए।”

हमें छोटे उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करना होगा क्योंकि यह समय की मांग है। यदि भारत तरक्की करना चाहता है, तो हमें छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना होगा ताकि और अधिक रोजगार सृजित किया जा सके। इसलिए, स्वाभाविक रूप से उन उद्यमियों को थोड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया जाना होगा लेकिन हमें बहुत तार्किक होना चाहिए। हमें व्यावहारिक होना चाहिए। हमें अपने सभी दृष्टिकोणों में यथार्थवादी होना चाहिए ताकि नियोक्ता के हित और कर्मचारियों के हित के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। सभी हितधारकों के हितों में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि यही किसी भी विकास मॉडल की पहचान होती है।

महोदय, श्रम कानून एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में आता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्यों दोनों को अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी। यहां हमारे पास इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि देश में कितने छोटे प्रतिष्ठान हैं और उन सभी प्रतिष्ठानों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी उन इकाइयों में तैनात कार्यबल की वास्तविक संख्या क्या है। इसी कारण, स्थायी समिति ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि एक सर्वेक्षण कराकर देश में मौजूद इन छोटी इकाइयों की वास्तविक संख्या और उनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या का पता लगाया जाए।

दूसरी बात, श्रम आयुक्तों के कार्यालयों में श्रमशक्ति की भारी कमी है। मुझे नहीं पता कि हमारे देश में इतनी बड़ी श्रमशक्ति की निगरानी और निरीक्षण इस अल्प और अपर्याप्त मानव संसाधन के साथ कैसे किया जा सकेगा। इसलिए, प्रवर्तन तंत्र को पर्याप्त मानव संसाधन के साथ सुदृढ़ करना आवश्यक है। अन्यथा, निरीक्षण कार्य कैसे किया जाएगा? मुझे यह भी नहीं मालूम कि हमारे देश में कितने ऐसे कार्यालय हैं, जो प्रवर्तन का कार्य कर रहे हैं और जो कंप्यूटर तथा अन्य आधुनिक उपकरणों से युक्त हैं।

यदि आपकी मंशा न्यूनतम निरीक्षण को भी समाप्त करने की है, तो आप श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? इसके साथ ही, पंजी में दर्शाए गए कर्मचारियों की संख्या और वास्तव में नियोजित

कर्मचारियों की संख्या के बीच भी असंतुलन है। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उनको सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी के लाभों से वंचित करने के लिए, श्रमिक न्याय दिलाने के लिए कहां जाएंगे? यदि विवरण कंप्यूटर, कंप्यूटर डिस्क या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जाएगा, तो श्रमिक यह कैसे जान पाएंगे कि वे नियोक्ता की सूची में हैं या नहीं? क्या हमारा पूरा कार्यबल कंप्यूटर सीखने के लिए पूरी तरह सक्षम है? अन्यथा, वे यह कैसे जान पाएंगे कि उन्हें नियोक्ता के रिकॉर्ड से सूचीबद्ध किया गया है या हटा दिया गया है?

महोदय, कई अन्य सदस्यों की तरह, मैं भी यह प्रस्ताव करता हूं कि दंडात्मक प्रावधान को फिर से जोड़ा जाना चाहिए। दंडात्मक प्रावधान के बिना इन निःसहाय कामगारों को न्याय नहीं दिलाया जा सकता है।

आखिर में, मैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन को उद्धृत करूंगा:

उन्होंने कहा, "ऐसा कोई भी कानून या विधेयक जो केवल एक समूह या वर्ग के हितों की रक्षा करता हो, लेकिन इसके लिए अन्य कई समूहों या वर्गों के हितों को नुकसान पहुंचाता हो या उनकी हानि करता हो, वह न तो न्यायसंगत माना जाता है और न ही विद्वत्तापूर्ण।"

हमें उन सभी प्रावधानों को समाप्त कर देना चाहिए जो श्रमिक वर्ग में अंतर्निहित या स्पष्ट रूप से शिकायतों का कारण बन सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं सदन में शांति बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। यहां सदस्यों के बीच कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। केवल एक सदस्य को बोलना है, सभी को नहीं।

श्री रतन लाल कटारिया।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा लाये गये श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है, वर्तमान समय ग्लोबलाइजेशन एवं लिब्रलाइजेशन का युग है। आज भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए श्रमिक और प्रबंधक के रिश्तों में सुधार बहुत जरूरी है। इस बात की आवश्यकता भारत के संविधान निर्माताओं ने भी की थी और संविधान की जो प्रिम्बल है उसके अन्दर भी इस बात का प्रावधान किया गया था कि हमारे देश के जो लेबर क्लास के लोग हैं, हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। उसी बात को आगे रखते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की धारा में यह राइट टू लाईफ और राइट अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेशन की व्यवस्था की और समय-समय पर लेबर रिफार्म्स के बहुत-से कानून बनाये गये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्ष 1919 से यह सिलसिला शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस विषय में बहुत से कानून बनाये। आज जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, उसका विज्ञान बिल्कुल क्लियर है। हम चाहते हैं कि जो नियोक्ता है, जो इम्प्लायर है और जो कर्मचारी हैं, वे एक-दूसरे को, एक-दूसरे के खिलाफ न समझते हुए, भारत के निर्माण में अपनी जिम्मेवारी को समझें और इस प्रकार के रिश्ते आपस में डेवलप करे, जिससे राष्ट्र उन्नति की ओर जाए। उन्हीं बातों को रखते हुए ये परिवर्तन आएं। हमारी सरकार इस बात के बिल्कुल खिलाफ है कि कोई एक पक्ष एक्सप्लोइटेशन करते रहे और दूसरा पक्ष उसको सहता रहे। इन सबके खिलाफ भी एक पारदर्शी योजना बनाने के अंतर्गत ही यह बिल लाया गया है।

अभी मेरे कांग्रेस के मित्रों ने बोलते हुए बहुत-सी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने यह बिल लाया है। मैं अपने इन मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वर्ष 2005 में इस बिल का प्रारूप नहीं बना? क्या यह बिल स्थायी समिति में बार-बार नहीं गया? देश में जितने भी मजदूर संगठन हैं, क्या उन्होंने यूपीए सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के कारण 20 और 21 फरवरी, 2011 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान नहीं किया? क्या उस हड़ताल को समाप्त करने के लिए उस समय के प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्र के नाम एक अपील जारी नही की? क्या वर्ष 2011 में इस बिल को दुबारा से पार्लियामेंट में नहीं लाया गया? आज विश्व परिदृश्य को देखते हुए, इस प्रकार का एक बिल आया है, जिसमें कोई बड़ी चेंजेज नहीं हैं, केवल सरलीकरण का प्रयासास किया गया

है, इससे हमारी लेबर क्लास को लाभ होगा। हमारे देश में हम जिस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं, हमारे प्रधान मंत्री जी दिन-रात प्रयास कर रहे हैं और सारी दुनिया में एक ग्रोथ स्टोरी लेकर जा रहे हैं। विश्व की सभी सरकारों और नेताओं का आह्वान कर रहे हैं कि आप भारत में आइए, आपको हर तरह की सहूलियतें यहां मिलेंगी, आप अपनी पूंजी का निवेश यहां कीजिए, हम आपको एक ऐसा ढांचा खड़ा करके देंगे, जिसमें कार्य करने में आपको कोई भी कठिनाई होगी। उसी दृष्टि से यह बिल लाया गया है। एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति ने चाहे कितना भी महंगा जूता खरीदा हो, अगर वह जूता उस व्यक्ति के पांव को काटता है, तो वह व्यक्ति कोशिश करता है कि किसी तरह से पैसे खराब न हो। उसको पहनने के लिए उसमें पैताबा लगावाता है, एड़ियों को कटने से बचाने के लिए उसमें कुछ लगाता है, लेकिन बार-बार प्रयत्न करने के बाद भी अगर वह जूता उसके पांव को काटता है तो फिर वह जूता कितना भी महंगा क्यों न हो, वह फेंक दिया जाता है। इसी तरह से देश और समाज की प्रगति के लिए समय-समय पर पार्लियामेंट विचार करती है। अगर कोई कानून राष्ट्र के विकास में बाधा बनता है और अगर कोई कानून राष्ट्र के समक्ष उपस्थित वर्तमान परिस्थितियों से मेल नहीं खाता है तो उस पर पार्लियामेंट विचार करती है। जब ये कानून बने थे, तब इंटरनेट कहां था, फेसबुक कहां था, डिजिटल क्रांति कहां थी, आईटी सेक्टर कहां थी। उस समय भारत की छवि दुनिया में ऐसी थी कि जब भी हमारा कोई नेता, राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री दूसरे देश में जाते थे, तो कार्टून छपते थे - "दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, इंटरनेशनल फकीर आए हैं, कुछ मांगने के लिए आए होंगे। अनाज मांगने के लिए आए होंगे, कपड़े मांगने के लिए आए होंगे।"

मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी ने आज किस तरह से सारे विश्व में भारत की छवि बदली है और किस तरह से आज सारी दुनिया भारत की ओर खिंची आ रही है। जापान कह रहा है कि मैं भारत में निवेश करूंगा, चीन कह रहा है मैं निवेश करूंगा। अमरीका कह रहा है मैं निवेश करूंगा और आपने कल-परसों सार्क का नजारा तो देखा होगा, जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाज शरीफ ने थोड़ा सा आडियल रुख अपनाना चाहा और जो समझौते हो रहे थे, उनके अंदर अड़ंगा अड़ाना चाहा, तो सार्क के देश माननीय नरेन्द्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गये और सबने कहा कि हम आपके

साथ चलेंगे तथा नवाज शरीफ को भी मजबूर होकर एनर्जी क्लॉज के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े। ये जो परिवर्तनकारी बिल आ रहे हैं ये सब चीजों को मद्देनजर रखकर आ रहे हैं। हम भारत के श्रमिकों का हित चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे इस देश के अंदर भागीदार बनें। वे सम्मान का जीवन भारत के अंदर जीयें। हमारी सरकार इस प्रकार का कोई काम नहीं करेगी कि हिंदुस्तान में रहने वाला श्रमिक अपने वेतन के लिए तड़पे और उसका शोषण होता रहे। हम तो इस प्रकार की नीतियां अपनाएंगे देश के विकास की रोशनी उसके घर के अंदर भी आये ताकि भारत एक महान राष्ट्र बने। हम अपने देश की उस छवि से छुटकारा चाहते हैं जिसमें हमें भिखारी के रूप में देखा जाता था, सपेरो के देश के रूप में देखा जाता था और चाहते हैं कि वे इस बात को स्वीकार करें कि यह सरकार जो परिवर्तन ला रही है, लोक सभा के अंदर जो कानून ला रही है, चाहे श्रमिकों से संबंधित हों या अन्य कानून हों, उनसे हम अपने देश को एक महान देश बनाना चाहते हैं। उसी दृष्टि से यह एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है और मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 10 साल में तो कोई सबक सीख नहीं सकी, अब कम से कम जो नजारा हिंदुस्तान का दुनिया में बन रहा है, उससे तो कुछ सीख लो, अब तो आंखें खोल लो।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : मान्यवर, हमारे बीजेपी मित्र का बड़ा लच्छेदार भाषण सुनने के बाद मैं बिल पर आता हूँ। यह जो नया लेबर बिल है, सभी मैम्बरों से उसे साझा करना चाहता हूँ। हमारे देश में 90 प्रतिशत जनता असंगठित क्षेत्र में है। हमारे पंजाब में 98 प्रतिशत लोग उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां श्रमिकों की संख्या 40 से कम है। उनकी हालत से हम भलीभांति परिचित हैं। मैं एक डाक्टर और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनके बीच में रहा हूँ। केवल 10 प्रतिशत लोग ही संगठित क्षेत्रों में काम करते हैं जहां काम की हालत अच्छी है, उनका जीवन-स्तर अच्छा है, उनके बच्चों को अस्पताल की सुविधाएं हैं और उनकी जिंदगी ठीक ढंग से चलती है। इस नये लॉ में जो अमेंडमेंट काजा रही है यह अगर लागू होता है तो देश के असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का 70 प्रतिशत भाग और इंडस्ट्री बाहर हो जाएगी और जो मजदूरों का ईएसआई, पेंशन का आधिकार है, वे उससे वंचित हो जाएंगे। उनकी हालत जो पहले से ही बुरी है और बदतर हो जाएगी।

आप यह बताइए कि कौन सा कारखानेदार अपने मजदूर को, चाहे वे 20 हों या 25 हों, उनको क्या वह न्यूनतम वेतन देता है? आप इस बारे में पूरे देश में एक सर्वे करवाइए और देखिए कि कितनी मजदूरी उनको मिलती है। छोटे और मध्यम कारखानेदारों के उलट बड़े कारखानेदारों के यहां अभी कुछ व्यवस्था है और वहां मजदूरी अभी ठीक मिलती है, हालांकि यूरोपीयन देशों के बराबर नहीं मिलती है, फिर भी वह सम्मानजनक मजदूरी होती है। इसके अलावा उनको ईएसआई, पेंशन और उनके बच्चों के लिए सुविधाएं इत्यादि कुछ आधिकार मिले हुए हैं। असंगठित क्षेत्र के 90 परसेंट मजदूरों का हाल इस बिल से बद से बदतर होने वाला है।

आपने इन्स्पेक्टर राज को हटाने की बात इसमें कही है। लेकिन आपके इनकम टैक्स में और एक्साइज में क्या इन्स्पेक्टर राज नहीं है। यदि इन्स्पेक्टर राज में कुछ खामियां हैं तो उनको ठीक कीजिए न कि उसके सहारा लेकर आप छोटे कारखानेदारों को ये छूट दे दें कि आपको रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है। मजदूरों का जितना मर्जी शोषण कीजिए, ठेकेदारी प्रथा को लागू कीजिए, मजदूरों को न्यूनतम वेतन दीजिए या न दीजिए। उनके लिए कोई शिकायत केन्द्र नहीं है, वे कहीं नहीं जा सकते हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं होगा, कोई लेबर लॉ नहीं होगा, जिसके सहारे वह अपना दुख दूर कर सकेंगे, इससे आप ऐसी व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं।

मैं सभी से कहना चाहता हूँ, [अनुवाद] यह पूंजी नहीं है जो हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को बढ़ावा देती है; यह इमारतें नहीं हैं; यह मशीनरी नहीं है; बल्कि यह कामकाजी लोग हैं जो पूंजी को उत्पादों में बदलते हैं और उत्पादों को लाभ में परिवर्तित करते हैं, और फिर देश को गतिशील बनाए रखते हैं। [हिन्दी] अगर आप असंगठित क्षेत्र से सरलता और नये कानून के नाम पर इस तरह का व्यवहार करने जा रहे हैं, तो वह हमें बिलकुल मान्य नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि दण्ड की बात मत कीजिए, यह कानून ही स्क्रेप होना चाहिए। इस कानून में जो पहले से ही प्रावधान है कि मजदूरों की जो भी न्यूनतम संख्या, जो कि 19 या 20 है, वह बरकरार रहनी चाहिए ताकि देश के 90 प्रतिशत मजदूरों के हित सुरक्षित हो सकें। यदि कोई इस पर अमल नहीं करता है तो उसके लिए सख्त पेनल्टी लगायी जानी चाहिए।

महोदय मजदूरों ने जो सामूहिक सोदेबाजी का अधिकार लिया है वह बहुत लड़ाई के बाद लिया है वह हक आप उनसे छीनने वाले हैं। यह उनकी जिंदगी को सुधारने का राइट है। यह आप उनकी संख्या घटा कर और मालिकों को खुली छूट देकर करने वाले हैं कि वे जो मर्जी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई इन्स्पेक्टर आने वाला नहीं है और ये मजदूर कहीं नहीं जा सकेंगे। यह सरासर अन्याय है और मुझे दुख है कि आप प्रगति के नाम पर, सुधार के नाम पर, देश के विकास के नाम पर आपने जो वोट लिया है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा मजदूर वर्ग है, जो कि पहले से ही बहुत बुरी हालत में जिंदगी गुजार रहा है, जो भूखा मर रहा है, जिसके बच्चे के लिए शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रहने का अच्छा साधन नहीं है। इससे आप उसके साथ और ज्यादा अन्याय करने वाले हैं। यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप इससे देश को तबाही के कगार पर ले जाएंगे।

महोदय, मैं विनती करता हूँ कि इस कानून को रद्द किया जाए और इसे स्क्रेप करने की मांग करता हूँ।
धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी (कडप्पा): महोदय, मैं अपनी पार्टी और इसके अध्यक्ष श्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी गारू जी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह विधेयक पहली बार संप्रग के शासन काल के दौरान नियोक्ताओं को विवरणी प्रस्तुत करने और कुछ प्रकार के प्रतिष्ठानों के लिए रोजगार रजिस्ट्रों को बनाए रखने पर छूट प्रदान करने के लिये पुरःस्थापित किया गया था। उस समय संसदीय स्थायी समिति ने इस विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताई थी और अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत की थीं। उसी विधेयक को अब नई विषय-वस्तु के साथ पुरःस्थापित किया गया है। यह प्रस्तावित विधेयक, लघु उद्योगों के लिए वर्तमान में 19 से 40 तक नियोजन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है, जबकि दूसरी ओर इस विधेयक में नियोक्ताओं द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माने में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है। 19 से 40 तक संख्या बढ़ाने का प्रयास करते हुए, भारत सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्नत तकनीक और मशीनरी के कारण कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनमें भारी पूंजी निवेश, उच्च कारोबार और लाभ होता है, लेकिन वे 20 से कम श्रमिकों को रोजगार देते हैं। आज सुबह मैंने एक लेख में पढ़ा कि एक अनुमान के अनुसार देश की लगभग 72 प्रतिशत फैक्ट्रियों के लिए सभी श्रम कानूनों का उल्लंघन करना और श्रमिकों का अधिक शोषण करना बहुत आसान हो जाएगा। इस संदर्भ में, श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा।

यह विधेयक ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसका उद्देश्य लघु उद्योगों के नियोक्ताओं को उचित लाभ देना है। यह प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नियोक्ताओं को कानून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने जैसा है। अब तक कई लघु उद्योग प्रतिष्ठान न तो पंजीकृत सही ढंग से रख रहे हैं और न ही विवरणी सही तरीके से दाखिल कर रहे हैं। यह संशोधन निश्चित रूप से नियोक्ताओं को रजिस्टर बनाए रखने और विवरणी दाखिल करने के स्थान पर फॉर्म 1, 2 और 3 बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। रोजगारोन्मुख कानून बनाते समय सरकार को श्रमिकों के हितों पर भी अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। श्रमिकों के हक में बहुत कानून हैं। लेकिन

उनके लागू होने के बजाय अक्सर उल्लंघन होता है। देश के संगठित क्षेत्र में लगभग साठ प्रतिशत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जैसे बुनियादी वैधानिक लाभों से वंचित रखा जाता है। अन्य श्रम कानून, जो कार्य के घंटे, ओवरटाइम कार्य और कार्यस्थल पर सुरक्षा से संबंधित हैं, वे भी लगातार उल्लंघन का शिकार हो रहे हैं। कई प्रतिष्ठानों में 12 घंटे काम करवाना बिना ओवरटाइम वेतन दिए एक सामान्य प्रथा बन गई है। अतः, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि श्रम कानूनों को गंभीरता से लागू करने का प्रयास किया जाए। श्रमिकों को सशक्त बनाने वाले कानून पहले से ही हैं। सरकार को सारा ध्यान इन कानूनों के क्रियान्वयन पर केंद्रित करना चाहिए, ताकि श्रमिकों के व्यापक हित और कल्याण के लिए इनका लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए अपनी प्रवर्तन प्रणाली का कुशलतापूर्वक उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच आज उत्पन्न होने वाले 90 प्रतिशत विवाद केवल श्रम कानूनों के कार्यान्वयन से संबंधित हैं और कुछ भी नहीं। अतः, जब हम नए कानून लागू करते हैं, तो सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक वर्ग को सशक्त बनाने वाले पुराने श्रम कानूनों को कमजोर न किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विधेयक के माध्यम से भारत सरकार लाखों नियोक्ताओं को लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रही है। साथ ही, यह लाखों नए उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। लेकिन भारत सरकार को करोड़ों श्रमिकों की बेहतरी से संबंधित श्रम कानूनों की रक्षा और कार्यान्वयन भी करना चाहिए। इस विधेयक पर आगे बढ़ने से पहले, श्रम मंत्री महोदय के लिए यह उचित होगा कि वे इस सभा को बताएं कि सरकार श्रमिक वर्ग को सशक्त बनाने के लिए श्रम कानूनों की रक्षा और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन-कौन से उपाय करेगी। यह उचित होगा यदि मंत्री जी सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सभी आशंकाओं को समझें और जब अधिकांश प्रतिनिधि संतुष्ट हो जाएं तब आगे बढ़ें। हमारी पार्टी की ओर से हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वे हमारी आशंकाओं पर विचार करें और हमारी सुझावों को सुनें।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं स्वयं एक औद्योगिक कर्मचारी था। मैंने लगभग पच्चीस वर्षों तक ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में कार्य किया है।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, प्रथम दृष्टया यह बहुत सरल प्रतीत होता है। विवरणी जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ नियोक्ताओं को इससे मुक्त किया गया है। इसमें वे कई महत्वपूर्ण कानून शामिल होंगे, जैसे वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ठेकेदार श्रम नियमन अधिनियम इत्यादि।

पहली नजर में यह विधेयक सरल लगता है, लेकिन असल में यह केवल एक संकेत या चेतावनी की तरह है, जो आने वाले बड़े और गंभीर प्रभावों का पूर्वाभास देता है। यह प्रारंभिक संकेत की तरह है।

अपराह 3.00 बजे

समय से विवरणी जमा करने से हम नियोक्ताओं को छूट क्यों दें? नियोक्ताओं को पर्याप्त सूचना जमा करने और विवरणी जमा करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। यदि वे एक कंपनी चला सकते हैं, तो क्या उनके लिए न्यूनतम मजदूरी और ऐसी चीजों के भुगतान पर विवरणी जमा करना एक बड़ा बोझ है?

इस विधेयक में केवल संख्या का परिवर्तन हुआ है, जो 19 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। यदि कर्मचारियों की संख्या 40 से कम होती है, तो नियोक्ताओं को विवरणी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे यह जानकारी फ्लॉपी डिस्क या किसी सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से भी रख सकते हैं। मेरा कहना है कि इस विधेयक से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का कोई छुपा हुआ एजेंडा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब सरकार ने नियोक्ताओं को विवरणी जमा करने से छूट दे दी है। अगला कदम क्या होगा? वह कदम भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है।

माननीय प्रधान मंत्री ने पहले ही कह रखा है कि अब इसके बाद इन्स्पेक्टरों को कंपनियों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और नियोक्ता स्व-प्रमाणित कर सकेंगे। क्या होने वाला है महोदय? सभा के इस तरफ

और सभा के उस तरफ मजदूर संघ के नेता हैं। यदि नियोक्ता स्वयं वेतन भुगतान अधिनियम या बागान अधिनियम या फैक्ट्री अधिनियम के भुगतान के संबंध में स्वयं प्रमाणीकरण करता है, तो क्या होगा? ये सारे अधिनियम क्यों बनाए गए? फैक्ट्री अधिनियम में स्वास्थ्य और सभी प्रकार की चीजों के प्रावधान हैं। यहां आप कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर को कंपनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम इंस्पेक्टर राज को खत्म कर देंगे। इंस्पेक्टर को घटनास्थल पर जाकर जांच करनी चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी। किसी भी अनियमितता की स्थिति में नियोक्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके बजाय आप कह रहे हैं कि यह नियोक्ता के लिए एक परेशानी है, और इसलिए इंस्पेक्टर को जाने की आवश्यकता नहीं है।

आप केवल फैक्ट्री अधिनियम का एक उदाहरण लीजिए। भले ही सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी प्रावधान मौजूद हों, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2013 में केवल बॉयलर विस्फोट से जुड़ी घटनाओं में ही देश में 359 लोगों की मृत्यु हुई, वहीं फैक्ट्री मशीनों से संबंधित हादसों में 955 लोगों की मृत्यु हुई। आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि औद्योगिक दुर्घटनाओं और श्रमिकों से जुड़ी जानलेवा घटनाओं में वृद्धि हो रही है। यह स्थिति है। अगर आप इस विधेयक के तहत दूसरा कदम उठाते हैं, तो क्या होगा? नियोक्ता अपनी मर्जी और इच्छानुसार काम करेगा।

एक मजदूर संघ कार्यकर्ता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में जो कारखाने में पूर्व अनुभव रखने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वह इस दिशा में कोई कदम आगे न बढ़ाए। हमें उद्योगों के विकास की आवश्यकता है, लेकिन यह विकास गरीब मजदूरों के अधिकारों की उपेक्षा करते हुए नहीं होना चाहिए। मजदूरों के अधिकार वर्षों के संघर्ष और प्रयासों के परिणामस्वरूप स्थापित हुए हैं। वर्तमान में प्रस्तावित संशोधनों से यह व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिसे स्वीकार करना उचित नहीं होगा।

आपका अगला कदम क्या है? माननीय प्रधान मंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 300 कर्मचारियों से कम वाली कंपनी को छंटनी के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या यह एक कठोर कार्य नहीं

है जिसे आप लाने की कोशिश कर रहे हैं? कामगारों के लिए नौकरी की सुरक्षा बहुत बड़ी बात है। आप कामगारों की छंटनी के लिए नियोक्ताओं को खुला सामान्य लाइसेंस दे रहे हैं। देश के श्रमिक वर्ग, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों, इस विधेयक के खिलाफ संघर्ष करेगा और आपकी दुर्भावनापूर्ण योजनाओं को नाकाम करेगा। मैं इसे एक श्रमिक के रूप में कह रहा हूँ।

इसी तरह, किसी अन्य विधान पर भी, वे कुछ बुनियादी सुधार करने जा रहे हैं। श्रम कानून में संशोधन करना होगा, हम इसके विरुद्ध नहीं हैं लेकिन आप श्रमिक संघों और राज्य सरकारों के साथ इस पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते? इस तरह की चर्चा व्यापक रूप से करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। हम इसके विरुद्ध नहीं होंगे। लेकिन यदि आप इस प्रकार के कदम उठाते हैं, तो आप उन अधिकारों का हनन करेंगे जो मजदूरों ने बड़ी संघर्ष के बाद प्राप्त किए हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार की गलत नियत से प्रेरित कार्रवाई से बचें। बस इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : महोदय, आपने इस अहम बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें इल-मोटिवेशन है। इस श्रम बिल में जो संशोधन लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसमें कोई लंबा-चौड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। एक बात का मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से जो कानून अभी तक था, इसके तहत एक इंस्पेक्टर राज था, इस इंस्पेक्टर राज की समाप्ति में यह बिल बड़ा सहयोगी होगा। आज तक जिस तरीके से छोटे-छोटे इंटरप्रेन्योर्स की यूनिट्स को इंस्पेक्ट कर के इंस्पेक्टर कभी भी एंप्लाइज के इंस्ट्रैस्ट को नहीं देखते थे, बल्कि उस कमी को ध्यान में रखते हुए एंप्लायर से ही एक्स्ट्रॉट करते थे। अब निश्चित तौर से कोई तय शुदा इंस्पेक्टर नहीं होगा, कोई तयशुदा टाइम नहीं होगा। इंस्पेक्शन की प्रक्रिया बंद नहीं की जा रही है। इस कानून के तहत इंस्पेक्शन होगा, लेकिन जो इंस्पेक्टर राज था, उसकी समाप्ति निश्चित होगी। इंडस्ट्रीज के अंदर एंप्लायर और एंप्लाइज के बीच जिस तरह का वातावरण निर्मित हुआ है, लगता है कि वह एक जंग का मैदान है। जिसके चलते ग्रेवार्ड इंडस्ट्री ही बनता गया। अंतिम जो प्रक्रिया हुई है, उस प्रक्रिया के तहत इंडस्ट्रीज बंद पड़ी रहीं। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, उस राज्य में इंडस्ट्रीज का जाल था, लेकिन जितना एंप्लाइज के इंस्ट्रैस्ट में इन लोगों ने वकालत की, इंडस्ट्रीज मरती गईं और आज वे माइग्रेट कर रहे हैं, उनको एंप्लायमेंट नहीं मिल रहा है।

माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इसमें जो कमियां हैं, उनको दूर करने जा रही है, जिससे एक फ्रैंडली वातावरण बन सके और एक सकारात्मक वातावरण में इंडस्ट्रीज का विकास हो। जिसमें एंप्लाइज के इंस्ट्रैस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए न कि एक बिचौलिया इंस्पेक्टर राज के तहत इंस्ट्रैस्ट के कॉस्ट पर एंप्लायर को एक्सप्लाइड करे। इस तरह की व्यवस्था को समाप्त करने की योजना है। इसलिए हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं आपका अभारी हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने में कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2014 , प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ काफी विस्तार से माननीय सदस्यों की बातें आ गई हैं। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ, जो माननीय सदस्यों ने इसके पूर्व में कही हैं। श्रमिकों के हक-हकूक की हिफाजत के लिए उनके हितों पर कोई कुठाराघात न हो, उसके संबंध में यह एक्ट लाया गया है। मैं समझता हूँ जो एक मौजूदा प्रक्रिया है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल को किया गया है। जो एक संख्या थी, जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने भी कहा कि उसको बढ़ाया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से वेवल कुछ बातें कहना चाहता हूँ। इसका ओरिजिनल एक्ट वर्ष 1988 का था। उसके फर्स्ट शेड्यूल में अभी तक केवल 9 लेबर लॉज उसके अन्तर्गत कवर होते थे। [अनुवाद] वेतन का भुगतान अधिनियम; साप्ताहिक अवकाश अधिनियम; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम; फैक्ट्री अधिनियम; बागान श्रम अधिनियम; श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों और विविध प्रावधान अधिनियम; अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम; समान पारिश्रमिक अधिनियम; आदि। अब इस अमेंडमेंट में उन 9 लेबर लॉज की जगह पर हमने 16 लेबर लॉज कर दिया है। इससे स्वाभाविक है कि जो अभी तक इसमें कवर नहीं था जैसे बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996; डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम; अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तों) अधिनियम, आदि। [हिन्दी] इस तरह से हमने 9 की जगह पर 16 लेबर लॉज को इसमें कवर किया है। हमने यह अवसर दिया है कि इन सारे कानूनों को उस परिधि में लायें। अभी तक 15 से 19 तक का न्यूनतम था, उसकी संख्या बढ़ाकर के अब 40 कर दीया है तो स्वाभाविक है कि काफी सुविधायें दी गयी हैं। चाहे डिजिटल के सम्बन्ध में हो कि अब सी.डी. से भी इन्फर्मेशन दे सकते हैं, फ्लॉपी से इन्फर्मेशन दे सकते हैं।

मैं एक बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि रिटर्न फाइल करने के लिए इस एक्ट को सिम्प्लीफाई किया है, निश्चित तौर से वह स्वागतयोग्य है। पूरी दुनिया के बदलते हुए परिवेश में आज कागजों की कमी हो रही है और हम रिटर्न फाइल का काम सी.डी. या फ्लॉपी के माध्यम से कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज यह देखने की आवश्यकता होगी कि हम जो रिटर्न फाइल करते हैं, हमारा प्रबन्ध तंत्र रिटर्न फाइल करता है, स्मॉल इस्टैब्लिशमेंट के अन्तर्गत, क्या वे उसमें एकचुअल फिगर दे रहे हैं, क्या एकचुअल फिगर की रिटर्न फाइल हो रही है या जो लेबर को एकचुअल बेनीफिट मिलना चाहिए, वह उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो वे संख्या दिखाते हैं, जैसे हमारे कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि संख्या अगर आधिक भी है और वे उसे कम दिखाते हैं तो स्वाभाविक है कि उन लोगों के हक-हुक्क की सुरक्षा के लिए हमने इसे और विस्तारित किया है। हमने इसे विस्तारित कर दिया है, इसमें प्रोसिजर को काफी सिम्प्लीफाई किया है, तो स्वाभाविक है कि हमने अब एक तरफ इस्टैब्लिशमेंट को भी आराम दिया है।

वर्तमान समय में जो मौजूदा श्रमिकों के हितों की बात है, आज ईएसआईसी हॉस्पिटल्स बहुत बड़े-बड़े बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो वास्तविक स्थिति है, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस बात को देख लें कि वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ दवाओं की कमी है, वहाँ बिजली की कमी है। यदि हमने इसे श्रमिकों की हेल्थ के लिए बनाया है, उनके हक, अधिकारों के लिए हमने इसे विस्तारित किया है तो निश्चित तौर पर हमें इन चीजों पर गौर करना चाहिए। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, सरकार ने संख्या में बदलाव किया है, यानी 19 से 14 कर दिया है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या लाभ होगा और कौन इससे लाभान्वित होगा। मैं इस संशोधन का कड़ा विरोध करता हूँ क्योंकि इससे बड़ी संख्या में मजदूरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। छोटे पैमाने के क्षेत्र में आने वाली बड़ी संख्या में कारखानों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसका मतलब है कि यह नियोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा। शायद यह कहना सही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जैसी व्यवस्था है, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना होगा कि श्रम कानूनों में खुद एक प्रावधान है कि हर चीज स्थानीय भाषा में लिखी जानी चाहिए और उसे फैक्ट्री में ही रखा जाना चाहिए ताकि सामान्य कामगार उसे समझ सकें। कामगार शायद कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाते और वे ये सारी तकनीकी चीजें नहीं कर पाते।

इसलिए, मुझे विश्वास है कि इस परिवर्तन से श्रमिकों को लाभ नहीं होगा और साथ ही इससे नियोक्ता को लाभ होगा। इसलिए, मैं इस संशोधन का पुरजोर विरोध करता हूँ। इतना ही नहीं, स्थायी समिति ने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया कि हमें इस तरह के जल्दबाजी में संशोधन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया है? अतः, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

प्रो. साधु सिंह (फरीदकोट): महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहूंगा कि पुराने समय में अनेक विधेयक आए हैं लेकिन रेस्तरां, होटल, खेतों में काम करने वाले मजदूरों की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। इसके अलावा, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि यह विधेयक ऐसे कामकाजी लोगों जो देश में धन सृजित करने वाले असली लोग हैं, के जीवन में कोई बदलाव ला सकता है तभी इस विधेयक का कोई अर्थ होगा।

मैं एक कपलैट से अपनी स्पीच खत्म करना चाहूंगा।

"बिल आते रहे और जाते रहे, हम गलियों को दुखड़े सुनाते रहे।"

श्री बंडारू दत्तात्रेय: माननीय उपसभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ। वे सदस्य जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और बहुत सार्थक सुझाव दिए हैं। मैंने कार्यान्वयन से संबंधित सभी सुझावों को संज्ञान में लिया है। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि सभी सुझावों को महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में सम्मिलित कर यथोचित विचार किया जाए।

मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में सदस्यों ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने विचार व्यक्त किए हैं और यह महसूस किया है कि वर्तमान समय की आवश्यकता अधिक से अधिक रोजगार सृजन है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का दृष्टिकोण स्किल्ड इंडिया और डिजिटल इंडिया हैं। स्किल्ड इंडिया के निर्माण के लिए हमारा प्रयास कौशल विकास पर होगा। हमें इसकी बहुत चिंता है। कौशल विकास ही देश में अधिक रोजगार प्रदान कर सकता है। मुख्य उद्देश्य सरलीकरण, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और प्रवर्तन है। इस कानून का निर्माण इन्हीं तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए किया जा रहा है।

मैं इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, उनके बारे में संक्षेप में उत्तर दूँगा। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को गरिमापूर्ण कार्य परिस्थितियां प्राप्त हों, श्रम कानूनों का बेहतर और प्रभावी क्रियान्वयन हो, साथ ही उत्पादकता में वृद्धि, उद्यमिता का विकास तथा देश में रोजगार क्षमता में सुधार हो सके। मेरे मंत्रालय का मुख्य ध्यान और प्राथमिकता असंगठित क्षेत्र पर होगी, जो कुल श्रमशक्ति का लगभग 93 प्रतिशत है। इसमें, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, बीड़ी श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, बागान श्रमिक और कृषि श्रमिक शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या है। अतः मेरा ध्यान असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित रहेगा। कई माननीय सदस्यों ने सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों के कल्याण की बात की है। हम इन दोनों पहलुओं यानी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और श्रमिकों के कल्याण को विशेष प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं।

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 अक्टूबर को *श्रमेव जयते* कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस *श्रमेव जयते* कार्यक्रम के लिए, हमने श्रम सुविधा पोर्टल में प्रमुख पहल की है जिसके माध्यम से शुरू में 16 श्रम कानूनों को हमारी चार प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जोड़ा जा सकता है। वे ई.पी.एफ.ओ., ई.एस.आई.सी., डी.जी.एम.एस. और सी.एल.सी. हैं। इसलिए, मुझे पोर्टल की विशेषताओं को स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान और बड़ी संख्या में श्रमिक जुड़े हुए हैं।

महोदय, सभी नियोक्ताओं को यूनीक लेबर आइडेंटिटी नंबर (एल.आई.एन.) आबंटित किए गए हैं और शेष नियोक्ताओं को भी यह संख्या प्रदान की जाएगी। द्वितीय, तृतीय, निरीक्षण प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने हेतु कंप्यूटर द्वारा स्वतः यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली प्रारंभ की गई है। अनेक माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि निरीक्षण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और इंस्पेक्टर की भूमिका को सीमित कर दिया जाएगा। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभी प्रचलित श्रम कानूनों का यथावत् पालन किया जाएगा। निरीक्षण की प्रक्रिया भी पहले की ही तरह जारी रहेगी। कोई भी प्रावधान समाप्त नहीं किया जा रहा है और किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।

मुझे केवल यह लगता है कि आप कृपया एक बार फिर विधेयक को पढ़ लें। कृपया ध्यान दें कि हमने पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों के चार करोड़ से अधिक सदस्यों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी कर दिए हैं जो पोर्टेबिलिटी, पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल सेवा का आश्वासन देते हैं।

मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। हमने त्रिपक्षीय बैठकों में विचार-विमर्श किया है। कई त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं और अनेक सुझाव प्राप्त हुए। दस राष्ट्रीय प्रमुख मजदूर संघों ने सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

सदस्यों ने श्रम संबंधी स्थायी समिति का भी उल्लेख किया। हमने उस समिति की सभी सिफारिशों का ध्यान रखा है। सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन साथ ही यह हमारा दायित्व है कि हम श्रमिकों के हितों का ध्यान रखे और यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार संरक्षित रहे।

मैं अपनी नीति और अपनी प्रतिबद्धता के बारे में कहना चाहूंगा। हमारी नीति और हमारी नीयत में कोई फर्क नहीं है।

अंत में, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। छह मुख्य अधिनियमों के प्रावधान इस प्रकार हैं। इनमें से एक दंड का प्रावधान है। कोई भी नियोक्ता जो इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, उसे दोषसिद्धि पर दंडनीय ठहराया जाएगा। पहली बार दोषसिद्धि पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी या उसके बाद की दोषसिद्धि पर कम से कम एक माह की जेल होगी, जो अधिकतम छह माह तक बढ़ाई जा सकती है।

यही कारण है कि, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया विधेयक को पारित करने में सहयोग करें।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने में कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम 1988, राज्य सभा द्वारा यथा परित, का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 4

माननीय उपाध्यक्ष: श्री शंकर प्रसाद दत्ता, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): हाँ मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 8, -

शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "चौदह" प्रतिस्थापित करें।" (1)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): हाँ मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 8, -

शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "पच्चीस" प्रतिस्थापित करें।" (2)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं अब प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

प्रो. सौगत राय : मुझे मत-विभाजन चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: दीर्घायें खाली होने दें। अब, दीर्घायें खाली हो गई हैं।

महासचिव निर्देशों को पढ़ेंगे।

महासचिव: माननीय सदस्यों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया हेडफोन पहनें क्योंकि अनुवाद जारी है।

माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन में निम्नलिखित बिंदुओं पर आकर्षित किया जाता है:-

1. मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व, प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने अपने निर्धारित स्थान पर बैठना अनिवार्य है तथा केवल अपने स्थान से ही प्रणाली का संचालन करना होगा। कृपया अपने निर्धारित स्थान पर बैठें।
2. जब माननीय अध्यक्ष "अब मतदान" बोलेंगी, महासचिव मतदान बटन को सक्रिय करेंगे, जिसके पश्चात् माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर "लाल बल्ब" जलेंगे और इसके साथ एक गोंग की ध्वनि भी सुनाई देगी।
3. मतदान के लिए, माननीय सदस्य कृपया केवल गोंग की ध्वनि के पश्चात् ही निम्नलिखित दोनों बटन एक साथ दबाएं। इस बात को पुनः दोहराया जाता है, केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही दोनों बटन दबाए जाएं।

प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लगा लाल "वोट" बटन और, सीट के डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन:

'हां' के लिए : हरा रंग

'नहीं' के लिए : लाल रंग

मतदान में भाग न लेने के लिए : पीला रंग

4. मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक और व्यक्तिगत रिजल्ट डिस्प्ले बोर्डों के ऊपर लगे लाल बल्बों के बुझने तक दोनों बटन को दबाए रखना अनिवार्य है।
5. माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे:
 - (1) यदि पहली गोंग की ध्वनि सुनाई देने से पहले बटन दबाए जाते हैं। या
 - (2) दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक दोनों बटन को एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है।
6. माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों तरफ संस्थापित व्यक्तिगत डिस्प्ले बोर्डों पर अपना मत वस्तुतः "देख" सकते हैं।
7. मत दर्ज नहीं होने की दशा में, वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। धन्यवाद

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 8, -

शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "पच्चीस" प्रतिस्थापित करें। (2)

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन अस्वीकृत हुआ।

प्रो. सौगत राय: मत-विभाजन। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: आपने इसके लिए अनुरोध नहीं किया है।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: मैंने अनुरोध किया है।

माननीय उपाध्यक्ष: आपने इसके लिए नहीं कहा है।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): उन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है। उन्होंने कहा था।

प्रो. सौगत राय : मैंने मत-विभाजन की मांग की थी।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं। कृपया कार्यवाही-वृत्तांत की जांच करें। जब मैंने पूछा था, तब आपने इसके लिए अनुरोध नहीं किया था। आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं?

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैंने कहा था। कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने मत-विभाजन की मांग की थी। आपको पहले 'दीर्घा खाली करने का आदेश देना चाहिए,' उसके पश्चात मत-विभाजन किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं। कृपया सुनें कि मैं क्या कह रहा हूँ।

प्रो. सौगत राय: यह उचित नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष: सबसे पहले आप अपने स्थान पर बैठें। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब मैंने पूछा था, उस समय आपने ने कुछ नहीं बोला था।

प्रो. सौगत राय : मैंने "हां" कहा था।

माननीय उपाध्यक्ष: यदि आप अब चाहते हैं तो मैं उसे पुनः पढ़कर सुनाने को तैयार हूँ। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो. सौगत राय: मैंने कहा है।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं इसे पुनः पढ़ने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जब मैंने इसे पढ़ा था, उस समय आपने नहीं बोला था। आपने बाद में बोला है। यह बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल है, जिसे आप स्वयं देख सकते हैं। फिर भी, आपकी संतुष्टि के लिए विशेष रूप

से एक बार और मत-विभाजन की अनुमति दी जा रही है। लेकिन कृपया यह न कहें कि आपने उस समय बोला था। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय आपने ऐसा नहीं किया था।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : महोदय, कुछ सदस्य अभी भी कार्य प्रणाली और कर्तव्यों को समझने की प्रारंभिक अवस्था में हैं। अतः यह अनिवार्य है कि उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किए जाएं, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें।... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं इसे पुनः पढ़ रहा हूँ और इसकी अनुमति दे रहा हूँ। लेकिन उस समय आपने इस बात को नहीं उठाया था। यही मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: एक बार फिर, मैं पढ़ रहा हूँ दीर्घाओं को पहले ही खाली कर दिया गया है।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 8, -

शब्द "चालीस" के स्थान पर "पच्चीस" प्रतिस्थापित करें। " (2)

लोक सभा में मत विभाजन:

मत-विभाजनहां वालेअपराह्न 3.32 बजे

श्री अभिषेक बनर्जी

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

चौधरी, श्री जितेन्द्र

***दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

*जयदेवन, श्री सी.एन.

*कल्वकुंतला, श्रीमती कविता,

करुणाकरण, श्री पी.

कुमार, श्री संतोष

*मंडल, श्रीमती प्रतिमा

पाटिल, श्री भीमराव बी.

*पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

राय, प्रो. सौगत

*सलीम, श्री मोहम्मद

*** पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

‘ना’ वाले

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

††*अहलावत, श्रीमती संतोष

*अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

आजाद, श्री कीर्ति

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

*भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

*चौधरी, श्री पी.पी.

††* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री पंकज

चौहान, श्री देवुसिंह

*चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

*चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

देवी, श्रीमती रमा

धोत्रे, श्री संजय

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गांधी, श्री फिरोज़ वरुण

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

##*गुप्ता श्री श्यामा चरण

हीकाका, श्री झीना

जायसवाल, डॉ. संजय

*जाट, प्रो. सांवर लाल

जिगाजिनागि, श्री रमेश

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

##* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कारानन्दलाजे, कुमारी शोभा
 कश्यप, श्री दिनेश
 *कटारिया, श्री रत्न लाल
 कटील, श्री नलीन कुमार
 कौशिक, श्री रमेश चन्द्र
 *खाडसे, श्रीमती रक्षाताई
 खैरे, श्री चंद्रकांत
 खंडूरी ए.वी.एस.एम., मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी.
 खन्ना, श्री विनोद
 खेर, श्रीमती किरण
 किजरापु, श्री राम मोहन
 §§*किशोर, श्री कौशल
 श्री फग्गनसिंह कुलस्ते
 *कुमार, डॉ. अरुण
 कुमार, कुंवर सर्वेश
 कुमार, श्री धर्मेन्द्र
 *कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई
 कुशवाहा, श्री रविन्दर
 *लखनपाल, श्री राघव
 लेखी, श्रीमती मीनाक्षी
 महाजन, श्रीमती पूनम
 डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज
 *महतो, डॉ. बंशीलाल

§§* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

श्री भर्तृहरि महताब
 मालवीय, प्रो. चिंतामणि
 मांझी, श्री हरि
 मौर्य, श्री केशव प्रसाद
 *मीना, श्री अर्जुन लाल
 मेघवाल, श्री अर्जुन राम
 मिश्र, श्री भैरों प्रसाद
 *मिश्रा, श्री ददहन
 मोहन, श्री पी.सी.
 मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ
 *नाथ, श्रीचंद
 निषाद, श्री अजय
 निषाद, श्री राम चरित्र
 *निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल
 पाटले, श्रीमती कमला
 ***पाल, श्री जगदम्बिका
 पांडा, श्री बैजयंत जय
 पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ
 पाण्डेय, श्री हरि ओम
 पाण्डेय, श्री राजेश
 *पासवान, श्री छेदी
 पटेल, डॉ. के. सी.
 पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

*** पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन
 पाठक, श्रीमती रीती
 पाटिल, श्री ए.टी. नाना
 पटोले, श्री नाना
 फुले, साध्वी सावित्री बाई
 *प्रसाद, डॉ. भागीरथ
 राधाकृष्णन, श्री पोन्न
 राधाकृष्णन, श्री आर.
 *राय, श्री नित्यानंद
 राज, श्रीमती कृष्णा
 राजभर, श्री हरिनारायण
 राजोरिया, डॉ. मनोज
 राजपूत, श्री मुकेश
 राजू, श्री अशोक गजपति
 राम, श्री जनक
 राठौड़, श्री डी. एस.
 *राय, श्री विष्णु पद
 रूडी, श्री राजीव प्रताप
 साहू, श्री चंदुलाल
 साहू, श्री लखन लाल
 †††*सैनी, श्री राजकुमार
 संजर, श्री आलोक
 **सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

**शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेटी, श्री गोपाल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

**सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. नेपाल

**सिंह, डॉ. सत्य पाल

सिंह, डॉ. यशवंत

**सिंह, श्री गिरिराज

**सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेंद्र

**सिंह (राजू भैया), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री वीरेंद्र

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

स्वैन, श्री लाडू किशोर

त्रिपाठी, श्री शरद

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

***उसेन्डी, श्री विक्रम

वर्धन, डॉ. हर्ष

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

मतदान में भाग नहीं लिया

बाइटे, श्री थांगसो
चौधरी, श्री अधीर रंजन
इरिंग, श्री निनोंग
हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह
मेन्या, डॉ. थोकचोम
सुरेश, श्री डी.के.
सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

माननीय उपाध्यक्ष : सुधार के अध्याधीन §§§*मत-विभाजन का परिणाम है:

पक्ष में, 'हां' वाले - 10

विपक्ष में 'ना' वाले - 116

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र, विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ा गया।

§§§* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्चियों के माध्यम से अपना मत भी दर्ज/सुधार किया।

'हां' वाले: 010 + श्रीमती कविता कल्वकुंतला, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, सर्वश्री मोहम्मद सलीम, शंकर प्रसाद दत्ता और सी.एन. जयदेवन (-) श्री राजकुमार सैनी और आर. राधाकृष्णन = 14

विपक्ष में 'ना' वाले : 116 + डॉ. महेश शर्मा, श्री जी.एम. सिद्धेश्वर, प्रो. सांवर लाल जाट, सर्वश्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंडारिया, गिरिराज सिंह, रत्न लाल कटारिया, राजवीर सिंह (राजू भैया), विनोद लाखमाशी चावड़ा, राज कुमार सैनी, दद्वन मिश्रा, सुश्री उमा भारती, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, श्री एस.एस. अहलुवालिया, श्री कीर्ति वर्धन सिंह, जगदम्बिका पाल, छेदी पासवान, बिष्णु पाडा रे, डॉ. बंशीलाल महतो, सर्वश्री विक्रम उसेन्डी, चाँद नाथ, श्री सुमेधानंद सरस्वती, कौशल किशोर, श्री राघव लखनपाल, श्रीमती रक्षाताई खडसे, श्रीमती संतोष अहलावत, डॉ. के.सी.पटेल, डॉ. भागीरथ प्रसाद, श्री अर्जुन लाल मीना, श्री श्यामा चरण गुप्ता, श्री पी.पी.चौधरी, डॉ. सत्य पाल सिंह, श्री बिरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री अरुण कुमार, श्री नित्यानंद राय, और श्री राधाकृष्णन=151।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री जी अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब दीर्घायें खोली जा सकती हैं।

अपराह्न 3.37 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

माननीय उपाध्यक्ष: अब, हम मद सं.13 लेंगे।

श्री थांगसो बाइटे (बाह्य मणिपुर): मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूँ।

“कि यह सभा 16 नवम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।”

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि यह सभा 16 नवम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह 3.39 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक -पुर:स्थापित

(एक) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014*****

माननीय उपाध्यक्ष: अब, हम मद सं.14 लेंगे।

श्री फिरोज वरुण गांधी (सुल्तानपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री फिरोज वरुण गांधी: मैं विधेयक पुर:स्थापित* ***** करता हूं।

***** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 , खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

†††† राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह 3.40 बजे

(दो) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014^{****} (धारा 124क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

श्री बैजयंत जय पांडा (केंद्रपाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बैजयंत जय पांडा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

**** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II , खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

अपराह 3.40 1/2 बजे

(तीन) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2014^{§§§§*}

श्री बैजयंत जय पांडा (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बैजयंत जय पांडा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

§§§§* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

अपराह 3.40 3/4 बजे

(चार) निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये फास्ट ट्रैक न्यायालय विधेयक 2014^{*****}

श्री बैजयंत जय पांडा (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बैजयंत जय पांडा : महोदय, मैं ^{†††††}* विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

^{*****} भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

^{†††††} राष्ट्रपति की सिफारिशों के साथ पुरःस्थापित किया गया।

अपराह 3.41 बजे

(पांच) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014^{*****} (नई धारा 24 का प्रतिस्थापन, आदि)

श्री बैजयंत जय पांडा (केंद्रपाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बैजयंत जय पांडा : महोदय, मैं विधेयक^{§§§§§□□} को पुरःस्थापित करता हूँ।

^{*****} भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित
^{§§§§§□□} राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह 3.41 ½ बजे**(छह) पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2014 *******

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, इसके संसाधनों के विकास, दोहन और उचित उपयोग तथा इसके ऋण भार को कम करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, इसके संसाधनों के विकास, दोहन और उचित उपयोग तथा इसके ऋण भार को कम करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. सौगत राय: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित^{††††††††}** करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री विनसेंट एच. पाला

- उपस्थित नहीं

***** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

†††††††† राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह 3.42 बजे

(सात) पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता, विधेयक 2014*#####*

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, इसके संसाधनों के विकास, दोहन और उचित उपयोग तथा इसके ऋण भार को कम करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, इसके संसाधनों के विकास, दोहन और उचित उपयोग तथा इसके ऋण भार को कम करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मैं विधेयक §§§§§§** पुरःस्थापित करता हूँ।

#####* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

§§§§§§* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह 3.42 ½ बजे**(आठ) वृद्धावस्था पेंशन और पुनर्वास विधेयक, 2014 *******

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान और पुनर्वास सुविधाओं का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान और पुनर्वास सुविधाओं का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करवा करता हूँ।

***** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित
 ††††††† राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह 3.43 बजे**(नौ) कन्या शिशु हत्या निवारण विधेयक, 2014***

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह 3.44 बजे

(दस) कृषि कर्मकार (रोजगार, सेवा शर्तें और कल्याण) विधेयक, 2014#####□

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कामगारों के हितों की रक्षा के लिए और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि कृषि कामगारों के हितों की रक्षा के लिए और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित#####□□ करता हूं।

#####□ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

#####□ राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह 3.45 बजे

(ग्यारह) शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और अक्रजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक,

2014*****

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और अक्रजु व्यवहार का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और अक्रजु व्यवहार का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राकेश सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित*++++++* करता हूँ

***** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

+++++ राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

अपराह्न 3.45 ½ बजे**(बारह) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014#####**

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित##### करता हूँ।

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

अपराह 3.46 बजे

(तेरह) स्वास्थ्य बीमा (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे वाले व्यक्तियों के लिए) विधेयक, 2014*****

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित+++++++□□ करता हूं।

अपराह 3.46 1/2 बजे

***** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित
+++++++□□ राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

(चौदह) निस्सहाय बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2014*****□

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उन निस्सहाय बालकों, जो कूड़ा बीनकर, भिक्षावृत्ति से, जूते पालिश करके, पॉटर के रूप में काम करके या सड़क की क्रासिंग या सार्वजनिक स्थानों पर करतब दिखाकर जीवन-यापन करते हैं, के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास और कल्याणकारी उपायों और उन्हें अभिरक्षा में लेकर उनका पुनर्वास करने और उन्हें उचित देख-देख, संरक्षण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि उन निस्सहाय बालकों, जो कूड़ा बीनकर, भिक्षावृत्ति से, जूते पालिश करके, पॉटर के रूप में काम करके या सड़क की क्रासिंग या सार्वजनिक स्थानों पर करतब दिखाकर जीवन-यापन करते हैं, के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास और कल्याणकारी उपायों और उन्हें अभिरक्षा में लेकर उनका पुनर्वास करने और उन्हें उचित देख-देख, संरक्षण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राकेश सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित *§§§§§§§§§§* करता हूँ।

अपराह 3.47 बजे

*****□ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

§§§§§§§§§§* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

(पंद्रह) प्रत्येक गांव में संचार सुविधाओं का उपबंध विधेयक 2014******

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सभी गांवों में टेलीफोन और डाक तथा तार घर की सुविधाओं तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि देश के सभी गांवों में टेलीफोन और डाक तथा तार घर की सुविधाओं तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राकेश सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित+□□करता हूं।

अपराह 3.47 1/2 बजे

(सोलह) अम्ल नियंत्रण, अम्ल के हमलों का निवारण और अम्ल हमलों के पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक,

2014 #####*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अम्ल के व्यापार और कारोबार के विनियमन, अम्ल के हमलों की रोकथाम और अम्ल के हमलों के पीड़ितों के पुनर्वास और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि अम्ल के व्यापार और कारोबार के विनियमन, अम्ल के हमलों की रोकथाम और अम्ल के हमलों के पीड़ितों के पुनर्वास और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं विधेयक पुरःस्थापित*#####* करता हूँ।

#####* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित
#####* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह 3.48 बजे

(सत्रह) किराए की कोख (विनियमन) विधेयक, 2014 ******

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं प्रस्ताव करता हूं कि किराए की कोख की प्रथा के विनियमन और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि किराए की कोख की प्रथा के विनियमन और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

***** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.48 1/2 बजे

(अठारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014^{*****}*(नए अनुच्छेद 371ट का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत का संविधान का और मिथिलांचल से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, 2014 में नए अनुच्छेद 371ट का विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि भारत का संविधान का और मिथिलांचल से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, 2014 में नए अनुच्छेद 371ट का विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कीर्ति आज़ाद : मैं विधेयक को पुरःस्थापित^{*****}* करता हूँ।

***** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित
***** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह 3.50 बजे

(बीस) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को प्रतिकर का उपबंध विधेयक 2014 ******

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्रतिकर का भुगतान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्रतिकर के संदाय और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चंद्रकांत खैरे: मैं विधेयक पुरःस्थापित***** करता हूं।

***** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.11.2014 में प्रकाशित

***** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह 3.51 बजे**केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2014 - जारी**

माननीय उपाध्यक्ष : अब, हम केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2014 पर आगे विचार करेंगे।

मद सं. 37 - डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक।

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, हम पिछली बार हिमालय राज्यों को समग्र विकास की दृष्टि से पृथक मंत्रालय बनाने के लिए संकल्प लाये थे। मैं इस सदन का आभारी हूँ, जिसमें लगभग 15 राज्यों के 18 सासंदगण ने उस प्रस्ताव पर अपनी भावना व्यक्त की थी और हिमालय चूंकि देश और दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन राज्यों के लिए अलग से मंत्रालय के गठन पर अपनी सहमति दी थी।

श्रीमन् जब तक मंत्रालय गठित होता है तब तक एक अलग से हिल काउंसिल पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए, हिमालय राज्यों के विकास के लिए हो, इस दृष्टि से यह विधेयक इस सदन में हमने प्रस्तुत किया है। इस सभा ने यह महसूस किया है कि हिमालय का अपना अलग भूगोल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तंत्र है। इसकी पृथक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू है और इस सबको हमें शिद्धत से, पूरी गंभीरता से लेना होगा।

श्रीमन्, इसी सभा में यह भा जरूरत महसूस हुई थी कि समुचित नियोजन और रणनीति के विकास के अभाव में पूरा हिमालय क्षेत्र निराशा और असंतोष की स्थिति से गुजर रहा है, जो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। 22 सालों के बाद भी कासिम आयोग की सिफारिशों ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। हिमालय में पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन का निश्चित ही मारक असर है। पर्वतवासियों के जीवित रहने के लिए हिमालय का संरक्षण बहुत जरूरी है। वस्तुतः ऐसे मध्यमान की आवश्यकता है, जो भौतिक उन्नति और अल्पकालिक सामाजिक,

आर्थिक क्षेत्रों को तिलांजलि देकर प्रकृति और मनुष्य हित में दीर्घकालिक फायदों पर ध्यान केन्द्रित कर सके। इसका माध्यम विज्ञान, प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अनुशासन, मानवीय समर्पण और स्थानीय संसाधनों के व्यवस्थित उपयोग पर दीर्घ इच्छा शक्ति ही हो सकती है।

श्रीमन्, यह तभी संभव हो सकता है जब इसके लिए अलग से नीति निर्धारण के लिए एक काउंसिल बने। यदि मैं हिमालय के बारे में मोटी-मोटी चर्चा करूँ तो हिमालय ही अफवाह, हिमालय जो एशिया का वाटर टावर है, यदि इसे मोटे तरीके से देखा जाये तो स्वीडन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक श्री मालिक फालकन मारक ने जल संसाधनों पर दबाव के सांकेतिक विकास को करते समय बताया था कि प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1 हजार 700 मीटर क्यूबिक से नीचे जाती है, तो क्षेत्र में जल आपूर्ति की समस्या होगी और अगर यह उपलब्धता 1 हजार मीटर क्यूबिक से कम होती है, तो न केवल क्षेत्र और देश, बल्कि इसकी गंभीर समस्या पूरे विश्व में होगी। यदि मैं देखूँ तो वर्ष 1951 में यह क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति वर्ष का 5177 था, जो वर्ष 2001 में 1869 और वर्ष 2005 में 1341 हो गया, जिसकी संभावना वर्ष 2050 में 1140 की स्थिति है।

श्रीमन्, यदि यह देखा जाये तो निकट भविष्य में सारे विश्व में जल पर युद्ध होने वाला है। यदि अगला विश्व युद्ध होगा, तो वह जल की स्थितियों पर होने वाला है। राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में यह सांकेतिक 200 से 800 मीटर क्यूबिक तक है और विश्व में 1.3 मिलियन जनसंख्या है, यानी विश्व की 20 प्रतिशत जनसंख्या हिमालय पर आधारित है। हिमालय की श्रृंखला में 19 से भी अधिक प्रमुख नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु सबसे बड़ी हैं। दोनों में से प्रत्येक का पर्वतों में 2 लाख 59 हजार वर्ग किलोमीटर विस्तृत जल संग्राहक बेसिन है। आप अन्य नदियों में भी देखेंगे तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सिंधु उसी तंत्र की हैं, जिनका 2 लाख, 17 हजार 560 वर्ग किलोमीटर है। यदि देखेंगे तो तिस्ता, रैदक और मानसूना ब्रह्मपुत्र तंत्र की 1 लाख 83 हजार 890 वर्ग किलोमीटर को आवाहित करती हैं।

गंगा में 6694, ब्रह्मपुत्र में 4366, इंडस में 5097 यानी 16617 ऐसे हिमखंड हैं जो लगातार पीछे जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ी समस्या देश को होने वाली है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हिमालय 8 करोड़

60 लाख क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति करता है। इस तरह कुल मिलाकर 67 प्रतिशत हिमनद पीछे खिसक रहे हैं। उत्तराखंड में ही गंगा, यमुना, भागीरथी बेसिन में 900 ग्लेशियर हैं। मैं समझता हूँ कि 73 प्रतिशत हिमालय का क्षेत्र भारत भू पर है इसलिए हिमालय की चिंता करना बहुत जरूरी है। मैं जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री था तब हमने हिमनद विकास प्राधिकरण बनाया था। हमने नदियों और इनमें आने वाली जलधाराओं के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए स्पर्श गंगा बोर्ड भी बनाया था।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि यह किसी राज्य या किसी पर्वतीय हिमालय के राज्यों का विषय नहीं है, यह देश का विषय है, दुनिया का विषय है। इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है कि यहां शिक्षा और कौशल का विकास किया जाए। हिमालय की आवश्यकतानुसार यहां पाठ्याक्रम बनाए जाएं। यहां इंजीनियर, प्रशासक, वैज्ञानिकों को एक विशेष किस्म का प्रशिक्षण देने की जरूरत है। यह काम मानव संसाधन विकास के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, हालांकि मैं सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि सरकार ने हिमालय अध्ययन संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। मुझे भरोसा है कि यहां बागवानी, जल विद्युती यांत्रिकी, भू-गर्भ विज्ञान, पारिस्थितिकी, शिक्षा, शोध पर बहुत काम होगा और यह विश्व के मार्गदर्शन के काम आएगा।

दुनिया भर में मौसम परिवर्तन के बारे चर्चा हो रही है लेकिन इसके कारणों की तरफ कोई गौर नहीं कर रहा है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच विश्व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। मैं समझता हूँ कि भारत ने यदि वचनबद्धता की है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को किसी कीमत पर बढ़ने नहीं देगा तो इसके लिए वैकल्पिक विचार भी करना होगा। जलवायु परिवर्तन का खतरा गंभीर चुनौती है। वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि जलवायु परिवर्तन में असंदिग्धता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हिमालय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव करने के लिए आपदा प्रबंधन, कृषकों को बीमा सहायता, कृषि भूमि का उपयोग, प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, प्रौद्योगिकी, वन संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना होगा। जल उपयोग और मापन, जल उपयोग प्रबंधन की नीति में सुधार की जरूरत है। यह तभी संभव हो सकता है जब हिमालय के लिए अलग से काउंसिल बनाने की अनुमति दी जाएगी।

आज दुनिया का हर आदमी अंदर से खोखला हो गया है। आदमी के अंदर की क्षमता कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक तरीके से उत्पादित उत्पादों की जरूरत है। एक अध्ययन के तहत इस बैल्ट में 6240 अरब रुपए की मार्केट है। यह मार्केट केवल प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न आगेरनिक फूड की है। वर्ष 2010 से 2015 तक आगेरनिक कृषि का 22.3 प्रतिशत का माप बढ़ा है। पुष्प उत्पादन वर्ष 2015 तक 30 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है, इसकी मार्केट 8000 करोड़ रुपए की है। यदि हिमालय की इस बैल्ट का ठीक से नियोजन हो, व्यवस्थित दोहन हो और प्रकृति के संरक्षण में काम हो तो बहुत कुछ हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जड़ी-बूटियों का 6.2 बिलियन डॉलर अर्थात् 360 अरब रुपए का व्यवसाय हो सकता है। भारत में आयुष उत्पादन बढ़ सकता है और वर्तमान में यह उत्पादन 900 करोड़ रुपए का है। भारतीय वनों से कुल राजस्व की प्राप्ति 65 बिलियन डॉलर है यानी 390 अरब रुपए है। 65 प्रतिशत वन क्षेत्र सिर्फ हिमालय में है जो देश का 24 प्रतिशत है। हिमालय के आठ राज्य हैं, इनमें और क्षेत्र भी हैं लेकिन 65 से 70 प्रतिशत वन क्षेत्र है।

अपराह 4.00 बजे

इसलिए मेरा अनुरोध है कि हिमालय का जो 70 प्रतिशत क्षेत्र है, वह कृषि पर आधारित है और हिमालय के क्षेत्र में जो कृषि है, इसे कुछ विशेष रूप में किया जाए कि कम उत्पादन, न्यूनतम लागत, अपर्याप्त सिंचाई, पारंपरिक खेती, अलाभकारी अनाज आधारित छोटे-बड़े खेत, ये बागवानी की दिशा में भी निश्चित रूप से करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे पुष्पों का उत्पादन होता है, जो छः महीने तक नहीं मुझाते हैं। ऐसे पुष्पों का उत्पादन हो सकता है, जिसमें सुगंध है। बेमौसम की सब्जियों का वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हो सकता है। इसलिए इनसे सम्बंधित कोई नीति बने। यह भी तभी संभव है, जब अलग से नीति हो। इसका एक उदाहरण है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में सब्जी ग्रामों की स्थापना की। आज उनकी स्थिति यह है कि 25 से 50 लाख रुपया प्रति किसान प्रति वर्ष उत्पादन कर रहा है और यह एक मॉडल है। इसलिए यह पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए इस दिशा में बढ़ता, इसका एक नीति निर्धारक होता, तो इससे पूरे न केवल हिमालयी राज्यों का भला होगा, बल्कि देश-दुनिया का भला होगा।

पर्यटन के क्षेत्र में भी यदि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखण्ड की धरती को देखा जाए, तो ये धरती के स्वर्ग हैं। तमाम स्विट्जरलैंड हमारी इस धरती में समाये हुए हैं। लेकिन उसका व्यवस्थित रूप से कभी नहीं उपयोग हो सका। पर्यटन देश के 3.9 करोड़ नौकरियों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सर्जन करता है। यदि पर्यटन को ही व्यवस्थित किया जाए, इसे बढ़ावा दिया जाए, तो करोड़ों नौजवानों को नौकरी भी दी जा सकती है और इससे अर्थ भी पैदा किया जा सकता है। भारतीय जी.डी.पी. का 6.6 प्रतिशत आज भी केवल पर्यटन से आता है। मेडिकल टूरिज्म से दो हजार करोड़ डॉलर यानी 12 हजार हजार करोड़ रुपए केवल मेडिकल टूरिज्म से आता है, यदि इसे बढ़ाया जाए तो कितना गुणा बढ़ सकता है। अभी लगभग 70 लाख विदेशी लोग भारत में इस प्रकार के आते हैं। विश्व पर्यटन उद्योग में हमारी प्राप्ति 1.59 प्रतिशत है, जो विश्व में 42वें स्थान पर आता है, जिसे विश्व में पहले स्थान पर होना चाहिए। मैं उत्तराखण्ड से संबंध रखता हूँ। उत्तराखण्ड को धरती का स्वर्ग कहते हैं। वहाँ पूरी प्रकृति ने बेसुमार सौन्दर्य बिखेरा है। आदमी जिधर देखता है, उसका मन उधर ही मोहित हो जाता है। मैंने कहा कि पूरी घाटी को देख लिया जाए। हम आज 42वें स्थान पर हैं, केवल और केवल हिमालय संबंधी ठीक नीति न बनने के कारण आज हम 42वें स्थान पर हैं। ऐसे ही स्थिति उद्योग-धंधों के विकास और संवर्धन में है। जब हमारे पास जीवनदायिनी जड़ी-बूटियाँ हैं, संजीवनी है, तो हम क्यों भटक रहे हैं। चीन से हम अरबों-खरबों रुपए की दवाइयाँ देश में ला रहे हैं। हम दोहरी मार खा रहे हैं। यहाँ से हमारे नौजवान, महिलाएं और गांव का व्यक्ति पलायन कर रहा है। उन्हें जड़ी-बूटियों के आधार पर उनको वहाँ रोकना चाहिए था। ऐसी दुर्लभ जड़ी-बूटियाँ आज भी हमारे पास हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह तभी संभव है, ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, संभावनाएँ असीम हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की है और वह परिवर्तन यह है कि उसका नियोजन कैसे किया जाए, नीतियाँ कैसी बनायी जाए, इस पर विचार करने की ज्यादा जरूरत है।

अपराह 4.04 बजे

(श्री हुकुम सिंह पीठासीन हुए)

श्रीमन्, आपदा प्रबंधन के संबंध में, यदि केदारनाथ की आपदा को देखा जाए, तो 24-25 हजार से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। देश के 24 राज्यों के और दुनिया के तमाम देशों के लोग हताहत हुए हैं। ऐसी स्थिति

में आप कल्पना कर सकते हैं कि चाहे वह उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा हो या जम्मू-कश्मीर की आपदा हो, इसमें हजारों लोग हताहत होते हैं। नीति के अभाव में यह सब कुछ हो रहा है। जल संवर्धन की ठीक नीति न होना और डॉप्लर रडार जैसे यंत्र इस क्षेत्र में न मिलना जैसे कुछ कारण हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी है कि हम आपदा का प्रबंधन करें। बाढ़, भूस्खलन, वनाग्नि, भूकम्प, भूसंरक्षण और 90 प्रतिशत आग मानव-निर्मित कारणों से लगते हैं। उसमें में भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हिमनदों का गंगोत्री में 17.5 मीटर, मीलम 13.3 मीटर प्रति वर्ष, पिंडर 13.5 मीटर प्रति वर्ष, डोकेरियानी 17.0 तथा वार्सिंगी 43.3 प्रतिशत भाग है। यदि देखा जाए तो ग्लेशियर जिस गति से पीछे जा रहे हैं, यह केवल हिमालय बेल्ट के लोगों के लिए चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पूरी देश-दुनिया के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए।

जिस दिन हिमालय अंगड़ाई लेगा, पूरा विश्व संकट में खड़ा होगा। इसलिए डॉप्लर रडार हों और आपदा प्रबंधन की नीति अलग से राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए। आपदा प्रबंधन फोर्स को हर स्थान पर भेजा जाए। कई देशों की सीमाओं से लगे हुए ये जो क्षेत्र हैं, ये देश की सामरिक एकता एवं अखण्डता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे जल मार्ग हो या रज्जु मार्ग हो, सामरिक मार्गों के निर्माण और रखरखाव पर कभी चिन्ता नहीं रही है। सम्पूर्ण देश में मात्र तीन जलमार्गों में से एक हिमालयी अपवाह में 891 किलोमीटर जलमार्ग है। हिमालय क्षेत्र में 891 किलोमीटर का जलमार्ग सिर्फ धुबरी और ब्रह्मपुत्र में है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में रोप-वे विकसित करने की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा कि जब आदरणीय श्री नितिन गडकरी जब उत्तराखण्ड के प्रवास पर आए थे, उन्होंने इस बात की चिन्ता की थी कि पर्वतीय क्षेत्रों को खोदने और बड़ी-बड़ी चट्टानों को तोड़ने की बजाय, वहां रज्जु मार्गों का निर्माण हो। उससे हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होगा और आवागमन भी ठीक होगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण की दृष्टि से हिमालय की पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता एवं वन्य जीवन का संरक्षण जलमार्गों एवं रोप-वे विकसित करने से निश्चित रूप में हो सकता है। इससे वन्य जन्तुओं का संरक्षण होगा, लोगों की आर्थिकी भी सुधरेगी, समय भी कम लगेगा और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। यदि जैव विविधता को देखें, तो चौंकाने वाली स्थिति है। पूरे विश्व में जैव विविधता की दिशा में हिमालय सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। पूरे विश्व में जो भूभाग है - दो करोड़ 38 लाख सात हजार

पांच सौ नब्बे वर्ग किलोमीटर के इस पूरे भूभाग में चार ही स्थान जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें हिमालय नम्बर-एक पर है। लेकिन आज तक भारत सरकार ने कभी उसका उपयोग ही नहीं किया, कभी जानने की कोशिश ही नहीं कि आखिर सारे विश्व में हमारे पास एक बहुत बड़ी सम्पदा जैव विविधता के रूप में है, हम इसका उपयोग कैसे करें। चूंकि कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, गंभीरता से कभी विचार नहीं हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वह हिमालय के प्रति समर्पित है। उन्हें अब गंगा पुत्र के नाम से जाना जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब हिमालय का व्यवस्थित और अच्छे तरीके से विकास होगा। जैव विविधता के लिए भी सम्पूर्ण विश्व के 130 करोड़ लोग हिमालय के संसाधनों और अपवाह पर निर्भर हैं। विश्व के यदि 130 करोड़ लोग केवल इस पर निर्भर हैं तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में वहां 7000 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 175 स्तनधारी एवं 500 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इससे बड़ी जैव विविधता दुनिया में कहीं हो नहीं सकती है।

इसलिए मेरी जो चिंता है, जिस चिंता को लेकर मैं एक संकल्प लाया था कि अलग मंत्रालय का गठन होना चाहिए, जब तक उस मंत्रालय का गठन होता है, तब तक निश्चित रूप से एक काउंसिल होनी चाहिए जो नीति बनाए और नीति का नियोजन करे। यदि वन क्षेत्र देखें - हिमाचल प्रदेश में 14683 वर्ग किलोमीटर, जम्मू-कश्मीर में 22538 वर्ग किलोमीटर और उत्तराखण्ड में 24508 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में 65 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित हैं। इसका भी व्यवस्थित उपयोग नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत को पर्यावरण से होने वाला नुकसान आठ अरब डॉलर है जो जीडीपी का 5.7 प्रतिशत है। यह चौंकाने वाला तथ्य है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। वनों और पैड़ों का फैलाव वातावरण से कार्बन डाई आक्साइड का अवशोषण करके जलवायु परिवर्तन का काम करेगा, धरती की ऊष्णता को कम करेगा, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एयर कंडीशन्ड बंगलों में बड़े-बड़े सेमिनार हो रहे हैं और उनका रिजल्ट जीरो होता है। इसकी चिंता इसी धरती पर खड़े होकर की जा सकती है। अपशिष्ट के बारे में मेरा कहना है कि हिमालय क्षेत्र का अपशिष्ट प्रबंधन एक चुनौती भरा काम है। अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ स्वच्छता सुनिश्चित करने के नए प्रावधान लाने

होंगे। कूड़ा-करकट को अलग-अलग ढंग से वर्गीकृत करने की प्रक्रिया हमें उस स्थान पर भी अपनानी होगी क्योंकि हिमालय को प्रदूषण और इस तरह के अपशिष्ट से हर कीमत पर मुक्त करना होगा।

श्रीमन्, आज सवेरे स्वास्थ्य मंत्री जी जब चर्चा कर रहे थे तो एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि चीन से दवाइयां आती हैं वे करीब 700 करोड़ रुपये की होती हैं और जो जड़ी-बूटियां आती हैं उनको भी जोड़ा जाए तो अरबों रुपया हम चीन को दे रहे हैं। हमें चा न को दवाइयां देनी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। उसका कारण यह है कि इस देश में इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं गया है। हमारी जड़ी-बूटियों को चीन पेटेंट करा रहा है, हमारी चीजों को जर्मनी पेटेंट करा रहा है और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। यह एक चिंता का विषय है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार बहु-आयामी तरीके से काम कर रही है, लेकिन इस दिशा में विचार करने की जरूरत है और यह आज देश की आवश्यकता भी है। केवल इतना न देखा जाए कि यह हिमालय राज्यों की जरूरत है बल्कि यह पूरे देश और दुनिया की जरूरत है। आयुर्वेद ने तो पूरी दुनिया का तन ठीक किया है, हमारे पास संजीवनी बूटियां हैं। आज 25 साल नौजवान अपने हृदय को पकड़े बैठा है, वहीं 16 साल का युवा तमाम बीमारियों का शिकार हो गया है, मधुमेह जैसी बीमारी उसे लग गयी है। जब हमारे पास पूरी दुनिया को ठीक करने का तंत्र है तो आखिर क्यों न उसे विकसित किया जाए, क्यों न ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जिससे आयुवेरदिक दवाइयों के लिए उन जड़ी-बूटियों का उत्पादन भी हो, उनका दोहन भी हो।

श्रीमन्, अकेला आयुर्वेद चाहे टाइफाइड है, कैंसर है, अस्थमा है, घुटनों का दर्द है, बुखार है, खांसी है, मधुमेह है, डिप्रेसन है, मलेरिया है और लीवर की दवाई लिव-52 तो पूरी दुनिया में हर डॉक्टर लिखता है। मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था तो देहरादून में लिव-52 बनाने वाली कंपनी प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्कम-टैक्स देती थी। इस अकेली दवा ने विश्व में अपना मुकाम स्थापित किया है। भारत में 45 हजार से ज्यादा जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं लेकिन उनका व्यवस्थित रूप से दोहन करने की जरूरत है।

भारत की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता एक लाख मेगावाट से भी अधिक है, जबकि उत्पादन केवल 39,788.40 मेगावाट ही हो रहा है। मुख्यतः सतलुज जल विद्युत परियोजना, टीएचटीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी आदि परियोजनाएं हिमालय क्षेत्र की हैं। दुनिया में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए भारत विश्व में 5वें स्थान पर है लेकिन विश्व के मात्र 35 प्रतिशत जल विद्युत का उत्पादन कर पा रहा है। अभी भारत 35वें स्थान पर है लेकिन वह 5वें स्थान पर आ सकता है अगर इस हिमालयन बैल्ट को सुरक्षित, संरक्षित और व्यवस्थित किया जाए और उसकी नीति बनाई जाए तथा उसका नियोजन ठीक तरह से किया जाए।

अभी हिमाचल के बिलासपुर में जो गोविंद सागर डैम है और भाखड़ा परियोजना है उसने हरित क्रांति की है। इसलिए अकेले उत्तराखंड में जल विद्युत संभावना 25,000 मेगावाट से अधिक है जबकि हिमाचल की 23,000, जम्मू-कश्मीर की 25,000 मेगावाट से अधिक है और अगर इन तीनों राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो करीब 80,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता इन तीनों राज्यों में है। फिर ऐसी स्थिति में सरकार चुप क्यों बैठी है? क्यों न एक कौंसिल बनाकर, इसकी नीति बनाकर, देश के विकास में इसे लगाया जाए।

मैं उत्तराखंड से आता हूँ और यह स्थान वेद, पुराण, उपनिषदों का जन्मदाता है। वह संस्कृत का भी जन्मदाता है, आयुर्वेद का भी जन्मदाता है। गंगा भी उसी धरती पर उतरकर सारे विश्व के कल्याण के लिए आती है और गंगा का कितना महत्व है यह सभी जानते हैं। डा. साहब अभी यहां नहीं हैं, जब मैंने गंगा की चर्चा की तो उन्होंने कुछ आपत्ति की थी। मैंने कहा था कि गंगा का जल अमृत जल है और गंगा का जल कभी सड़ता नहीं है। आप उस परिप्रेक्ष्य में गंगा को देखें। मुझे आपके आशीर्वाद से वर्ष 2010 में कुम्भ का आयोजन करने का मौका मिला था। यह मेरा सौभाग्य था। मैं उस समय मुख्यमंत्री था। डेढ़ सौ से भी अधिक देशों से साढ़े आठ करोड़ लोगों ने गंगा का स्पर्श किया। इंडोनेशिया, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां से भी सवारधिक लोग आए। उनके राजदूत भी आए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह हमारी सम्पत्ति है। स्वच्छता के रूप में उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और गंगा का एक बूंद पानी भी हजारों व्याधियों से लड़ने की ताकत

रखता है। इसलिए पूरी दुनिया में लोग बच्चा पैदा होने के समय एक बूंद गंगा जल डालते थे और जब भी वह इस संसार से विदा होता था, चाहे राजा हो या महाराजा हो, तो भी एक बूंद गंगा जल उसके मुंह में डाला जाता है। यह आज से नहीं, हजारो-लाखों वर्षों से परम्परा रही है।

महोदय, यह शांति और आध्यात्म का विश्व का केन्द्र है। यह देश की संस्कृति का प्राण है। हिमालय में बौद्ध धर्म के मठ हैं। चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री यहां हैं। उधर की तरफ हेमकुंड साहिब और इधर पीरान कलियर है। श्रीनगर में स्थित हजरतबल भी हिमालय के राज्यों में ही है। अलकनंदा और भागीरथी जैसी तमाम पवित्र नदियां यहां हैं। पीरान कलियर का मैंने जिक्र किया है। 6338 मीटर पर कैलाश पर्वत स्थिति है। यहां बौद्धों का सबसे बड़ा स्थान है। केदारनाथ में 12 ज्योर्तिलिंग भी इसी स्थान पर हैं। लाहोल स्फीति जिला स्थित गोंपा 13 हजार 668 फीट पर स्थित है, जो इसी क्षेत्र में है। लद्दाख स्थित हैमीस और थिप्से बौद्धों के प्रमुख मठ भी हैं। हमारे हिमाचल के मित्र ने भी पिछली बार इसकी बहुत चिंता की थी।

महोदय, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि हिमालय का एक अलग से मंत्रालय हो। जब तक मंत्रालय नहीं बनता है, तब तक काउंसिल बने, ताकि वहां के लिए नीतियां बनें और उन नीतियों का कार्यान्वयन हो सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : महोदय, मैं सबसे पहले पोखरियाल जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने यह प्रस्ताव लेकर आए हैं।

महोदय, यहां हिमालय क्षेत्र के ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक पहलुओं को तथ्यों के रखा गया है। यह केवल हमारे लिए प्रांतों के लिए ही नहीं पूरे देश और पूरे दक्षिण एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह भविष्य की ऊर्जा के लिए हो, पीने के पानी के लिए हो, खाद्य सुरक्षा हमारे हिमालय के भविष्य पर निर्भर है। मैं समझता हूं कि इन सब पर हिमालय को बहुत अनदेखा किया गया है। आज समय है कि हम आज की चुनौतियों को देखते हुए, किस तरह से उन सब का मुकाबला करना है, उसके लिए इस विधेयक में मांग रखी गयी है कि उसके लिए एक सैन्ट्रल काउंसिल या मंत्रालय बने। इस विषय में उपयुक्त लोग मंत्री बनने के लिए तो हैं, लेकिन मंत्रालय नहीं है। मैं समझता हूं कि एक मंत्रालय होने से कोऑर्डिनेटिव मूव के द्वारा सभी चुनौतियों को इंटीग्रेटेड तरीके से देखा जा सकता है।

इस विधेयक में सैन्ट्रल हिमालय स्टेट के बारे में कहा गया है, लेकिन शिवालिक से लेकर उत्तर पूर्व तक और भाषण देते समय भी पूर्वोत्तर भारत की भी बात की गयी और मैं हिमालय की गोद में उत्तर बंगाल के हिस्से से आता हूं। हिमालयन क्षेत्र में छोटे-छोटे प्रांत हैं और कई जगह तो अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। यदि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए तो अलग राज्य बनाने की जरूरत नहीं है। आज यह समझा जा रहा है कि हम छोटे-छोटे राज्य बना कर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। अगर हम समस्याओं को इंटीग्रेटेड होल की तरह नहीं देखेंगे तो हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जम्मू-कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक की सारी भौगोलिक और सब तरह की स्थिति को देखे। इसलिए हमें उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। हम विकास करना चाहते हैं और हम अक्सर प्लेन एरिया में भी देखते हैं और हिमालय क्षेत्र के प्रांतों में भी जाते हैं तो वहां देखते हैं कि हम विश्व के कुछ अन्य हिस्सों में जो देखकर आए हैं, उसको वहां कॉपी कर दें। लेकिन उस विकास का दृष्टिकोण क्या होगा? हमें भौगोलिक स्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। जो हमारा वहां का फ्लोरा एंड फॉना है, हमारे जो

पशु-पक्षी, कीड़े-मकौड़े हैं, जो वहां की क्रॉप वैरायटीज हैं, उनको भी संरक्षण की जरूरत है। जो वहां अलग अलग जातियां रहती हैं, वे भी एक लिविंग म्यूजियम की तरह है। हिमालय के एकदम पश्चिम से लेकर पूर्व हिमालय तक अगर आप जाएंगे तो ये सारी विविधताएं हैं। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, बहुत बड़े पैमाने पर हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। अभी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का हवाला देकर कोई यह कहे कि बड़े बड़े पत्थर और चट्टान तोड़कर सड़क बनाने से अच्छा है कि रज्जो मार्ग बनाया जाए। मैं जानता हूँ कि आज की चुनौती के लिए हमें आधुनिक यातायात के साधन जुटाने की जरूरत है और हम फिर से उसी पुराने तौर तरीकों पर वापस नहीं जा सकते। लेकिन हमें जहां पर पारम्परिक रूप से जो यातायात के साधनों की जरूरत है और यही हमारी विशदम है, तो हमें वहां पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए।

जब ऊर्जा का सवाल आता है, मैं कहना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े डैम्स और हाईड्रल पॉवर प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वे हमारे हिमालय क्षेत्र के लिए ठीक हैं। हमारे मुख्य मंत्री भी हैं और वहां के सांसद भी हैं और वे जानते हैं कि जिस तरह से वहां प्रकृति के साथ अन्याय किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि वहां बिजली की जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, डैम्स की भी जरूरत है और बहुत से साइंटिफिक रिसर्च भी हुए हैं। लेकिन हमें नये शोध की भी जरूरत है, इसलिए हमें और ज्यादा काउंसिल की भी जरूरत है कि किस तरह से हम इस सुविधा को रद्द करके वहां के संसाधनों का विकास करें और प्रकृति की देन का इस्तेमाल करें।

इसके लिए वहां छोटे डैम्स की जरूरत थी। वहां पर हाईड्रल प्रोजेक्ट्स छोटे और हर स्तर पर बनाये जा सकते हैं। हो सकता है कि इकोनॉमिक स्केल में बहुत ज्यादा नहीं हैं, इसलिए यह कोई आलोचना की बात नहीं है। हमें एक डर है कि जिस तरह से स्किल के साथ साथ स्केल को अप करने की बात हर जगह की जा रही है, हम सब जगह स्केल की बात नहीं कर सकते। जो हमारे हिमालय में स्थित राज्य हैं, हम समानता के साथ उस स्केल में नहीं ले जा सकते लेकिन हमें विकास को उस स्केल में ले जाना पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां के जो लोग हैं, वे सबसे मेहनती लोग हैं लेकिन आर्थिक और प्राकृतिक आपदाओं के कारण

सबसे ज्यादा पिछड़े हुए भी लोग हैं। वहां पर शैक्षणिक संस्थानों की भी कमी है तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का जो स्तर वहां होना चाहिए, वह न होने के कारण परेशान भी हैं। मानव विकास के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं चाहे वह शिक्षा से संबंधित हों, स्वास्थ्य से संबंधित हों, वह हमें वहां देनी चाहिए जिससे हम मानव शक्ति को निखार सकें। मैं समझता हूं कि बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है, अलग सा प्रांत न होने से हिमालय का क्षेत्र उसमें शामिल होना चाहिए। इस विधेयक को ऐसा किया जाए कि सेन्ट्रल हिमालय न कहकर पूरे हिमालय रीजन के लिए काउंसिल बनाया जाए तो वह बेहतर होगा। कुछ लोग उत्तर बंगाल में या दार्जिलिंग के बारे में अलग से प्रांत बनाने की भी मांग करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उसका कारण भी पिछड़ापन ही है। काउंसिल बनाकर एज ए होल इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं, विकास करते हैं तो हम देखते हैं कि झूठे वादे बहुत किये जाते हैं। हमारे वहां जो बंगाल में सरकार बनी, उन्होंने कहा कि हम दार्जिलिंग को, उत्तर बंगाल को स्वित्जरलैंड बना देंगे। ऐसे तो अलग से स्वित्जरलैंड बन नहीं सकता। वह तो कोई म्यूजियम पीस नहीं है कि अलग से खरीदकर लाकर पेस्ट कर दिया जाए।

इसलिए मैं समझता हूं कि वहां के विकास के लिए सबसे पहले जरूरी चीज यह है कि जो आज के उद्योग हैं, उन उद्योगों को हम वहां किस तरह से ले जाएं। चाहे वे पूर्वोत्तर राज्य में हों, चाहे वे हिमाचल में हो, चाहे उत्तराखंड में हों, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तरी हिस्से में हों, चाहे जम्मू-कश्मीर में हो, ऐसा करने के लिए हमें वहां की भौगोलिक परिस्थिति और मौसम की जो दुविधाएं हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, वहां के लोगों की दक्षता को ध्यान में रखते हुए हमें वहां पर उद्योग की स्थापना के लिए विशेष क्षेत्र के रूप में भारत सरकार को काम करना चाहिए। हिमालयन स्टेट्स की तरह वहां भी कई तरह की स्टेट्स हैं, जैसे नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, लेकिन नार्थ बंगाल का हिस्सा चाहे वह दार्जिलिंग हो, जलपाईगुड़ी हो या कूच बिहार हो, वह उसमें नहीं आता है, चूंकि वह पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। इन्हें हम इनडायरेक्टली धकेलते हैं कि अलग प्रांत बनाओगे तो तुम्हारा हो जायेगा। जो चीज सिक्किम में उपलब्ध है, वह दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में भी उपलब्ध होनी चाहिए, जो आसाम में उपलब्ध है, वह उत्तरी दिनाजपुर में भी उपलब्ध होनी चाहिए, उत्तर बंगाल के पूरे हिस्से

को उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए नार्थ बंगाल को भी हिमालयन या सब-हिमालयन टैरेन की तरह, रीजन की तरह उसमें काउंट किया जाए। उससे यह होगा कि औद्योगिक विकास वहां तक पहुंच सकता है।

दूसरी समस्या वहां यातायात की है। आज अगर आप हिमालय को देखें तो उसे देखकर हम गर्वित होते हैं, वह हमारा माथे का मुकुट है। लेकिन आप चाहे सिक्किम प्रांत में जाएं, चाहे अरुणाचल प्रांत में जाएं, चाहे उत्तराखंड में जाएं या जम्मू-कश्मीर में जाएं, यदि एक तरफ हम शेष भारत के हिस्से देखेंगे और दूसरी तरफ चीन और तिब्बत का हिस्सा देखेंगे तो हम देखेंगे कि विकास का अंतर कितना है। भारत और चीन की जब शुरुआत हुई थी, 1947 और 1939 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि हम बहुत आगे बढ़े हुए थे। लेकिन आज विकास में चाइना के लेटेस्ट डेवलपमेंट को देखिये तो वह अपने हिंटरलैंड्स में डेवलपमेंट को धकेल रहे हैं। कोस्टल एरियाज से वह हिंटरलैंड्स में ज्यादा भेज रहे हैं और उससे उसके सड़क यातायात, रेल यातायात और वायुमार्ग के जो साधन हैं, वे बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। हम उनकी तरफ सिर्फ डिफेंस की नजर से नहीं देख रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है ही, लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप विकास की दृष्टि से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की तवांग वैली के उस पार यदि हम देखते हैं तो वहां सड़क पहुंच गई और हम आज की आधुनिक सड़क को वहां नहीं ले जा पाये तो वह हमारे ऊपर लानत है। अगर तिब्बत में रेल पहुंच सकती है और हम इस क्षेत्र के लोगों को अभी तक रेल के सफर के साथ नहीं जोड़ पाये हैं, जबकि विश्व में सबसे आधिक ऊंचाई वाला स्टेशन घूम, दार्जिलिंग में था। हमारे पास वह तकनीक है, हम मंगल ग्रह पर यान भेज सकते हैं, लेकिन हम हिमालय प्रांत के लोगों को यातायात के साधन नहीं दे सकते, यह नहीं हो सकता। इसलिए इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इसके लिए मैंने खुद कहा कि एक अलग एक जिला, एक अलग प्रांत की वह मांग कर सकता है, लेकिन वह मांग पूरी नहीं हो सकती। अगर हम पूरे देश के पैमाने पर उसे नहीं देखते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं देखते हैं।

तीसरी बात कृषि की है। कृषि की एक बहुत बड़ी उपज हमारे क्षेत्र से आती है, वह सबसे फर्टाइल लैंड है, चूंकि वहां पानी है, पूरे देश के लिए वहां पानी उपलब्ध है। मैं पर्यावरण की दृष्टि से उसे नजरअंदाज नहीं कर

रहा हूं, चूंकि वह विस्तार से कहा गया है। लेकिन जिस तरह से ग्लेशियर्स खिसक रहे हैं, जिस तरह से हमारी नदियां पॉल्यूटेड हो रही हैं, जिस तरह से हमने आधुनिक तौर-तरीके अपनाए हैं, लेकिन हम उन्हें सही ढंग पूरी तरह नहीं लेने के कारण जो हमारे जंगल हैं, जमीन हैं, जो हमारे जल संसाधन हैं, उन्हें हम नष्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। कृषि में हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ऐसे हजारों, सैंकड़ों बीज हैं, जो खत्म हो रहे हैं, उन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है। जो वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमें धरोहर के रूप में मिले, हम पूरे विश्व को वे दे सकते हैं।

इसी तरह से जो हमारा वनों की उपज है, उसे हम एक्सट्रैक्ट करे, उसका दोहन करें। लेकिन उससे वनांचल नष्ट नहीं होना चाहिए। आप देखिये कि अब हरियाली कम होती जा रही है। जब मैं शिमला जाता हूं, मैं साल में एक बार अपनी आक्सीजन और बैटरी को रीचार्ज करने के लिए शिमला जाने की जरूरत महसूस करता हूं। लेकिन देखते हैं कि क्या हम उसे भी दिल्ली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम उसे पुरानी दिल्ली का सीलमपुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। केवल शिमला, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रांत नहीं है, दार्जिलिंग में भी यहीं देखने को मिलता है, जम्मू-कश्मीर में भी यहीं सब देखने को मिलता है। माडर्नाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि हमें कंक्रीट लानी पड़ेगी, हमें सीमेंट लाना पड़ेगा, हमें आरसीसी स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि वह सब गलत है। हमें वहां के पर्यावरण, वहां की भौगोलिक परिस्थिति और इकोलोजिकल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए विकास करना पड़ेगा।

हमने पूरे विश्व को जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन से सिखाया है कि किस तरह से नेचर के साथ, पशु-पक्षी के साथ ईक्वलिब्रियम हमें मेंटेन करना चाहिए। [हिन्दी] हम उस नाते को तोड़ नहीं सकते हैं लेकिन वह नाता टूट रहा है। मैं समझता हूं कि जब अलग से यह काउंसिल बनेगी, तब उसके बारे में ध्यान दिया जाएगा। पूरे विश्व में लोग घूम रहे हैं, आधुनिक होने के बाद, अत्याधुनिक होने के बाद वे कुदरत की गोद में जाना चाहते हैं। [हिन्दी] मैं समझता हूं कि उसके लिए हिमालयन रीजन एक बहुत बड़ी जगह है, जो वे पेश कर सकते हैं। पूरे विश्व की सबसे अच्छी चाय हिमालय की गोद में है, दार्जिलिंग में है, जलपाईगुड़ी में है। आज वहां चाय बागान के मजदूर

खुदखुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, राज्य सरकार उस तरफ देख नहीं रही है। मैं जानता हूँ पिछले सत्र में भी सवाल के जवाब में कहा गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिल कर करना चाहिए। चाय बगीचा का दोहन हुआ है। हम विदेशी मुद्रा कमाएं, लेकिन वे वहां पर प्लॉबैक नहीं कर पाए। हम दार्जिलिंग टी दूसरी किसी जगह पर बना नहीं पाएंगे। अगर हम आसाम में देखें तो दार्जिलिंग छोड़ दीजिए, जो सीटीसी चाय है, रूपये विलो चाय की जो ग्रीन पत्ती है, जो छोटे-छोटे किसान हैं, जो बागवानी करते हैं, वे आज बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। जब कि यह कोशिश होनी चाहिए थी कि उत्तरखण्ड तक किस तरह से चाय बागान को विकसित किया जाए। कुछ एक्सपैरिमेंट हुए भी, लेकिन वे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन अभी कुछ हो रहे हैं। किस तरह से हम लोगों को रोजगार के साधन जुटाने के लिए क्रॉप डायवर्सिफाइड कर सकें। वहां के जो मौसम है, उसके हिसाब से यह करें। उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे से जड़ी-बूटी की बात कही। जो हर्ब्स की बात कही, जो मैडिसिनल प्लांट्स की बात कही, तो यह जैसे लोगों के रहन-सहन के बारे में हो रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, उस तरह से बीमारियां भी बदल रही हैं। उससे हमें फिर से हमारे जो मैडिसिनल प्लांट्स हैं, हमारे जो हर्ब्स हैं, हमारी जो जड़ी-बूटियां हैं, उसको किस तरह से वहां पर हम और ज्यादा आज की साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन के तहत मॉडर्नाइजेशन भी करें और उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें, मैडिसिनल प्लांट्स के साथ-साथ किस तरह हम वहां पर फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज बनाएं। अभी-भी ज्यादातर मैडिसिंस हम जो लेते हैं, वे कृत्रिम स्रोत से लेते हैं, कैमिकल्स से ले रहे हैं। उसे हम किस तरह से नैचुरल रिसोर्सेज से ले सकें और उसके लिए हिमालय बहुत बड़ा फील्ड है, खेत है, जिससे हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन ज्यादातर बात रमेश जी बल चुके हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसे सैंट्रल हिमालयन तक सीमित न रख कर के आप पूरे हिमालय को गोद में लें और पश्चिम से ले कर पूर्वोत्तर तक, ईस्टर्न हिमालय से लेकर वैस्टर्न तक, शिवालिक से ले कर आराकांट तक आप इसको शामिल कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा और मैं समझता हूँ कि मांग भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और सरकार भी यह कार्य करने के लिए बाध्य होगी।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्य मंत्री ने जो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील, मानवीय जीवन से जुड़ा जो इन मुद्दों को इनके द्वारा लाया गया है, उनके समर्थन में खड़ा हूं। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, शायद उस वक्त उत्तराखण्ड में इन्हीं की सरकार थी, जब भूख हड़ताल से एक बाबा की मौत हो गई थी। ... (व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : किसकी मौत हुई थी। ... (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : एक बाबा की मौत हुई थी, .. एक ऐसे बाबा की मौत हुई थी, जो माफिया के खिलाफ प्रकृति को नष्ट करने वाले माफिया ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, वह नाम आपको नहीं लेना चाहिए।

यह नाम रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

राजीव प्रताप रूडी : सर, इस नाम को रिकार्ड से बाहर कर दिया जाए।

माननीय सभापति : रूडी जी, नाम रिकार्ड से बाहर निकालने के लिए आदेश दे दिया गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाहर कहीं गलत रूप से मिसइन्ट्रिप्ट न हो जाये।

श्री राजेश रंजन : अच्छी बात है।

माननीय सभापति : उसे कार्यवाही से बाहर कर दिया गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : गलत रूप से अगर मिसइन्ट्रिप्ट हो गया तो वह ठीक नहीं है।

श्री राजेश रंजन : आपकी प्रतिबद्धता जायज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। [हिन्दी] मेरा कहना यह है कि आपने जो बातें कही हैं, यह देश या एक सौ बीस करोड़ लोग इससे अलग नहीं हैं। प्रकृति और परमात्मा, गॉड गाइड बाई नेचर और नेचर गाइड बाई गॉड, प्रकृति और परमात्मा दोनों एक दूसरे के प्रदत्त हैं। जो हमारी शक्ति और जीवन पद्धति है, कंप्लीट साध्य और साधना, जो हमारी जीवन पद्धति है, वह हिमालय, पहाड़ों और प्रकृति

से जुड़ी हुई है। सवाल उठता है कि हिमालय में रहने वाले आधिकतर मुख्यमंत्री भाजपा के रहे हैं। उत्तराखंड में आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, खंडूरी साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे मित्र चले गए, उनके वालिद साहब मुख्यमंत्री रहे। आज राजनीति की बहस नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि इस नियम को आप कैसे बनाना चाहते हैं? एक व्यक्ति एक महीने से अधिक समय तक भूख-हड़ताल पर रहकर पहाड़ों के संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। वहाँ से ठीक पांच किलोमीटर की दूरी पर एक और व्यक्ति के द्वारा भूख हड़ताल होती है, उनके लिए पूरा देश और पूरी सरकार लग जाती है। पहाड़ों की सुरक्षा और संरचना पर जब एक व्यक्ति अपने जीवन की लीला को समाप्त करता है तो उसके लिए किसी को इस देश में चिन्ता नहीं होती है। मैं गंभीरता के साथ प्रश्न कर रहा हूँ कि इस गंभीर विषय पर आप कितने गंभीर है और सदन कितना गंभीर है, यह बड़ा अहम सवाल है। इसीलिए मैंने इन बातों को आपने सामने रखा है।

सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सभ्यता है ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी वे खड़े हैं, जब वे बैठ जाएंगे तब आप बोल लीजिएगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं नियम का पालन करता हूँ।

श्री राजेश रंजन : आप बाद में बता दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। [हिन्दी] दुनिया सब जानती है कि सदाशिव जो हमारे सबसे पहले आराध्य गुरु हैं, तब से लेकर आज तक, उनसे पहले भी ऋषि मुनि के काल से लेकर, आदम काल से लेकर, आदि काल से लेकर आज तक महापुरुषों और ऋषि मुनियों के बारे में और जीवन पद्धति के बारे में बात कही जाती है। आपने आयुर्वेद की बात कही है। आपने अध्यात्म और संस्वृति की बात कही है, आपने तहजीब की बात की है, आपने जीवन, जल, जंगल और जमीन की बात कही है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने जिस वक्त पहाड़ों में जो शब्द कहे हैं, उनको मैं उद्धृत नहीं करना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में कई देशों से हमारी विदेश नीति के साथ व्यापार को लेकर जो समझौता हुआ है, उसमें भी ये सारी बातें हैं कि कैसे व्यापार को बढ़ाया जाये? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके, प्रकृति

और जीवन को नष्ट करके किसी भी उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म देना और संपूर्ण पाश्चात्य सभ्यता को सिर्फ अर्थ के लिए, धन के लिए सम्पूर्ण मानवीय जीवन की संवेदना को समाप्त करते हुए सारे पूँजीपतियों का आगमन और हमारी नीति ही पूँजीपतियों के भौतिक सुख के लिए बनती है। हम जानना चाहते हैं कि आज तक, चाहे उत्तराखंड का सवाल हो या हमारे यहाँ सबसे बड़ा इस देश में जो भूकम्प आया। जो इस देश में दो त्रासदियाँ हुईं, एक सिक्किम की त्रासदी और दूसरी उत्तराखंड की त्रासदी, ये दोनों त्रासदियाँ क्या मानव निर्मित हैं या वे प्रकृति निर्मित हैं। मानव निर्मित त्रासदी के कारण ही ये दो बड़ी घटनाएं घटी हैं। इसके कारण भारत सरकार की नीति है, भारत सरकार की नीति ने कभी भी हिमालय और पहाड़ों में रहने वाले मानवीय जीवन की संवेदना को महसूस नहीं किया, जिसके कारण इस तरह की त्रासदी उत्पन्न होती है। हम जानना चाहते हैं, मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: सभापति जी, सदन में राजेश रंजन जी बोल रहे हैं। हमारा कहना है कि ये इतना अच्छा बोल रहे हैं और पूरा देश इनकी बात को सुन रहा है। ऐसा ही अच्छा ये हमेशा बोलते रहें, हमारा इनसे यही आग्रह रहेगा।

श्री राजेश रंजन : कहाँ से कहाँ बात को ले गए! राजीव जी हमारे भाई हैं। बहुत भाई उधर बैठे हैं और बहुत सम्मान करते हैं, सब मेरे मित्र हैं। बचपन से हम, राजीव जी, राम कृपाल बाबू एक साथ एम.एल.ए. रहे, एम.एल.सी. रहे, एम.पी. रहे। हम लोग साथ हैं और हममें बहुत प्यार है, इसमें कहीं दो मत नहीं हैं। भारतीय लोकतंत्र और संस्कृति के मुद्दे पर हम एक साथ हैं, चिन्ता नहीं करिए, हम उस पर अलग नहीं हैं। मानवीय सभ्यता पर हम एक साथ हैं।

हम सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहेंगे। गंगा से पहले हिमालय की सुरक्षा के सवाल को लेकर मंत्रालय की परिकल्पना क्यों नहीं की गई जब गंगा हिमालय की गोद से ही निकलती है? क्या कभी ऋषिको में पूर्व मुख्य मंत्री जी ने स्नान किया है? [हिन्दी] वहाँ का पानी कितना सड़ चुका है और सड़े हुए पानी में पूरे भारत के लोग जाकर डुबकी लगाते हैं। मैं कहना चाहूंगा यहाँ बैठे मंत्री महोदय से कि विलंब एक मंत्रालय की खोज हो और मंत्रालय बनाया जाए। हिमाचल के एक राजा के पुत्र भी यहाँ बैठे हैं और एक राजा जो पूर्व मुख्य मंत्री थे, वे भी यहाँ बैठे हैं। इन दोनों में से किसी व्यक्ति को उस मंत्रालय का जिम्मा दिया जाए ताकि हिमालय की सुरक्षा पूर्ण और मजबूत रूप से हो। हम चाहेंगे कि सरकार यदि यह करे और आपको लाए तो बहुत बड़ी बात होगी।

महोदय, मैं एक छोटी सी घटना उद्धृत करना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि अंग्रेजी राज के दौरान प्रॉबलम थी। इन समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक केन्द्र कोई समुचित नीतिगत पहल नहीं करता। पहाड़ों पर सड़क बनाने के लिए आधुनिक तकनीक अमल नहीं हो पाती, पर्वतीय क्षेत्र में न तो रेल, न वायु, न सड़क - आज़ादी के 67 साल बाद भी दो-तीन रेलवे यदि हम दार्जिलिंग और कुछ बातों का ज़िक्र नहीं करें, हालांकि सभी बातों का आपने ज़िक्र किया है, तो मैं निशंक जी से जानना चाहूंगा कि पहाड़ों में सौ साल, दो सौ सालों के पौधे लगाए जाते हैं जिनकी आयु 100 साल, 150 साल और 200 साल की होती है।

जो चीड़ या देवदार जैसे पेड़ होते हैं, जो अपनी जड़ों से पहाड़ों को पकड़ते हैं जो हिमालय की मजबूती है, जो हिमालय को ताकत देता है, ऐसे पेड़ों को आप पूँजीपतियों, कॉर्पोरेट घरानों और माफियाओं तथा दलालों के हाथ में गिरवी रखकर, बेचकर, नए 10-20 साल के पौधे लगाने का काम करते हैं।...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : सभापति जी, मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है।

श्री राजेश रंजन : मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मुझे लगता है कि माननीय राजेश रंजन जी मेरे प्रस्ताव को पढ़ते तो उसमें है कि हिमालयी राज्यों के जन, जंगल, ज़मीन और जल, इन चारों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए यह बिल है। उसके संरक्षण के लिए जो नीति बने, उसके लिए यह बिल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दो-तीन चीज़ें जो आपने आपत्तिजनक कही हैं, आप बार-बार कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को लेकर हम उधर करने वाले हैं..।

श्री राजेश रंजन : नहीं नहीं, आप नहीं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : फिर आप इस बिल पर बोलिये। यह बिल सिर्फ हिमालयी क्षेत्र जन, जंगल, ज़मीन और जो सारा क्षेत्र है, उसके संरक्षण और संवर्द्धन के लिए, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। वह चाहे वहाँ का आयुर्वेद है, चाहे वहाँ के जंगल हैं, सब चीज़ें, सब संपत्ति पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। इसलिए हम इस बिल को लाए कि इस पर एक नीति बने और नीति बनकर यह व्यवस्थित हो।

श्री राजेश रंजन : मान्यवर, मैं आपके ही मुद्दों पर आ रहा हूँ।

माननीय सभापति : निशंक जी आपकी भावनाओं को विस्तार से बता रहे हैं, आपकी भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री राजेश रंजन : पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बंगलादेश...।...([हिन्दी] व्यवधान) मैं आप ही के मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैंने माननीय सदस्य के बारे में नहीं कहा है। जिस तरीके की नीति है और आज तक जो घटनाएं घटी हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा था। चूंकि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में लाया है, इसलिए

मैंने इस ओर आपका ध्यान दिलाया कि आप इस बात को जानते हैं कि किस तरह दलाल वहां पर बिचौलिए और माफिया काम कर रहे हैं। आप वहां पर बिजली परियोजनाओं को ला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम बड़े-बड़े विश्वविद्यालय, सिनेमा की चीजें चूंकि वह एक पर्यटन स्थल है, बड़े-बड़े अस्पताल, योग, साधना पद्धति इत्यादि को हिमालय में लाकर उसे विकसित नहीं कर सकते हैं? क्या सिर्फ बिजली को लाकर ही हम उस इलाके की आर्थिक समृद्धि को विकसित कर सकते हैं? जबकि आप जानते हैं कि यह किस तरह की घटना या दुर्घटना को जन्म देती है। इन बिजली परियोजनाओं को लेकर वहां किस तरीके की दुर्घटना होने वाली है, यह किसी से छिपी नहीं है। देश के जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, जिनके बारे में यहां कहा जाता है कि उनका नाम नहीं लेना है, अगर उनका नाम ले लिया तो आपत्ति होगी। उनके लिए देश और दुनिया में घूमा जा रहा है और ऐसे पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए ताकत दी जा रही है। ऐसे पूंजीपतियों को वहां लाया जा रहा है। आपने पहले भा ऐसे पूंजीपतियों को वहां लाकर पूरे के पूरे हिमालय और पहाड़ों की संस्कृति और वहां की पूरी जीवन-पद्धति का नाश किया है। क्या सरकार इस मंत्रालय के माध्यम से कोई ऐसी नीति बनाएगी जिसके तहत वहां का जीवन बचे, वहां की प्रकृति नष्ट न हो, वहां का पर्यावरण दूषित न हो और वहां का आम जीवन इससे प्रभावित न हो? यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।

दूसरी बात यह है कि बिहार का जो मेरा इलाका है, जैसे मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा और नेपाल से लगा हुआ कुछ पोर्शन है, वहां हर साल इस विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी की नदी कोसी नदी की बाढ़ के कारण वहां का सम्पूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। मैं इसी संबंध में जानना चाहता हूं कि जब आप इसका कोई मंत्रालय बनाएंगे तो क्या आप उन क्षेत्रों को उसमें किसी काउंसिल में लेंगे? यदि आप हमारे उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी आदि के इलाके को किसी काउंसिल के तहत लेंगे तो मैं समझता हूं कि उस इलाके का डेवलपमेंट होगा। उस इलाके में आज डेवलपमेंट की बहुत कमी है। यह सब जानते हैं। राम कृपाल जी यहां बैठे हैं और वे उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। यदि आज हम उत्तर बिहार के उस क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त कर देते हैं तो निश्चित रूप से उस इलाके के जो किसान हैं, नौजवान हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उस इलाके को मछली, धान,

पान, मकान - इन चार चीजों की वजह से जाना गया है। ये चार चीज उस इलाके के आम आदमी को समृद्ध करेगा और उसे ताकत देगा। क्या इस पर आपकी कोई योजना है?

माननीय सभापति : राजेश जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेश रंजन : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : इसमें हिमालय कहां है?

श्री राजेश रंजन : इसमें हिमालय है, तभी तो मैं कह रहा हूं। [हिन्दी] मित्र, आप हिमाचल, हिम का आंचल यानी देवभूमि के बाशिंदे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि विश्व के इतिहास में हिमालय पहाड़ का सबसे बड़ा योगदान है। सेना से ज्यादा यदि पूरे भारतीय लोकतंत्र की परंपरा, संस्कृति आदि की सुरक्षा होती है, तो उसके लिए हिमालय हमारी सुरक्षा का सबसे मजबूत ताकत और स्तंभ है। हम हिमालय की प्रकृति को नष्ट न होने दें। हम हिमालय को किस तरह मजबूत करें और हिमालय के बीच में जो प्रदेश हैं, उसके इलाके में बंगलादेश, हिमाचल या जितने भी प्रदेश हैं, उनको विकसित करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वर्तमान में जो चुनौती है और जो भूत एवं भविष्य की कल्पना है, भूत में जो हुआ, भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए सरकार एक ठोस मंत्रालय के साथ, हमारी संस्कृति, तहजीब, प्रकृति और परमात्मा की मिली हुई जो ताकत है, वह नष्ट न हो।...(व्यवधान) इसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी या नहीं, यह मैं आपसे कहना चाहूंगा।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मेरे मुख्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस बात को कहा है,...(व्यवधान) मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने लघु जल विद्युत परियोजना की नीति बनाई। मैं आपको यह भी बता दूं कि वहां 18 से 20 विश्वविद्यालय हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलने का समय मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: राजेश जी, आप बैठ जाइए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): राजेश जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अगर वह भी बोल देंगे तो फिर बचा क्या है। अभी आप बहुत कुछ बोले हैं, इसके बाद वह भी आप कह देंगे तो मैं समझता हूँ कि संसदीय कुछ परम्पराय है, हम लोग उसका उल्लेख नहीं करते, जिसका आपने उल्लेख किया है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि अपने मुझे डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा उठाए गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया। इन्होंने केवल उत्तराखंड की बात नहीं की है, केन्द्रीय हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुंमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। पिछले सत्र में भी आपने उस समय एक मंत्रालय की मांग की थी। उस समय भी आपने अवसर दिया था, उस डिबेट में निशंक जी, हम सब लोगों ने और आपने भी उसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण विषय था। आज उनका तात्पर्य केवल यह है, मैं समझता हूँ कि एक मंत्रालय के गठन में निश्चित तौर से बहुत सी चीजें होती हैं। उसमें समय लग सकता है, उसकी एक प्रक्रिया हो सकती है। निशंक जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है, हम यह चाहते थे कि कम से कम तब तक हिमालय के लिए, सारे हिमालयी क्षेत्र के आने वाले उस इलाके के विकास के लिए, प्रबंधन के लिए, जिनके लिए माननीय सदस्यों ने चिन्ता की है कि कम से कम उस तरीके का एक हिल काउंसिल या विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए।

यह केवल एक राज्य का सवाल नहीं है, आज इस हिमालयी क्षेत्र में जो राज्य आते हैं, इसमें 11 राज्य आते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। आज 11 राज्यों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। केदारनाथ की त्रासदी हुई, उस त्रासदी से न केवल हम मरमाहत हुए, न केवल देश के लोग, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने यह देखा कि केदारनाथ में इसके कौन से कारण हैं। आज यह सवाल नहीं कि हम इस पर उन कारणों के संबंध में कोई आरोप-प्रत्यारोप या कोई राजनीतिक बात करें, लेकिन निश्चित तौर से वह एक ऐसी त्रासदी है, जिसकी

टीस आज भी है। शायद आज भी जो दीवारों पर इबादत लिखी गई है, आज भी उस दर्द का मर्म नहीं जा रहा है। उस घटना को अभी हम भूल भी नहीं पाए थे। उस घटना के बाद जिस तरीके से उत्तराखंड के बाद जम्मू-कश्मीर की त्रासदी हुयी, वह शायद अकल्पनीय थी। श्रीनगर, जो जम्मू-कश्मीर की राजधानी है, उसमें लोग अचानक अपने घरों में कैद हो जाएंगे, सचिवालय बंद हो जाएगा, राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। इसके लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक इनीशिएटिव लिया, नहीं तो ऐसा लगता था कि जम्मू-कश्मीर के साथ बाढ़ में जो त्रासदी हुयी और जिस तरीके से प्रकृति ने खिलवाड़ करना शुरू किया था, हजारों जन-धन की हानि हो जाएगी। वहां हमारी आर्मी के लोग गए। हमारे बहादुर सैनिक और जिस तरीके से केंद्र का प्रबंधन हुआ, अधिकारियों की एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बैठायी गयी, मिनिस्टर भेजे गए, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से उस प्रबंधन की आज पूरे जम्मू-कश्मीर के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वहां की जनता प्रशंसा कर रही है। जिनके मन में यह धारणा पिछले वर्षों में थी कि जम्मू-कश्मीर के साथ एक अलग भेदभाव होता है, जिससे लोगों के मन में कहीं न कहीं एक अलगाववाद की भावना भी पैदा हो रही थी। इसमें कहीं न कहीं सीमा पार के लोग भी एक्सप्लॉयट करने में भी कामयाब हो रहे थे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित तौर से श्रीनगर की, जम्मू-कश्मीर की बाढ़ की त्रासदी में केंद्र सरकार ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। आज इसका नतीजा है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के दिल में भारत के प्रति प्रेम है और उसका भारत के साथ एक अटूट रिश्ता जुड़ा है।

अगर हम इस विषय को देखें तो इसके सापेक्ष आप यह देखेंगे कि इसके पहले केदारनाथ की त्रासदी हुयी, फिर जम्मू-कश्मीर की त्रासदी हुयी। कल अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति, मैंने जिन 11 राज्यों का उल्लेख किया, अगर उनमें से किसी में यह घटना फिर घटित होती है तो हम कब तक इस त्रासदी को देखते रहेंगे? यह कोई छोटा एरिया नहीं है। इन 11 राज्यों का क्षेत्रफल 5 लाख 93 हजार वर्ग किलोमीटर है। स्वाभाविक है कि इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा 5 लाख 93 हजार वर्ग किलोमीटर में रहता है, वहां कहीं घनघोर जंगल हैं, कहीं गगनचुंबी पहाड़ियां हैं, कहीं ताल हैं, कहीं नदियां हैं। इस तरीके से कितनी कठिन जिंदगी हिमालय में रहने वाले की है, आप सब इसे जानते हैं। हम सब लोगों को इसका मौका मिला है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो,

मेघालय हो, मिजोरम हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू-कश्मीर हो, उन सब इलाकों में हमने देखा है, ट्रेकिंग किया है। मैं खुद मनाली में एनसीसी के ट्रेकिंग कैंप में रहा हूँ, उस ट्रेकिंग में मैंने माउंटनेिंग भी किया है। यहां से बैठकर हम उन क्षेत्रों की कल्पना भा नहीं कर सकते हैं। हमारे अनुराग भाई उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन राज्यों की जनगणना वर्ष 2011 की जनगणना से देखें तो लगभग 7.5 करोड़ की आबादी है। 7.5 करोड़ की आबादी में आज तीन-चार चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही हैं।

केवल भारत ही ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिन्तित नहीं है, पूरी दुनिया कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिन्तित है। पूरी दुनिया में जिस तरह से इकोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु मंडल में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के परिणाम आप देख रहे हैं। आज वे परिणाम निश्चित ही कहीं न कहीं लोगों के मानव जीवन के लिए आत्मघाती हो रहे हैं। आज वहाँ इस तरीके की स्थिति है। वहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वनों का अवैध कटान हो रहा है। इस बात की चिन्ता आप स्वयं बीसियों वर्ष तक विधान सभा में करते थे और हम भी करते थे। उन वनों के कटान से या जितना आच्छादित होना चाहिए, क्योंकि अगर 33 परसेंट भू-भाग पर वन होगा, तभी हम पर्यावरण का सन्तुलन बिठा पायेंगे। जब ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुईं तो अब वक्त आ गया है कि हम आज वहाँ पर विकास का सवाल हो, जिस तरीके से वन आधिनियम 1980 आ गया है, उसके कारण वहाँ निर्माण कार्यों में बहुत कठिनाई आ रही है। सड़क हो, चाहे सूखी लकड़ियों की बात हो, वहाँ के लोग उन्हें नहीं उठा सकते हैं। आप देखते हैं कि जितने हमारे नेशनल फॉरेस्ट हैं, राजा जी पार्क हो, जो वहाँ पुराने लोग थे, थारू, बुक्सा या पहाड़ी जातियाँ, जनजातियाँ थीं, उनको जो अधिकार थे, आज वे अधिकार भी उनके पास नहीं रह गये हैं।

आज स्थिति यह है कि एक गाँव में अगर कोई छोटी सी पेयजल योजना बनानी हो, गाँव का रास्ता बनाना हो तो वह भी सवाल इसलिए कि जो हमारा वन आधिनियम, 1980 है, उसके कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। आज वहाँ क्या स्थिति हो रही है, आज उन राज्यों में पलायन हो रहा है। उन राज्यों का नौजवान वहाँ

से निकल रहा है। आप यकीन कर लीजिए कि चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहां तक कि चाहे नेपाल हो, आज सब मनीऑर्डर इकोनॉमी से चल रहे हैं।

माननीय सभापति : चूंकि दूसरा भी एक विषय आना है, आप भी इससे सहमत होंगे। [हिन्दी] दस मिनट का समय रखा था, वे पूरे होने वाले हैं। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आज हिमालय के लिए विकास की बात कही गई है, जिसकी पीड़ा माननीय निशंक जी ने व्यक्त की है, उसका हर तरह से महत्व है, उसका सामाजिक और सामरिक दृष्टि से महत्व है। आज चाइना का जिस तरीके से लगातार इनकर्शन हो रहा है, चाइना का 350 किलोमीटर एरिया केवल उत्तराखंड से मिलता है। अगर हमारे पूरे बॉर्डर्स को देख लिया जाए तो ये म्यांमार, नेपाल और चाइना के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं। एक तरफ, इन राज्यों के सिर्फ आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि देश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं, निश्चित तौर से सामरिक दृष्टिकोण से, हमारे लिए वे भी महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों में चारों धाम की यात्रा की जाती है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में केवल वहां के लोगों का जीवन महदूद है, वह पूरे देश के लोगों की आस्था और विश्वास का केन्द्र है... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप कनक्लूड कर दें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर, वहां पर चारों धाम की यात्रा हो। जब हम पर्यटन की बात कह रहे हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी नेपाल गए थे और उन्होंने वहां की संविधान सभा में कहा है कि हम लोगों को साथ-साथ मिलकर बढ़ना है, सामंजस्य के साथ काम करना है। उन्होंने सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी की बात की है, नेपाल के साथ भारत की आवागमन की बात की है। पर्यटन के क्षेत्र पर, मैं बहुत ज्यादा रौशनी नहीं डालने जा रहा हूँ, लेकिन अब पर्यटन की ही संभावनाएं, इस देश की इकोनॉमी के लिए भी है, नेपाल के लिए भी है और यह पूरे हिमालय रेंज के लिए है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय ले कर आए हैं। अगर इसके लिए आप हमें और समय देंगे तो हम अपने विचारों की

आभिव्यक्ति कर सकते हैं...(व्यवधान) हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हैं, इसे आप समझते हैं। वह देवभूमि है और स्वर्ग के समान है। आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर विचार करे।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : सभापति महोदय, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इस सदन में केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक - 2014 प्रस्तुत किया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ जिन्होंने गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए मंत्रालय की स्थापना की है और गंगा मां को स्वच्छ बनाने के लिए यह कदम उठाया है, जिससे पूरा राष्ट्र प्रसन्न हुआ है। जिस गंगा मइया की प्रेरणा ले कर, जिसका आर्शिवाद ले कर, हम सब कहीं जाया करते थे, आज इसके लिए मंत्रालय की स्थापना हुई है। डा. पोखरियाल जी ने इसीतरह हिमालयी क्षेत्रों की विकास के लिए अलग मंत्रालय या केन्द्रीय हिमालयी राज्य परिषद की स्थापना के महत्व को आज सदन में रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। "मंडी" संसदीय क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है, तीन जनजातीय क्षेत्र आते हैं। इन पहाड़ी राज्यों में, हिमाचल प्रदेश राज्य की जो स्थिति है, जिन कठिनाइयों का सामन हिमाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। हम विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। आज हम उन क्षेत्रों पर ध्यान दें तो वहां बहुत-से पर्यटन स्थल विकसित हो सकते हैं। हम "काजा" जाएं तो ऐसा महसूस होता है कि हम चंद्रमा पर आ गए हैं। वहां की झीलें, झरनें और सौंदर्य प्रेरणा स्रोत हैं। प्रलय के बाद मनु की नाव मनाली जाकर रुकी थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो घटोत्कच ने युद्ध का नक्शा बदल दिया था, उनके हिडिंबा माता का मंदिर इस हिमाचल की भूमि में विकसित हुई है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से डाक्टर साहब ने इस प्रस्ताव को रखा है, इसको पारित करने में सबका सहयोग मिले। जब हिमालय, गंगा, राम, कृष्ण, हिन्दी और हिन्दुस्तान की बात आती है तो सब नजरें बचाने लगते हैं। अगर आज हम वियतनाम की बात करें तो यह अमरीका से 17-18 साल युद्ध लड़ता रहा। जब उससे पूछा गया कि आप कैसे युद्ध लड़ते रहे तो उसने कहा कि मैं महाराणा प्रताप की युद्ध नीति को पढ़कर, 17 वर्षों तक लड़ता रहा। हमारी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए हम चाहेंगे कि गंगा, हिमालय की रक्षा होनी चाहिए और उसके लिए कदम उठाने चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव आदरणा य डाक्टर साहब ने रखा है, उसे पारित करने की कृपा करें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदय, केन्द्रीय हिमालय राज्य विकास परिषद विधेयक, 2014 हमारे सहयोगी और पूर्व में उत्तराखण्ड के मुख्य मंत्री रहे डा. रमेश पोखरियाल जी द्वारा इस सदन में लाया गया है। मैं उसका समर्थन करने के लिए आप सबके सामने यहां खड़ा हूँ। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब हिमालय की बात आती है तब मुझे लगता है कि सदन का हर व्यक्ति इस विषय के साथ हमारे साथ खड़ा होता है। चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पश्चिम बंगाल का हो, हर किसी के मन में हिमालय राज्यों के प्रति कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कार्नर रहता है। पिछले सत्र में भी जब इसी से मिलते-जुलते विषय पर चर्चा हुई तब भी बड़ी तादाद में यहां के सदस्यों ने अपना समर्थन उस बिल को दिया। आखिरकार ऐसा क्या है कि जो सबको देव भूमि के साथ, हिमालय राज्यों के साथ लाकर खड़ा करता है। अगर आप दिल्ली में रहें, हरियाणा में रहें, पंजाब में रहें या हिन्दुस्तान के किसी बड़े क्षेत्र में आपका रहना हो, जब भी आपको लगता है कि आपके शरीर को, मन को स्वास्थ्य की दृष्टि से, दिल की दृष्टि से आराम चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आपने वापिस आकर पूरी ताकत के साथ काम करना है, अगर आपने ब्रेक भी लेनी होती है तो छुट्टियां बिताने के लिए आप हिमालय की ओर देखते हैं। लेकिन जब हिमालय राज्यों की ओर जाते हैं तो सबसे बड़ी चिन्ता का विषय क्या है। वहां का आधारभूत ढांचा चरमरा रहा है। वहां एक छोटी सी सड़क भी बननी हो तो फॉरैस्ट क्लीयरेंस लेने में दिक्कतें आती हैं। जिस जमीन पर एक पौधा तक नहीं, वह लैंड भी फॉरैस्ट के अंतर्गत आती है और उसके केस की क्लीयरेंस के लिए भी केन्द्र सरकार तक आना पड़ता है। वहां के नौजवान गरीब घरों में पैदा होने के बावजूद अच्छी शिक्षा लेने के लिए तड़पते हैं। वे 15-15 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाते हैं। पांच साल, दस साल का बच्चा इस उम्मीद के साथ पढ़ता है कि कभी न कभी वह जिंदगी में अच्छा करेगा और भारत के निर्माण में अपना योगदान देगा। लेकिन जब रोजगार लेने की बारी आती है तो उसे दिल्ली और बड़े-बड़े राज्यों की ओर देखना पड़ता है। न आधारभूत ढांचा है, न अच्छी शिक्षा की सुविधाएं हैं, न रोजगार है। आखिरकार वहां राज्यों में है क्या? वहां के लोग अपना जीवन किन परिस्थितियों में जीते हैं, यह शायद मेरे, निशंक जी और रामस्वरूप जी जैसे बाकी लोग जानते होंगे। पर्यटक के तौर पर चंद महीनों में आकर चले जाना, चंद दिन बिताने से आपको शायद निचले स्तर की समस्याओं का पता नहीं चल

पाएगा। हां, यह जरूर है कि जब कहीं पर प्राकृतिक आपदा आती है तो हर टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज, हर समाचार पत्र के पहले पन्ने पर वह खबर छपती है।

जब पार्लियामेंट के सदन के अंदर हिमालय राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनका मंत्रालय बनाने की बात होती है, उनको सुविधाएं देने की बात होती है तो किसी समाचार-पत्र में दो लाइनें तक देखने को नहीं मिलतीं। आपदा के बाद तो देश खड़ा होता है, लेकिन आपदा आने से पहले कोई चिंता और चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता। क्या हम हर बार चर्चा करके यहीं पर छोड़ देंगे? क्या प्राइवेट मैम्बर बिल का मतलब है कि यहां पर आइये, चर्चा कीजिए और अंत में आकर मैम्बर उसे विदूढ़ कर लेगा? आखिरकार उस बिल में कोई तथ्य है, ताकत है तो मुझे लगता है कि सदन को उसे स्वीकार करना चाहिए और सरकार को इस दिशा में कोई न कोई कदम उठाना चाहिए।

सभापति महोदय, उत्तराखंड में दो वर्ष पहले प्राकृतिक आपदा आयी या इस वर्ष कश्मीर में आयी, वे दोनों बहुत दुखद घटनाएं थीं। उसमें सैंकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवायी हैं। हिन्दुस्तान के कोने-कोने से लोगों ने पैसा दिया है, लेकिन जब परिवार ही नहीं रहे तब उस पैसे का क्या करना? जब घर नहीं रहे, सड़कें नहीं रहीं और वहां जाने की ताकत नहीं रही तो उन सड़कों को बनाकर क्या करना? आखिरकार जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो समाज के सभी व्यक्तियों को उसके साथ जुड़ना होगा और समय से पहले उस पर विचार करना होगा। आखिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर के पास किस बात की कमी है? हम चाहें तो अपने बलबूते पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और नार्थ ईस्ट के हर व्यक्ति को केवल टूरिज्म के माध्यम से रोजगार दे सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल, गुजरात और चेन्नई से किसी को हिमाचल प्रदेश होना हो, तो उसके लिए दिल्ली की फ्लाइट तो है, लेकिन धर्मशाला की फ्लाइट लेने के लिए 18 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। कुल्लू की हफ्ते में दो दिन की फ्लाइट है। शिमला के लिए फ्लाइट ही नहीं है। आप वहां कैसे जायेंगे और कहां से देखेंगे? जब जाना हो तो 12 घंटे तक अपनी पीठ तुड़वा कर आप किसी कोने तक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति आराम करने जाता है, वह उलटा और थकावट महसूस करके आता है। वहां उद्योग

लग सकते हैं। वाजपेयी जी की कृपा दृष्टि रही तो उन्होंने यह नहीं देखा कि जम्मू-कश्मीर में नैशनल कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी के कहने पर वर्ष 2002 में तीनों राज्यों को अगर इंडस्ट्रियल पैकेज किसी ने दिया तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। लाखों उद्योग लगे, लाखों लोगों को रोजगार मिला। कहीं न कहीं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगने से वहां पर उद्योग लग पाये। लेकिन आज भी वहां पर लाखों लोग बेरोजगार हैं। जब लोग वहां पर बेरोजगार होंगे तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम होगी। पहाड़ों से लोग चलकर यहां पर आयेंगे और अपने घर-परिवार पीछे छोड़ेंगे। आखिर ग्रोथ सेंट्रलाइज क्यों है? आकर्षण का केन्द्र बड़े शहरों की ओर है, क्योंकि यहां पर आधारभूत ढांचा है। पढ़े-लिखे लोगों की कमी वहां पर भी नहीं है। जमीन की कमी वहां पर भी नहीं है, लेकिन फिजिबिलिटी की बात आती है तो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता है कि ऐसी जगह पर लगाओ, जहां पर मार्केट नजदीक हो। लेकिन ये समस्याएं सदा बनी रहेंगी। जब तक हम इनकी ओर नजर नहीं दौड़ाएंगे, हम पर्वतीय राज्यों के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक यह दिक्कत आती रहेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हिन्दुस्तान की रक्षा की बात आती है तो मेरे मित्र ने अभी कहा कि हिमालय बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। हिमालय के साथ-साथ हिमालय के नौजवान भी हिन्दुस्तान की सुरक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब हिमालय राज्यों के विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश के नौजवान हिन्दुस्तान की रक्षा में अपनी जान नहीं गंवाते। हम देश की रक्षा-सुरक्षा में पीछे नहीं हटते, लेकिन वहां के बाकी नौजवानों के लिए रोजगार की बात आती है, तो पूरे देश की ओर देखना पड़ता है। शिक्षा की बात आती है तो बाकी देश की ओर देखना पड़ता है। उद्योग लगाने की बात आती है तो बाकी देश की ओर देखना पड़ता है। आखिर कब तक हम बाकी देश की ओर देखते रहेंगे? कब देश हिमालय की ओर देखेगा? आज हिमालय राज्यों की ओर देखने की आवश्यकता है तभी उनका विकास हो पायेगा। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक ऐसे डिपार्टमेंट की जरूरत है, जो निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं को देख पाये। यहां पर हमारे समतल इलाकों के जो लोग हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि वहां पर तीन गुना ज्यादा कीमत क्यों आती

है? कई जगह सड़क नहीं है इसलिए खच्चरों पर सामान ढोकर ले जाना पड़ता, इससे दुलाई का पैसा ज्यादा लगता है। काम करने वाले कम हैं। सारा रॉ मैटीरियल बाहर से आता है। समस्याएं अपने स्थान पर खड़ी हैं।

सरकार को टूरिज्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। टूरिज्म को अगर हिमालय क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो इन क्षेत्रों पैकेज के लिए लाने चाहिए ताकि यहां का आधारभूत ढांचा अच्छा हो। रूरल टूरिज्म को प्रमोशन देनी चाहिए ताकि लोग गांव में जाकर ठहरें। आगेरनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि लोग सहयोग करें और अच्छे दाम मिल सकें। मेडिसनल प्लांट बहुत बड़ी संपदा है, इसे और बढ़ावा देना चाहिए ताकि अच्छी कीमत मिल सके। यहां वन संपदा बहुत है। दुनिया भर के देश अपने पेड़ों को काटते हैं, नई प्लांटेशन कई गुना ज्यादा करते हैं और उससे कमाते हैं। हमारे यहां पहाड़ी राज्यों में पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। किसी के अपने घर में पेड़ है तो वह भी नहीं काट पाता है। किसी के घर में कोई मर जाता है तो वह अपने घर का पेड़ काटकर उसे जला नहीं सकता है। यहां इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। अगर हम देश को कुछ देते हैं तो वह है साफ पानी, साफ जलवायु। मुझे लगता है कि वहां के लोग यह आपसे छीन लेंगे तो लोगों का दिल्ली जैसे राज्य में जीना मुश्किल हो जाएगा।

यहां का देश के राज्यों के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। नार्थ-ईस्ट के लिए अलग से मंत्रालय बना है। उनके लिए ऐसे बहुत प्रावधान हैं जिनसे उन्हें लाभ मिलता है। जम्मू-कश्मीर में फ्लाइट लेकर कोई जाना चाहे तो 4000 रुपए में जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में किसी ने जाना हो तो उसे 18000-20000 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। इसमें भी सरकार को सहयोग देना चाहिए। यहां कुछ मंत्री बैठे हैं, मेरा निवेदन है जब कभी कैबिनेट की मीटिंग हो हमारी भावनाओं को उन तक पहुंचाया जाए।

आप सबने यहां मेरी बातें सुनीं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे केंद्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2014 पर बोलने का अवसर दिया, जिसे वरिष्ठ नेता डॉ. रमेश पोखरियाल जी यहां लेकर आए हैं। इससे पहले, संसद के पिछले सत्र में, उन्होंने हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने के लिए कहा था और अब वे सरकार से आग्रह करते हैं कि एक अलग मंत्रालय बनने तक, हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक केंद्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए।

महोदय, मैं राजस्थान से आता हूँ। मेरे राज्य को जल की आपूर्ति पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश से होती है। अतः, मैं पर्वतीय राज्यों की प्रगति और समृद्धि की दिशा में सकारात्मक अपेक्षाएं रखता हूँ। हमारे प्रदेश के अनेक नागरिकों का पर्वतीय राज्यों से घनिष्ठ संबंध रहा है। प्रस्तुत विधेयक का मूल उद्देश्य उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा हमारे देश के अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण उत्थान को सुनिश्चित करना है।

अभी हाल में उत्तराखंड क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई और उससे पहले वहां भूकंप आया था। उत्तराखण्ड राज्य में बहुत तबाही हुई। उत्तराखंड में बादल फटने के कारण केदारनाथ जाने वाले बहुत से तीर्थयात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बहुत से लोग पहाड़ी इलाकों में फंस गए। राज्य की अवसंरचना पूरी तरह ध्वस्त हो गई। अतः राज्य की अवसंरचना तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए डॉ. रमेश पोखरियाल जी यह विधेयक लेकर आए हैं।

मैं यहां कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। ये पर्वतीय राज्य हमारे देश को सेना तथा अर्धसैनिक बलों हेतु समर्पित मानव संसाधन उपलब्ध कराते हैं। ये पर्वतीय राज्य देश में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं का सृजन करते हैं, जिसका उल्लेख पूर्व वक्ताओं द्वारा भी किया गया है। विशेष रूप से उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सांस्कृतिक पर्यटन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो देशवासियों को अपनी समृद्ध विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। हमें इस पर विचार करने की जरूरत

है। इन पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक स्थिति हमारे पड़ोसी देशों की सीमाओं के दृष्टिगत सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इन राज्यों के विकास और सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना नितांत आवश्यक है।

इस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। हमें इस क्षेत्र के भविष्य के विकास को देखने की आवश्यकता है जो हम अपने जी.डी.पी. विकास के माध्यम से मांग रहे हैं। हमें इन क्षेत्रों का उत्थान नए कौशल विकास मंत्रालय के साथ करना चाहिए जो गठित किया गया है। हमें उन उद्योगों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन्हें उस समय के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहिब द्वारा विशेष पैकेज के माध्यम से सहायता प्रदान की गई थी।

अभी हाल में जम्मू और कश्मीर राज्य में बाढ़ आई जिसके कारण पूरा क्षेत्र तहस-नहस हो गया। इस क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। इन क्षेत्रों में रेल सुविधाएं नगण्य हैं। मैं केवल उत्तराखंड पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, जहां केवल 345 किलोमीटर रेलवे है और 90 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी है। यही स्थिति हिमाचल और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी है। इन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी है। हमें इन क्षेत्रों में वायु संपर्क को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देना होगा। परिवहन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं, पर्यटन और आमजन के आवागमन में सुधार किया जा सकता है, जिससे लोग क्षेत्र के विभिन्न भागों तक सुगमता से पहुंच सकें। इसका मूल उद्देश्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, दूरदराज क्षेत्रों को सड़क और रेल मार्गों से जोड़कर उनकी प्रगति को सुनिश्चित करना, उन स्थानों पर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराना जहाँ अभी तक वे सुलभ नहीं हैं, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक सुविधाएं तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि पर्वतीय राज्यों से महानगरों की ओर आजीविका की तलाश में आने वाले लोगों की कठिनाइयों को कम किया जा सके और उन्हें अपने ही क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति : दुष्यंत जी , कृपया अब समाप्त करें।

श्री दुष्यंत सिंह : महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूं। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। वर्ष 2002 में, सिक्किम को शामिल किया गया था। इन राज्यों के पास 'विजन 2020' की स्पष्ट कार्ययोजना है। अन्य राज्य भी उस दृष्टिकोण का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसी माध्यम से हम न केवल भारत को बल्कि पर्वतीय राज्यों को भी और अधिक सशक्त बना सकते हैं। इसके साथ ही हमें जैविक खेती पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा राज्य राजस्थान भी आबू पर्वत एवं अरावली पर्वतमाला जैसे प्रतिष्ठित पर्वतीय क्षेत्रों से युक्त है, जिन पर ध्यान केंद्रित करना समय की मांग है। अतः मैं मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए भी एक विशेष सहायता पैकेज प्रदान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, जिस राज्य से मैं चुनकर आया हूँ, उस पंजाब राज्य की सरहदें हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर से लगती हैं। पंजाब का पानी हिमाचल प्रदेश से आता है। पंजाब की नदियाँ सतलुज, व्यास सब हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं, जैसा कि मेरे मित्र श्री अनुराग जी ने कहा। लेकिन जो टूरिज्म के प्रयास किया जाना चाहिए था, वह अब तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। लंदन में हर साल दो करोड़ टूरिस्ट जाते हैं। न्यूयार्क में हर साल 5 करोड़ टूरिस्ट और पूरे भारत में एक साल में सिर्फ 20 लाख टूरिस्ट आते हैं। मैं आपके माध्यम से यह बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ कि चाहे वह कल्चरल टूरिज्म हो, चाहे धार्मिक टूरिज्म हो, क्योंकि हिमालय के राज्यों में बहुत से ऐतिहासिक मंदिर और गुरुद्वारा साहब हैं, लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। उनके लिए सड़कें और वहाँ पर रहने का अच्छा प्रबंध हो जाए तो इससे देश को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी होगा। इस बात से मैं सहमत हूँ कि पहाड़ी युवकों में बहुत टैलेंट है, चाहे वे किसी भी फिल्ड में जाना चाहते हों, लेकिन उनको इधर-उधर माइग्रेट होना पड़ता है।

मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल है, वहाँ चार राज्यों के मरीज आते हैं और डाक्टरों पर बहुत बोझ रहता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू, हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए पीजीआई चंडीगढ़ है, इससे बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए जम्मू-कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का जो क्षेत्र है, उसमें हॉस्पिटल्स का प्रबंध होना चाहिए। स्पोर्ट्स में पहाड़ के युवक बड़ा योगदान दे सकते हैं, जैसे धर्मशाला में एक स्टेडियम बन गया और धर्मशाला पूरी दुनिया के नक्शे पर आ गयी। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सुंदर सिटीज हैं। ऐसा प्रावधान किया जाए कि हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स और शूटिंग रेंज इत्यादि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ताकि पहाड़ के युवक ओलम्पिक, एशियाड और नेशनल स्पोर्ट्स में अपना योगदान दे सकें। पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर और केदारनाथ में जो प्राकृतिक आपदा आई, उसमें हमें अपनी मानवीय गलती माननी चाहिए। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उसकी वजह से यह नुकसान हुआ है। पास्ट को भगवान भी नहीं बदल सकते, पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ

कि इन राज्यों को स्पेशल पैकेज दिए जाएं ताकि इन राज्यों के लोग गर्व से कह सकें कि भारतीय हैं, जिससे देश की सुरक्षा में पहाड़ और पहाड़ के युवक जो योगदान दे रहे हैं, उनको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हो।

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : सभापति महोदय, आज पिछले डेढ़ घण्टे से श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा लाए गए पर चर्चा हो रही है। सेंट्रल हिमालयन स्टेट्स डेवलपमेंट काउंसिल बिल, 2014 पर चर्चा हो रही है। मैं पोखरियाल साहब को मुबारकवाद देना चाहता हूँ कि इस बिल को बनाने में इन्होंने जो मेहनत की है, वह साफ नजर आती है। उसके पश्चात् जिस तरह से इस बात की वकालत उन्होंने सदन में की है, वह भी काबिले-तारीफ है। वह अनुभवी हैं, सारी चीजें समझते हैं और सभी चीजों का निचोड़ इस बिल में रख दिया है। इस बिल को लाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। मैं इनके विचारों से सहमत हूँ। इनके ही नहीं, अन्य जितने माननीय सदस्यों ने बोला है, अनेक दलों के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के माननीय सदस्य ने बोला है, मैदानी इलाकों के सदस्यों ने बोला है और सभी ने तकरीबन सहमति जताई है कि हिमालयन रीजन, खासकर सेंट्रल हिमालयन रीजन की तरक्की हर सूरत में होनी चाहिए। मोहम्मद सलीम साहब ने असम और बंगाल हिल एरियाज की भी चर्चा की, लेकिन यह बिल केवल सेंट्रल हिमालयन स्टेट्स का है और एक मंत्रालय आलरेडी मौजूद है जो नॉर्थ-इस्टर्न स्टेट्स के बारे में वर्ष 1972 में काउंसिल बनाया गया था। शायद उनको इस बात का इल्म नहीं होगा। आज की चर्चा में तीन प्रांत हैं, वे उस डेवलपमेंट काउंसिल से वंचित हैं, मैं समझता हूँ कि इसीलिए यह बिल लाया गया है। जिन सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, सरकार उनके विचारों से सहमत है।

आज से ही नहीं पिछले कई दशकों से, चाहे कोई सरकार रही हो, उन्होंने यह महसूस किया है कि जब तक हिमालयन रीजन को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो न कभी पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकती थी और न कभी आगे भी बनने की सोच रख सकती है। चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो या मैडीसन की दृष्टि से हो, चाहे वहां के लोगों की वजह से हो, चाहे वहां की बायो-डायवर्सिटी की वजह से हो, तो ये सारी चीजें सरकार के विचाराधीन हैं। मैं माननीय निशंक जी को कहना चाहता हूँ कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एस.एच. ई.) ये पहले से ही सरकार की तरफ से प्रस्तावित है और लागू है और इसके अंदर 550 करोड़ रूपया 12 वें प्लान के अंदर खर्च करना नियमित किया गया है जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अधीन इस योजना पर बड़े जोरों से सरकार उस पर लगी हुई है इसके अंदर चाहे

ग्लेशियर्स की चर्चा हुई हो, चाहे प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हुई हो, या वहां की बायो-डायवर्सिटी हो, फोना-फ्लोरा हो, या वहां की वाइल्ड लाइफ हो, या वहां की ट्रेडिशनल नॉलिज सोसाइटीज हों और किस तरह से वे अपना जीवन-बसर करते हैं, इन चीजों के ऊपर इस नेशनल मिशन के माध्यम से न केवल प्रकाश डाला जाएगा, बल्कि इनसे कुछ सीखकर आगे के लिए कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। माननीय पोखरियाल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार इस चीज पर कार्यरत है।

जब हमारी सरकार आई तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी कटरा गये और वहां पर एक रेल गाड़ी को हरी झंडी देने के लिए जब वे पहुंचे थे तो उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि,

सरकार जम्मू और कश्मीर से उत्तर-पूर्व तक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के सामान्य विकास के लिए एक मॉडल पर काम करेगी।

इसलिए, वह भी जानते हैं कि हमारे को इस चीज पर कुछ न कुछ विचार करके दिखाना पड़ेगा तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि नेशनल डिवेलपमेंट कौंसिल है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधान मंत्री जी हैं और सभी चीफ-मिनिस्टर्स इसके मैम्बर्स हैं। इस कौंसिल के माध्यम से ये तीन प्रांत पहले से ही स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा 8 प्रांत और भी हैं जो स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स के अंदर आते हैं। जो नार्थ-ईस्ट के इंडिविजुअल स्टेट्स हैं जिनकी अलग-अलग वजह से स्पेशल कैटेगराइजेशन हो चुकी है। उसके अंदर वो प्रांत भी हैं जो शायद हिल्स स्टेट्स के अलावा मैदानी क्षेत्र के भी एरिया रखते हैं। जिसके अंदर असम है। ये जो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माने जाते हैं, एनडीसी के माध्यम से इन्हें ये कैटेगराइजेशन मिली है और इन्हें भारत सरकार की तरफ से जो नार्मल सेंट्रल आसिस्टेंस टू स्टेट्स होता है, तो पहले से ही इन 11 प्रांतों को 56 फीसदी नॉर्मल सेंट्रल आसिस्टेंस का दिया जाता है। बाकी के 18 प्रांत जो हैं जिन्हें स्पेशल कैटेगराइजेशन नहीं मिला है, उन्हें नॉर्मल सेंट्रल आसिस्टेंस से केवल 44 फीसदी आसिस्टेंस भारत सरकार की तरफ से मिलता है। इसी तरह से भारत सरकार की तरफ से स्पेशल प्लान आसिस्टेंस है जो प्रोजेक्ट्स के वास्ते दिया जाता है। उसके अंदर स्पेशल प्लान आसिस्टेंस केन्द्र देता है, उसमें 90 परसेंट आसिस्टेंस ग्रांट के रूप में

दिया जाता है और केवल दस फीसदी लोन के रूप में दिया जाता है, जो इन प्रांतों को केन्द्र को वापिस देना होता है। अगर इसकी तुलना उन प्रांतों से करें जो स्पेशलाइज्ड कैटेगिरी में नहीं आते हैं तो उनको जितना भी असिस्टेंस दिया जाता है, वह बैंक टू बैंक लोन के तौर पर दिया जाता है, जो कि उन 18 प्रांतों को वापस केन्द्र सरकार को करना होता है। ब्लॉक ग्रांट्स जो कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को देती है। यह प्लानिंग मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता है। ब्लॉक ग्रांट्स का सौ फीसदी इन्हीं क्षेत्रों को जाता है और यह पैसा वापस नहीं लिया जाता है।

इसी के साथ-साथ बॉर्डर एरियाज़ से लगने वाले प्रांत, जिनमें जम्मू-कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश इत्यादि तक के लिए बॉर्डर एरियाज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। जिन तीन प्रांतों का आज जिक्र किया गया है, उन तक ही अपने आपको सीमित रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रोग्राम होम मिनिस्ट्री से मॉनीटर होता है। वर्ष 2014 में इस प्रोग्राम के तहत जम्मू-कश्मीर को 9111 लाख रुपये इस साल में रिलीज़ किया गया है और इन्हें 12 हजार 800 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। उत्तराखंड के लिए 3565 लाख रुपये एलोकेट किए गए हैं और 2821.84 लाख रुपये रिलीज़ किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए 21 सौ करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं और अभी तब 782 लाख रुपये रिलीज़ किए गए हैं। केन्द्र सरकार इस बात से सहमत है और इस बात के प्रयास कर रही है, साथ ही साथ मेरे साथीजन यहां जो चर्चा कर रहे हैं, इससे मैं समझता हूं कि सरकार पर दबाव पड़ता है कि एक स्पेशल पैकेज या मिनिस्ट्री के बारे में सरकार को सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब तक यह नहीं होता है, तब तक जितना भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयास हो सकता है, वह करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी और भारत का हर नागरिक यह कभी नहीं चाहेगा कि हमारी बरखिलाफ मुल्कों के बीच यह जो नैचुरल वॉल है, उसमें जो भी बाशिंदा या जीव-जन्तु या पेड़-पौधे हैं, वे सभी आज के बाद से नष्ट नहीं होने चाहिए, इस तरह का प्रयास हमारी सरकार की तरफ से चल रहा है और इस पर सक्रिय चर्चा हो रही है। हमारे ठाकुर साहब ने कहा कि यहां जो चर्चा हुई है, उस पर कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा करें। वकील के तौर पर हमारा महकमा आपकी बात को आगे पेश करेगा, यही मैं

आप से कह सकता हूँ। राजेश रंजन साहब ने बिल से बाहर बिहार की चर्चा की, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि जो डिजास्टर्स हुए हैं, वह मैन मेड हैं या प्राकृतिक हैं। इस पर चर्चा हो सकती है।

महोदय, जगदम्बिका पाल साहब, रामस्वरूप शर्मा जी, दुष्यंत सिंह जी और भगवंत मान साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर जो अपनी बात रखी है, उसमें उन्होंने इसको प्रिजर्व और प्रोपगेट करने के लिए जो दिल की भावना थी, जो पीड़ा थी, वह नज़र आ रही थी। उससे यह सरकार अवगत है।

मैं पोखरियाल साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने बिल को आज वे विदड़ों करें। सरकार की तरफ से पूरी सहानुभूति पूर्वक इस विषय पर पहले से ही गौर किया जा रहा है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : माननीय सभापति जी, इस विधेयक पर मोहम्मद सलीम साहब, राजेश रंजन जी, जगदम्बिका पाल जी, रामस्वरूप शर्मा जी, अनुराग ठाकुर जी, दुष्यंत जी और हमारे भगवंत सिंह मान जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मुझे लगता है कि यदि वक्त होता तो इस पर बहुत सारे सांसदगण इस पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते।

माननीय मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात को स्वीकर किया कि हां, इसकी जरूरत है और यह पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सभी लोगों की भावनाओं का बहुत सम्मान भी किया और यह भी कहा कि निकट भविष्य में जब तक नहीं होता, हम इस पर विचार कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूँ कि इस हिमालय बैल्ट का एक अलग मंत्रालय गठित होगा जो देश के लिए ताकत बनेगा। यदि हमने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन किया, यदि हमने जम्मू-कश्मीर के लिए गृह मंत्रालय का एक विभाग गठित किया लेकिन इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को हमने छोड़ दिया तो आखिर इन दो राज्यों ने वह कौन सा अपराध किया था क्योंकि इन दो राज्यों में औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है। दूसरी पंक्ति में उसकी मां और बहनें सैनानियों की तरह अनन्य देशभक्ति का प्रमाण देते हैं। इस बात के एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ क्योंकि यह बात सही है कि सरकार बहुत सारे अनुदान देती है और यह विशेष राज्य के दर्जे में है। मैं इस बात को बड़े अनुरोध के साथ इस बात को संदर्भित करना चाहता हूँ कि चाहे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रश्न हो, आप एक विश्लेषण कर लीजिए कि केन्द्रीय नीतियों के अभाव में जो पैसा आप दे रहे हैं, वह किस स्थान पर खड़ा है? इसी सदन में इस पर चर्चा होती है। वह पैसा कहां जा रहा है? भारत सरकार निष्पक्ष रूप से कर रही है और पैसा दे भी रही है। आपने काउंसिल भी बना दी और तमाम 90 और 10 प्रतिशत के हिसाब से अनुदान भी दे रहे हैं। लेकिन नीतियों के अभाव में वह पैसा ठीक स्थान पर नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने पिछली बार केवल चर्चा के लिए नहीं, बल्कि हम देश के बारे में विचार करते हैं। हम देश की प्रगति के बारे में विचार करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पूरे हिमालय की जो बेल्ट है, इसके लिए एव अलग मंत्रालय का गठन होना चाहिए चाहे पूर्वोत्तर राज्यों का है और चाहे वह जम्म-कश्मीर का है और चाहे यह हिमाचल और उत्तराखंड का है। इसका एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। इसके लिए नीति बननी चाहिए क्योंकि अगर नीति बनेगी तो उसका क्रियान्वयन होगा और ज़मीन पर हमारी मंशा क्रियान्वित हो सकेगी। यह नीति जब यहां से बनेगी तो जो धनराशि इस समय भारत सरकार से जारी हो रही है, इसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विभाग का जरूर गठन किया जाए ताकि देश की प्रगति में, समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। चूंकि उन्होंने आश्वासन भी किया है, इसलिए मंत्री जी के आश्वासन होने पर कि हमें जल्दी से जल्दी हिमालय का एक अलग मंत्रालय मिलेगा और जब तक नहीं होता तब तक इसी सत्र में कहीं न कहीं काउंसिल की शुरुआत हो जाएगी तो मैं इसी आशा के साथ अपने उस बिल को वापस लेता हूँ।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आश्वासन दिया। एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण मैं चाहता हूँ, चर्चा में निशंक जी ने हमारा ध्यान आकर्षण खास तौर पर दो राज्यों की तरफ किया। मगर इन राज्यों के साथ आप एक मंत्रालय का गठन करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इन राज्यों के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं, जो फुटहिल ऑफ हिमालय है, जैसे आप जानते हैं कि कालका जिले में, सहारनपुर जिले में आपके साथ सटा हुआ

क्षेत्र है, जहां से आप आते हैं। हमारा शिवालिक का क्षेत्र है। मैं समझता हूं जब आप उन क्षेत्रों के लिए कंसैशन करें, मंत्रालय का गठन करें, नीतियां बनाएं तो उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखें। ऐसा एक छोटा सा सुझाव मैं देना चाहता हूं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: महोदय, केन्द्रीय हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद नामक एक परिषद की स्थापना करने तथा उससे संबंध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि केन्द्रीय हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद नामक एक परिषद की स्थापना करने तथा उससे संबंध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को मैं वापस लेने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : महोदय, मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

अपराह 5.46 बजे**अध्यक्षपीठ द्वारा उद्घोषणा**

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों, इससे पहले कि मैं, अम्ल (नियंत्रण) विधेयक, 2014 पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी को बुलाने से पहले, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी, माननीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री जी ने दिनांक 27 नवंबर 2014 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि राष्ट्रपति को विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने के बाद, संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के अंतर्गत विधेयक पर लोक सभा में विचार करने की सिफारिश की जाती है।

अपराह 5.47 बजे**अम्ल नियंत्रण विधेयक, 2014**

माननीय सभापति : अब, डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

"कि मानव, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं पर एसिड हमले को रोकने तथा एसिड के विक्रय और वितरण पर नियंत्रण रखने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, आपने मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने की अनुमति दी है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मगर जहां तक एसिड अटैक का सवाल है, मैं समझता हूँ कि यह अपने आपमें एक जघन्य अपराध है। यह एक ऐसा अपराध है कि इस अपराध की वजह से पूरी मानव जाति

शर्मसार होती है। इस अपराध में जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाओं को जिस प्रकार से यातनाओं से गुजरना पड़ता है, महिलाओं को जिस प्रकार से दर-दर की ठोकें खानी पड़ती हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे एक विषय को उजागर करने के लिए आपने मुझे भारत ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, मंत्री जी कहां बैठे हैं?

माननीय सभापति : बहुत वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : आपने मुझे भारत की सर्वोच्च पंचायत यानी कि लोक सभा में इस बात को उजागर करने की अनुमति दी है, मैं आपके तथा सदन के माध्यम से और सरवार के माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जहां तक भारत की संस्कृति का सवाल है, भारत की एक ऐसी विशाल संस्कृति है, जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है। इस संस्कृति का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था, वह महिलाओं के प्रति आदर का बिंदु था और हमारी पुराणों और वेदों में सभी जगह लिखा हुआ है कि महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, महिलाओं के प्रति आदर होना चाहिए। पुराणों में यह भी लिखा है - 'यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, तत्र रमन्ते देवता।' यह हमारे देश की विरासत है, यह भारत भूमि की विरासत है और जब ऐसी भूमि में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न होता है, महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है, तब सबको चिंतन करने की जरूरत है। हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सोचने की आवश्यकता है। ऐसे मौके पर आपने मुझे एसिड अटैक 2014 विधेयक लाने की आपने अनुमति दी है। मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आदर करता हूँ। यह एसिड अटैक महिलाओं पर किया जाता है। अक्सर एसिड अटैक युवा महिलाओं और युवा बालिकाओं पर किया जाता है। इस अटैक की वजह से उनके चेहरे पर जो तेजाब डाला जाता है, इसकी वजह से कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वे जीवित रहती हैं, मगर ऐसी अवस्था में जीवित रहती हैं कि वे दर-दर की ठोकें खाती हैं। वे पल-पल मरती हैं। वे पल-पल बेबस होती हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से उजड़ जाती है। जब ऐसा अटैक होता है, तब पूरे समाज के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक विचार करने का सवाल पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए? ऐसी स्थिति से कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकें और इसीलिए मैं

समझता हूँ कि पूरे देश में यह सदन बहुत प्रकाश डाल सकता है। यह सदन एक ऐसा कठोर कानून पारित कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति महिलाओं के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार न कर सके। इसी अशय से मैंने इस बिल को प्रस्तुत किया है। महिलाओं पर जब एसिड का अटैक होता है, तब अक्सर उनकी आंखें चली जाती हैं, अक्सर उसके कान चले जाते हैं, चेहरा विकृत हो जाता है, उनके होंठ चले जाते हैं। उसके बाद उनकी जो स्थिति होती है, समाज भी उनको नहीं स्वीकारता है। वे हीन भावना से लज्जित होती हैं। यह एक ऐसी विषम स्थिति है, जो मृत्यु से भी बदतर है। हर पल पर ऐसी महिलाएं मरती जा रही हैं। इनके लिए एक-एक पल बिताना भी मुश्किल हो जाता है।

इसीलिए हम सभी को इन महिलाओं के लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए। इस पार्लियामेंट को ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो महिलाओं के प्रति ऐसे उत्पीड़न को हमें रोकना चाहिए। पिछली 15वीं लोक सभा का मैं भी सदस्य था। उस वक्त निर्भया पर जिस तरह से अटैक हुआ था, उस पर जिस तरह का उत्पीड़न हुआ था और उसके बाद उस बेबस महिला की मृत्यु हो गई थी। पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो गया था। इस सदन ने भी एक आवाज़ से उनके प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी। सिर्फ संवेदना ही नहीं दिखाई उनके प्रति एक कानून बनाया था, एक विधेयक पारित किया था जो कि सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मुझे तब लगा था कि यह सदन इतना सेंसिटिव है कि ऐसे मामलों में दलगत राजनीति से भी ऊपर उठ कर महिलाओं के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है। ऐसे सदन का सदस्य होने के नाते मैं खुद गौरव महसूस करता हूँ। जब उन पर अटैक हुआ था, तब जिस तरह से पूरे देश में, चाहे वह मीडिया हो, चाहे वह छोटे-छोटे बच्चों हो, उन्होंने मोमबत्ती ले कर प्रदर्शन किया था। न सिर्फ इंडिया गेट पर हुआ था, सुदूर छोटे-छोटे गांव में भी लोगों ने उसके प्रति विरोध प्रदर्शन किया था। जिस तरह से वह प्रदर्शन हुआ था, पूरा देश एकजुट हुआ था। उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि जब पाकिस्तान के साथ अपना युद्ध हुआ था, जब सन् 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तब जिस तरह से देश एकजुट हुआ था। उसी तरह से महिलाओं के सम्मान के प्रति, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यह देश एकजुट हुआ था।

सभापति जी, यह जो एसिड का हथियार है, यह बहुत मामूली हथियार है। एक लीटर एसिड की कीमत महज 20 से 25 रुपये होती है। यह पहले किराना के स्टोर पर मिलता था। यह इतना ज्वलंत होता है कि किसी भी महिला के चेहरे पर अगर एक बूंद भी पड़ जाती थी, तो वह तरसती थी, उनका पूरा का पूरा चेहरा विकृत हो जाता था। मैं समझता हूँ कि पूरे मानव जाति के लिए यह बहुत ही जघन्य अपराध है। हम सब के लिए वह शर्मसार है। ऐसे जुर्म को रोकने के लिए हमें एकजुट हो कर आगे आना चाहिए। यह सदन एक बिल पारित कर सकता है, एक विधेयक पारित कर सकता है। कभी-कभी महिलाओं पर जब ऐसे अटैक होते हैं तो एकतरफा लव वाले लोग उन पर हमला करते हैं। कई महिलायें अपने पति से अलग रहती हैं, वे उन पर हमला कर सकते हैं। कोई प्रेम में अंधा हुआ व्यक्ति भी उस पर हमला कर सकता है और वह उस महिला की जिंदगी को निरस्त कर सकता है, उसकी जिंदगी को बेबस बना सकता है। वह महिला हर क्षण अपने आप को कोसती है। उसकी मदद के लिए आगे आने को भी कोई खड़ा नहीं होता है। ऐसी महिलाओं के प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए। इस देश की संस्कृति ने हमें यही सिखाया है, इस देश की विरासत ने हमें यही सिखाया है। यह देश जब इस तरह से महिलाओं के साथ खड़ा होता है तो जो एसिड अटैक बिल है, मैं इस बिल को समर्थन देने के लिए सभी दलों के नेताओं को, पूरे देश की जनता को करबद्ध प्रणाम करता हूँ। मैं उनसे यह निवेदन करता हूँ, मैं सभी से यह प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में एकजुट होकर पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा, मुझे इसका पूरा यकीन है। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होता है, इसमें कई बार अटैक करने वाले लोग आइडेंटिफाइड भी नहीं होते हैं, इसकी वजह से उनको किसी भी प्रकार से दंडित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वे अनजान लोग होते हैं। वे एसिड डालकर छिप जाते हैं। वे गुमनाम हो जाते हैं और वह महिला पूरी जिंदगी अपने आँसू बहाती रहती है, दर-दर की ठोकरें खाती रहती है। सबके सामने उसे शर्मसार होना पड़ता है। ऐसे एक विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, मैं समझता हूँ कि यह सदन पूरी तरह से उसके साथ अपनी भावना व्यक्त करेगा।

जहाँ तक सजा का सवाल है, एसिड अटैक के संबंध में वर्तमान में जो लीगल प्रोवीजन हैं, इसमें महिलाओं के प्रति जो एग्जिस्टिंग लॉ है, उस लॉ में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर पिछले कुछ सालों में लॉ कमीशन ऑफ

इंडिया ने वर्ष 2009 में एक रिकमेंडेशन दिया था और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडियन पीनल कोर्ट के कुछ सेक्शन में इजाफा किया था। इस सेक्शन की वजह से यह विशेष रूप से अम्ल हमले के लिए था वह किया गया था मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि यह सदन उससे भी ज्यादा ठोस कदम उठा सकता है। उसमें जो भी त्रुटियां हैं, उसे यह सदन ब्रीज-अप कर सकता है। आईपीसी की धारा में जो रिकमेंडेशन किया गया था, वह क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, 2013 में हुआ था। उसमें सेक्शन 326 (ए) के तहत दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया था।

मुझे स्मरण आता है कि मध्य प्रदेश में एक महिला के साथ ऐसा घृणित व्यवहार हुआ था। वह महिला जब रात में अपने घर में सो रही थी, तब उसके कोई कथित प्रेमी ने उसके मुँह पर एसिड डाल दिया था। उस महिला पर ऐसा एसिड डाला कि बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी, उसकी हत्या हो गयी थी। उसी वक्त मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में जिस व्यक्ति ने एसिड डालने का काम किया था, उसे सजा ए मौत दी गयी थी। वहाँ उस वक्त कोर्ट ने इस तरह की ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से फाँसी देनी चाहिए और जब तक वह व्यक्ति तड़प-तड़पकर मर नहीं जाता है, तब तक उसको लटकाते रखना चाहिए। ऐसा उस वक्त कोर्ट का रवैया रहा था और मैं उससे पूरी तरह सहमत भी हूँ। ऐसे जो क्राइम होते हैं, वे हत्या के क्राइम से भी बहुत खराब होते हैं। मैं समझता हूँ कि यह क्राइम महिलाओं के प्रति रेप से किसी भी रूप में कम नहीं है। ऐसा क्राइम करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

सायं 6.00 बजे

उस वक्त जो अमेंडमेंट किया गया था, इसके सैक्शन 231 में 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिज़नमेंट तक की सजा का प्रावधान किया गया था। उसमें सैक्शन 326 बी के तहत जो प्रावधान किया गया था। जो पहले वाला 326ए सैक्शन है, जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और एसिड लगाते हैं, उनके

लिए यह किया था। जो उन पर ऐसा अटैम्प्ट करते हैं, उनके लिए पाँच साल से लेकर सात साल तक जेल का प्रावधान किया गया था। जहाँ तक उसकी ट्रीटमेंट और चिकित्सा का सवाल है...।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

अब हम 'शून्य काल' पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू है। मेरे क्षेत्र में मनकचर नाम का एक एरिया है जो बंगलादेश के बिल्कुल बॉर्डर पर है। उसके एक तरफ मेघालय बॉर्डर है और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है। वहाँ मनकचर के लोगों को आने-जाने के लिए मेघालय बॉर्डर से होकर ही गुजरना पड़ता है और वह 100 किलोमीटर से लंबा फासला है। इस एरिया में गुजिश्ता दो-तीन सालों से किडनैपिंग बहुत बढ़ गई है, मर्डर बहुत हो रहे हैं और जो लोग गए, वे मर्द हों या औरत, वे फिर वापस नहीं आते। तकरीबन ढाई-तीन साल में 250 से ऊपर लोगों के लापता होने की इत्तला है। आज तक उनकी लाशें भी नहीं मिलीं और उनकी कोई खबर भी नहीं मिली। इसलिए मैं इस हाउस के जरिये आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, इसको सीरियसली ले और इस मर्डर तथा किलिंग को बंद कराया जाए। वहाँ जो भी व्यवस्था सरकार को करनी हो वह करे ताकि इन लोगों को निरापदता मिले। इन बेचारे लोगों को रोज़ बाज़ार करने के लिए भी उसी तरफ जाना पड़ता है। जो जाता है, वह फिर वापस नहीं आता है, यह बड़े दुख की बात है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूँ। अजमेर से रेवाड़ी होकर दिल्ली के लिए रेलवे लाईन पर मेरे संसदीय क्षेत्र में श्रीमाधोपुर नाम का एक कस्बा पड़ता है। इस क्षेत्र से लगभग 150 गाँव जुड़ते हैं। सेना में झुंझुनू और सीकर के सबसे आधिक नौजवान होते हैं। सीकर से दिल्ली की दूसरी लाईन बंद होने के कारण केवल एकमात्र यह लाईन है जिससे जवान जाते हैं। सैनिकों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको जो वारंट मिलता है, वह केवल रेलवे का मिलता है, बस का नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि वहाँ किसान भी हैं और वहाँ ए श्रेणी की मंडी भी है। यदि श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 22451/52 चंडीगढ़-बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन रुक जाए तो इससे किसानों को, सैनिकों को तथा बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस ट्रेन को श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर रोका जाए ताकि सैनिकों को विशेष लाभ मिल सके।

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति जी, जब पंजाब का नाम सामने आता है तो हरे-भरे खेत, नाचते-गाते झूमते लोग मन में आते हैं। आज़ादी की जंग में पंजाब की 90 प्रतिशत से ज्यादा कुबारनियाँ हैं और हरित क्रांति से देश के अनाज का भंडार भी पंजाब ने भरा, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आजकल पंजाब पूरी तरह से ड्रग्स की समस्या की चपेट में आ गया है। कई गाँव तो ऐसे हैं जहाँ पर एक दिन में 15 से 20 लाख रुपये की स्मैक बिक जाती है। सिविल कर्फ्यू वहाँ लग जाता है, शाम 4 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल है। किसी का मोबाइल छीन लिया, औरतों के कान की बालियाँ छिन जाती हैं। यह समस्या बहुत बड़ी है। पंजाब की जवानी बरबाद हो रही है। जो बड़े-बड़े स्मगलर पकड़े गए हैं, उन्होंने जो नाम लिये हैं, वे बड़े-बड़े नेताओं के हैं जिनमें .. का नाम आया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह उचित नहीं है और न यह रिकार्ड पर रहेगा। [हिन्दी] जो इस सदन के सदस्य नहीं है, उनका नाम लेकर आप आरोपित कर रहे हैं। न यह उचित है, न यह यहाँ की परंपरा रही है। वह कार्यवाही में नहीं रहेगा।

श्री भगवंत मान : मैं यह कहता हूँ कि बड़े-बड़े स्मगलर जो खुलासे कर रहे हैं, ईडी को फाइनेंस मिनिस्ट्री अलाउ करे कि उनके खिलाफ अनुमति देकर जाँच हो जाए। जाँच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं जाँच की मांग तो कर सकता हूँ कि जो आरोपाहें और जिनके नाम लिये गये हैं, उनके खिलाफ जाँच की अनुमति ईडी को मिले ताकि पंजाब की जवानी को बरबाद करने वालों के नाम सामने आ सकें और सत्य सामने आ सके और पंजाब दोबारा देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके।

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

महोदय, किसी भी देश की समृद्धि के लिए उसके यातायात के साधन का सुगम होना बड़ा मायने रखता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने के लिए मात्र एक सड़क, जो सबसे ज्यादा चलती है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग-24 है। यह निर्माणाधीन है और इसके

बनने की गति बहुत धीमी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके पीछे एक कारण है कि बहुत सारे किसानों को आज भी मुआवज़ा नहीं मिला है और वे इसमें व्यवधान पैदा करते हैं। इस मार्ग के अधूरे पड़े रहने से लगभग 500 किलो मीटर की दूरी में प्रत्येक दिन औसतन सौ लोगों की मृत्यु होती है, लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप भारत सरकार को निदेशित करें और आविलम्ब इस मार्ग को पूर्ण करने का ध्यानाकर्षण करें।

दूसरा, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के कुछ मार्गों के बारे में बताना चाहूँगी। मेरा संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर है।

माननीय सभापति : आप मेरी बात शांति से सुनिए। एक नोटिस में एक ही विषय आता है। अभी आपको साढ़े चार साल और बाकी है। आप इस बात को सीख लीजिए कि एक बार में एक ही विषय आएगा, दूसरा विषय नहीं आएगा। आप बैठ जाइए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय सभापति जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बहुत बुरी हालत है। आप स्वयं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। आपको सभी चीज़ों की जानकारी है। वहां गन्ना किसानों को अभी तक पिछले वर्ष का भुगतान नहीं हुआ है। 19 नवंबर को प्रदेश के संबंधित मंत्री ने बताया कि अभी तक किसानों को 1445 करोड़ रुपये के भुगतान का बकाया है। इसका असर यह हो रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बागपत में, बिजनौर में, सहारनपुर में आत्महत्याएं हुई हैं। टिकरी, बागपत का एक उदाहरण तो बहुत ही हृदय विदारक है। उसने 80,000 रुपये का कर्ज़ भैंस खरीदने के लिए लिया था और 1,53,000 रुपये उसका गन्ने का बकाया था। उस पर बच्चों की स्कूल की फीस देने का दबाव था। वह नहीं कर पाया और पूरे देश का पेट भरने वाला किसान हिम्मत हार कर आत्महत्या कर बैठा। इस प्रकार की घटनाएं वहां पर हो रही हैं।

उन्हें गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है। पिछली बार सरकार ने तय किया कि 280 रुपये में से 20 रुपये उन्हें बाद में मिलेंगे। इस बार 240 रुपये किया। उस बीस रुपये का आज तक पता नहीं है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि सरकार खुद ही स्वीकार कर रही है कि उनका भुगतान अभी बाकी है। किसानों की लागत 272 रुपये से 290 रुपये के बीच में है, लेकिन वहां पर उनके गन्ने का ठीक दाम नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ, मिलें

नहीं चल रही हैं। अभी तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो सोलह मिलें हैं, उनमें से तीन मिलें अभी तक नहीं चलीं हैं। मेरे पास जो खबर है, उसके अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 119 मिलों में से आधी मिलें अभी नहीं चलीं हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि किसान अपने गन्ने का डिस्ट्रेस सेल के अंदर देने को मजबूर हैं और खेत खाली न होने के कारण उसका असर गेहूं की फसल के ऊपर भी पड़ने वाला है।

महोदय, हालत यह है कि गन्ने का भुगतान न मिलने से वह बिजली का भुगतान नहीं कर पाता। यदि 30% से अधिक लोगों ने बिजली का भुगतान नहीं किया है तो उस पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। यह इतना दुःखद है और वहां की सरकार हमेशा किसानों के खिलाफ दिखाई देती है और चीनी मिलों के साथ दिखाई देती है। प्रदेश की मंडी में प्रवेश-शुल्क में उसने दो प्रतिशत की छूट दी है। उसने उनका 6.70 रुपये प्रति क्विंटल विकास शुल्क माफ किया है, लेवी समाप्त की है। सरकार भी मिलों के साथ दिखाई देती है, किसानों के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इसमें हस्तक्षेप करें। प्रतिवर्ष वहां का जो गन्ना किसान बर्बाद होता है, उसको कुछ राहत मिले, उसका कोई हाथ पकड़ ले, यह मेरा आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पुनः आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। देश के सबसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दों को ले करके मैं इस देश की सरकार के समक्ष और देश के 120 करोड़ लोगों के समक्ष खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के आदेश लगातार निजी संस्थाओं के द्वारा, जो निजी स्कूल एवं विद्यालय हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने एक प्रावधान दिया कि जो निजी स्कूल एवं संस्थान हैं, उनमें बीस प्रतिशत गरीब किसान के बच्चे, गरीब छात्र, मेधावी छात्रों का नामांकन लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार-बार आदेश के बावजूद और भारत सरकार के आदेश के

बावजूद भी आज तक बीस प्रतिशत गरीब छात्रों का नामांकन नहीं लिया जाता है। यदि जबरदस्ती जहां पर लिया भी जाता है, उनको केवल कागज में दिखा दिया जाता है, उनका नामांकन नहीं होता। उसकी कोई जांच नहीं होती। उससे भी गंभीर सवाल यह है कि निजी संस्थान और निजी स्कूलों की जो फीस है, वह इस कदर है कि इस देश के जो 92 प्रतिशत आम लोग हैं, जो गरीब किसान और मजदूर के बच्चे हैं, वे कभी भी अच्छे स्कूल में, निजी स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है, ये कहते हैं कि श्रेष्ठ भारत बनाना है, शिक्षित भारत बनाना है और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश में जितने भी तकनीकी संस्थान या निजी स्कूल हैं, उस स्कूल की फीस को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो अत्यधिक रूप से गरीबों से ली जाती है। इस कारण से गरीब और मेधावी छात्र इन स्कूलों में नहीं पढ़ पाते। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं है। हमारा जो मानव संसाधन मंत्रालय है, ये कैसे इसकी रोकथाम करेगी? सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के आदेश को कैसे बीस प्रतिशत छात्रों को लागू करेगी, बीस प्रतिशत गरीब छात्र, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए कोई कठोर कानून ला करके सरकार, इन दोनों मुद्दों पर, शिक्षण संस्थान मेधावी छात्रों की फीस कम करे, गरीबों की फीस कम करे। इसके साथ-साथ बीस प्रतिशत बच्चों का नामांकन ले, यह मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करूंगा, इस पर कोई नया कठोर कानून लाए।

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार, 1 दिसंबर 2014 को पूर्वान्ह 11 बजे के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 1 दिसंबर, 2014 / 10 अग्रहायण, 1936 (शक) के पूर्वाह्न

ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के
अन्तर्गत प्रकाशित
